खण्ड-380, अंक-7
मंगलवार, 9 आषाढ़, शक संवत् 1909
(30 जून, 1987 ई0)

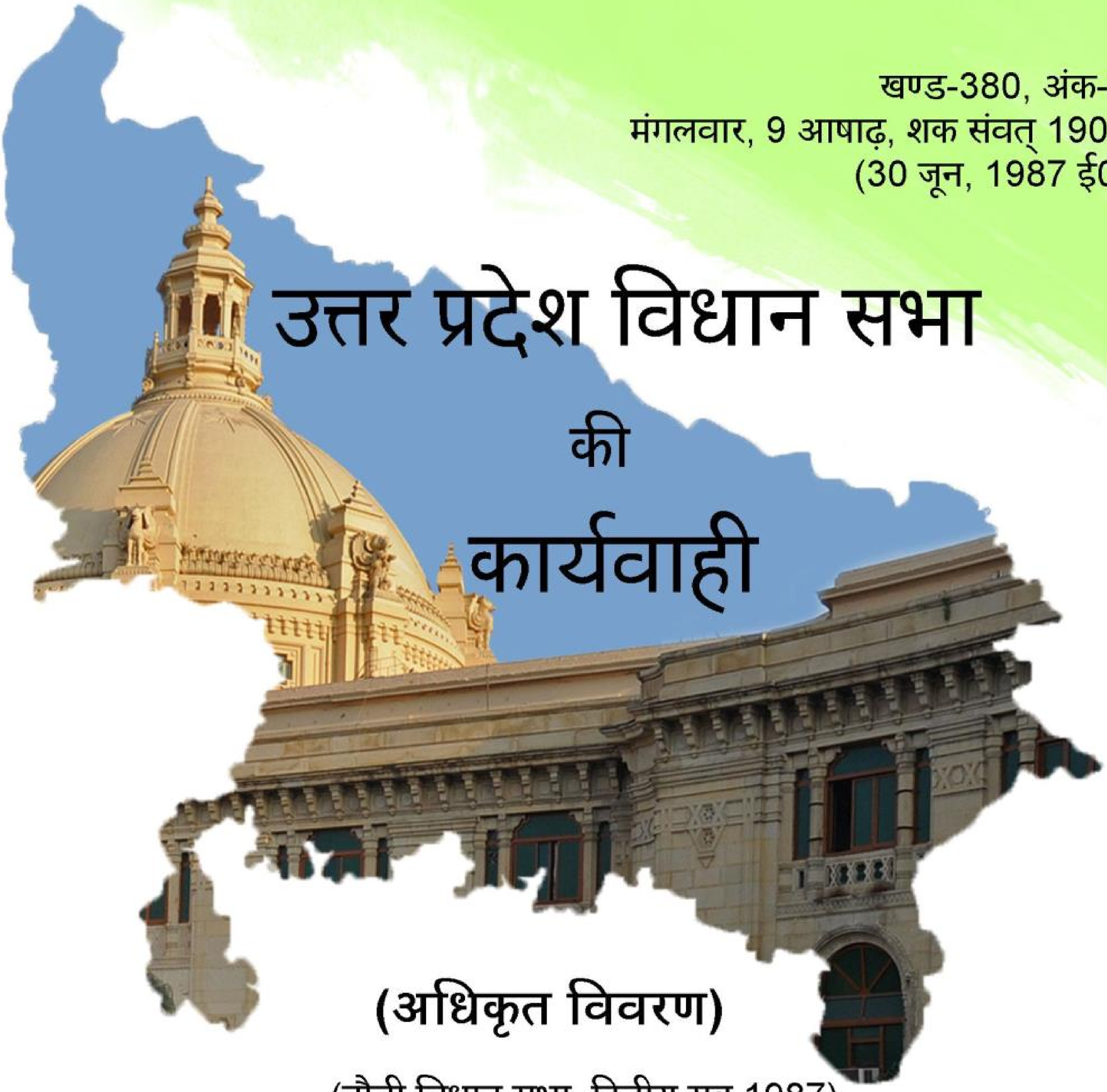

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 380 में 10 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–80
आज की कार्य-सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 को नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा हेतु लिए जाने की मांग	81–84
निर्वाचन क्षेत्र खेकड़ा, मेरठ में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद फैजाबाद की नहरों व माइनरों में पानी के अभाव से किसानों के समक्ष संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
सीतापुर में आवास एवं विकास कालोनी के पूर्ण विकसित होने से पूर्व आवंटन किए जाने से कालोनी के निवासियों के समक्ष संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
ओखला बांध से पानी छोड़ने पर यमुना नदी में पानी की अधिकता से क्षेत्रीय किसानों के समक्ष समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
क्षेत्र खैर, जनपद अलीगढ़ में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
बलिया जनपद में अग्निकाण्ड तथा दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों हेतु आवंटित राहत कार्य एवं सुविधाओं की व्यवस्था में बरती जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
इलाहाबाद में खोले गए आंगन बाड़ी केन्द्रों में आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	89–98
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	99–111
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	112–121
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ,.	122
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	122
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	122
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	122
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	122–136
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित) ..	137–146
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	147–148
नत्थियां	149–158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 30 जून, 1987

विधान सभा की बठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद डम्पी, श्री	नैनीताल	जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद	जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
अजीत प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	दूधनाथ, श्री	जौनपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कुमारी	एटा	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
ओमवती, श्रीमती	बिजनौर	नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
औसान सिंह, श्री	इटावा	नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	परमाई लाल, श्री	हरदोई
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
गजराज राम, श्री	जौनपुर	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोन्डा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	बलबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी

अवैधानिक संस्करण

अलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री	बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल,	प्रतापगढ़
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शूर वीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 30 जून, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया की कसया हवाई पट्टी को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव

*1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में स्थित महात्मा बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर में जाने वाले विदेशी पर्यटकों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए कसया हवाई पट्टी को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लेकर केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक कसया को वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जायेगा ?

पर्यटन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही —

माननीय वीर बहादुर सिंह जी की सरकार का हर सवाल का जवाब है कि, "जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता", 20 दिसम्बर, 1986 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं लखनऊ में एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी और कहा था कि पिपरहवा, महम्मदी, श्रावस्ती, मयूरपुर, गोचर, हरसिल, कुशीनगर आदि 9 स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें वायुदूत सर्विस से जोड़ा जायगा पर्यटकों के आकर्षण के लिये और उनके आवागमन को बढ़ाने के लिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन स्थानों पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर हवाई पट्टियों का निर्माण हो रहा है ? और क्या यह भी सही है कि मयूरपुर (मिर्जापुर) और महम्मदी (फर्रुखाबाद) हवाई पट्टी पूर्णतया तैयार हो गयी है और उसे वायुदूत सर्विस से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है ? क्या इसी प्रकार कुशीनगर में भी निर्माण के आदेश दे दिये हैं और निर्माण कार्य शुरू हो गया है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, पहले तो मैं माननीय शाही जी की यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो कहती है करती नहीं है, हम जितना कहते हैं, करते हैं। यह मामला हवाई जहाज से सम्बन्धित है, कोई बैलगाड़ी तो है नहीं, हवाई जहाज तो तभी उतरेगा जब हवाई पट्टी बन जायगी । यहां पर हवाई पट्टी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनी थी । हमारा प्रयास है कि गौतम बुद्ध से सम्बन्धित जितने स्थान हैं, उनको हवाई पट्टी से जोड़ा जाय । इसी आशय से उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी को भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय को लिखा था कि अगर वे अनुमति दे दें तो निर्माण करा देंगे । जब हवाई पट्टी बन जायगी तभी हवाई जहाज उतर सकता है। मुझे यह बताते हुए खुशी

है कि भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है और हवाई पट्टी इस शर्त के साथ बनाने की अनुमति दे दी है कि उसका पुनर्निर्माण करा दें और यह कि आवश्यकता पड़ने पर रक्षा मन्त्रालय भी उसका उपयोग करे, जिसमें कि हमें कोई आपत्ति नहीं है । जैसे ही इसका निर्माण हो जायगा इसे वायुदूत सेवा के माध्यम से या जो भी सेवा उपलब्ध होगी, उस माध्यम से जोड़ दिया जायगा और ऐसा करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी बड़े कृपालु हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि जैसी इस सरकार की बौद्ध धार्मिक स्थलों के विकास की बृहद् योजना है, क्या उसमें बस्ती जनपद के पिपरहवा और गोण्डा के श्रावस्ती को भी हवाई पट्टी और हवाई मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उचित तो यह होता कि माननीय सदस्य इसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लेते तो मैं उन्हें उसका उत्तर देता, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पर्यटन से संबंधित है इसलिये मैं उनको बतला रहा हूं कि गोण्डा में एक हवाई पट्टी का निर्माण कराया जा रहा है जैसे ही उसका निर्माण हो जायेगा उसी की अनुरूपता में इसको भी देखेंगे और यदि उपयोगिता पायी गयी तो इसका भी निर्माण कराया जायेगा क्योंकि हमारा विश्वास है कि बौद्ध धर्म के स्थानों पर हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया और उस पर उन्हें स्वीकृति भी मिल गयी है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद अब कितना समय और लगेगा इसके कार्यान्वयन में?

श्री प्रमोद कुमार–

19 फरवरी को स्वीकृति प्राप्त हुई है उसके बाद निदेशक उड्यन ने सा0 नि0वि0 को आदेश दिया है कि शीघ्र ही इसका आगणन तैयार करा लें । जैसे ही आगणन प्राप्त हो जायेगा, इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में बताया कि गौतम बुद्ध से संबंधित जितने स्थान हैं, सबको हवाई मार्ग से जोड़ा जायेगा । तो क्या जो स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित हैं उसमें वाराणसी में ''सारनाथ'' भी उन्हीं से संबंधित है तो क्या उसे भी हवाई मार्ग से जोड़ने पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूं कि वाराणसी में पहले से ही हवाई मार्ग है । अब गौतम बुद्ध के स्थान सारनाथ को हवाई मार्ग से नहीं जोड़ा जा सकता है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में निकट भविष्य में किन-किन स्थानों को हवाई पट्टी से जोड़ने के लिये राज्य सरकार ने संस्तुति की है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न तो बड़ा व्यापक है।

श्री फजलुल बारी–

अभी मंत्री जी ने बताया कि गोंडा में हवाई पट्टी निर्माणाधीन है या बनने वाली है, मेरे ख्याल से उनका मतलब मनकापुर के बारे में होगा और उसी के बारे में वे कह रहे थे, लेकिन वहां से श्रावस्ती 95 कि0 मी0 दूर है। वहां से श्रावस्ती के करीब बलरामपुर या उसके आस-पास क्या सरकार हवाई पट्टी का निर्माण करायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने गोण्डा के जिलाधिकारी को बुलाया था और उनसे इस संबंध में स्वयं बात भी की थी कि जहां हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाय वह श्रावस्ती के पास ही होनी चाहिये, लेकिन यह बात भूमि की उपलब्धता और अन्य स्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि श्रावस्ती के पास ही हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाय ।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी –

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस्ती जिले में पिपरहवा हवाई पट्टी से जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि जहां भी सम्भव होगा और आर्थिक रूप से हम उसमें सक्षम होंगे तो उन सभी स्थानों को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास करेंगे ।

श्री पूरन सिंह माहरा –

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य धार्मिक स्थलों को भी हवाई पट्टी से जोड़ने का सरकार का विचार है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हर तीर्थ को हवाई पट्टी से इस लिये नहीं जोड़ा जा सकता कि वह सम्भव नहीं है लेकिन मैं मा0 सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी का निर्माण शासन के विचाराधीन है और इसमें पर्वतीय विकास विभाग भी रुचि ले रहा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुशीनगर में हवाई पट्टी बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसका हस्तान्तरण कब तक करा दिया जायेगा और उस पर सरकार कितना व्यय करने का विचार कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने शायद मेरे उत्तर को शोर से नहीं सुना । मैंने कहा था कि उसके आगणन के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर दिये गये हैं । मान्यवर, जब तक उसका आगणन नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। मान्यवर, जहां तक हस्तान्तरण का प्रश्न है, मैंने

बताया कि उसके बारे में स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, और उनकी इस शर्त को भी मैंने मान लिया है और उसके बारे में निदेशक, नागरिक उड्डयन को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, मथुरा नगर बहुत ही पवित्र है। देश विदेश के लाखों यात्री यहां पर आते हैं और माननीय मंत्री जी भी यहां पर काफी चक्कर लगाते हैं, तो क्या यहां पर भी हवाई पट्टी बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

वहां के प्रस्ताव पर भी विचार कर लेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने श्रावस्ती और पिपरहवा और अन्य धार्मिक स्थलों पर हवाई पट्टी बनाने की योजना दिमाग में रख रखी है तो क्या यह स्थान पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं या इनको पर्यटकों के उद्देश्य से विकसित कर दिये गये हैं। यदि नहीं, तो क्या उनके विकास पर विचार कर लेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है । जो स्थान गौतम बुद्ध से सम्बन्धित हैं, उन सभी स्थानों का विकास किया जायेगा और एक महत्वपूर्ण योजना सरकार ने तैयार किया है कि वहां की सड़कों को चौड़ा किया जाये, उनको हवाई पट्टी के जोड़े जाने के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पर्यटन विभाग जो है, उन स्थानों का सौन्दर्यीकरण कर रहा है और वहां पर पर्यटक विश्राम गृहों का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार ने वहां पर एक पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण कर दिया है। जहां पर जैसी आवश्यकता होगी, उसको करने में पर्यटन विभाग पीछे नहीं रहेगा।

गाडगिल फार्मूला के संशोधन के संबंध में दिए गए सुझाव

**2–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने संबंधी गाडगिल फार्मूले में कोई संशोधन पेश करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह संशोधन क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

गाडगिल फार्मूला के संशोधन के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 8 व 9 नवम्बर, 1985 की बैठक में सुझाव दिए जा चुके हैं और वे केन्द्रीय योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया कि गाडगिल फार्मूले में संशोधन किये गए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से संशोधन किए गये हैं और क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद् के अन्तर्गत

कर दिया जाये और विवेकाधीन अनुदान का आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाये, क्या यह भी सुझाव दिया गया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया –

मान्यवर, जो सुझाव दिया गया है, वह इस प्रकार है, पहले जो गाडगिल फार्मूला था, उसमें जनसंख्या पर 60 प्रतिशत, कर प्रयासों पर 10 प्रतिशत, चालू सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर 10 प्रतिशत, राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय पर 10 प्रतिशत और विशेष समस्याओं पर 10 प्रतिशत था और सन् 1980 में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें जनसंख्या पर 60 प्रतिशत, राजकीय करों पर वही रखा गया, यानी 10 प्रतिशत रखा गया, चालू सिंचाई और विद्युत योजनाओं पर भी 10 प्रतिशत रखा गया, लेकिन राष्ट्रीय औसत आय को उसमें शामिल करके 20 प्रतिशत कर दिया गया और विशेष समस्याओं पर 10 प्रतिशत रखा गया । इस प्रकार से 60 प्रतिशत जनसंख्या पर और शेष पर 40 प्रतिशत रखा गया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मीटिंग की थी, उसमें यह कहा गया था कि यह जो 40 प्रतिशत है, उसको प्रति व्यक्ति से जोड़ दिया जाये । और इससे ही अपने प्रदेश को लाभ होने की संभावना थी । आपने ग्रांट की बात कही है तो उसके संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि जो 30 प्रतिशत ग्रान्ट दी जाती थी उसको बढ़ाकर केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत कर दे । यही कहा गया था ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

मान्यवर, जो मैंने दूसरा प्रश्न किया था उसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया । मैंने यह कहा था कि क्या यह भी सुझाव दिया गया था कि योजना आयोग को राष्ट्रीय विकास परिषद् के अन्तर्गत कर दिया जाय और विवेकाधीन अनुदानों का आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् होती है उसके चेयरमैन प्रधान मंत्री होते हैं और योजना आयोग के चेयरमैन भी प्रधान मंत्री ही होते हैं । यह केन्द्रीय सरकार का विषय है । इसमें कौन किसके अन्तर्गत किया जाय, इसको केन्द्रीय सरकार ही देखती है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की समस्यायें हैं-जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल-क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक इस प्रदेश के लिए जो केन्द्र सरकार का अंश होना चाहिए उसका प्रतिशत अन्य 12/13 प्रान्तों के मुकाबले में बहुत कम रहा है । जैसे केरल, हरियाणा और पंजाब का केन्द्र सरकार का अंश 80 से लेकर 110 फीसदी तक रहा है जब कि इस प्रदेश का केवल 22 से 27 फीसदी तक ही रहा है । तो क्या इसके लिए केन्द्र सरकार के ऊपर आपने कोई दबाव डाला है कि हमारा यह प्रतिशत बढ़ा दिया जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

केन्द्र सरकार पर दबाव नहीं डाला जा सकता लेकिन हमारा अंशदान बढ़े इसके लिए कहा जा सकता है । हमने अनुरोध किया है कि जैसे बांड आदि केन्द्र सरकार बेचती है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि 50 प्रतिशत बांड बेचने का शेयर प्रदेश सरकार को दिया जाय और इस प्रकार से कैश क्रेडिट राशि के हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा दिया जाय।

इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स जितने भी गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा धन हमको मिले । अल्प बचत में 66.06 प्रतिशत हमको ऋण के रूप में मिलता है उसको बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पंच वर्षीय योजनाओं में जो केन्द्र की अंश पूंजी है वह इस प्रदेश के लिये कम है। क्या यह सही है कि केरल, पंजाब और हरियाणा को दी जाने वाली पूंजी हमसे ज्यादा है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। हिन्दुस्तान में हमें पहले महाराष्ट्र से कम मिलता था लेकिन इस समय हमें महाराष्ट्र से भी ज्यादा मिला है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, हम सब लोग प्रदेश का विकास करना चाहते हैं और हम सब लोगों की इच्छा है कि केन्द्र से इस प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध हो। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उदारता पूर्वक केरल, बंगाल और हरियाणा में इफरात पैसा बांटा है और प्लानिंग कमीशन की रिकमन्डेशन की चिन्ता न करके करोड़ों रुपया बांटा है क्योंकि वहां पर बाई-इलेक्शन होने वाले थे। तो क्या सरकार इस बात पर बल देगी कि इस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा धन केन्द्र से हमें मिल सके?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

समय-समय पर इस सम्बन्ध में विचार किया जाता रहा है। ..... (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैंने यह अर्ज किया कि मध्यावधि चुनाव जिन प्रदेशों में हो रहे हैं, जैसे बंगाल, केरल और हरियाणा वहां पर प्रधान मंत्री ने उदारतापूर्वक करोड़ों रुपया बांटा है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो क्या इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि यहां भी मध्यावधि चुनाव हो जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा यहां के लिये मिले।

श्री अध्यक्ष–

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार द्वारा जो धनराशि राज्यों को आवंटित की जाती है विकास के लिये उसमें गाडगिल फारमूले को मापदण्ड माना जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि पिछड़ेपन के हिसाब से भी धन को आवंटित किया जाय ऐसी संस्तुति केन्द्र सरकार से की है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जब मैंने उत्तर दिया वह शायद आपने सुना नहीं। पिछड़ापन परकैपिटा इनकम से आंका जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 40 प्रतिशत का जो अंश है यही उसके लिये कहा है। 60 परसेंट तो आबादी के हिसाब से मिलेगा शेष 40 प्रतिशत के लिये परकैपिटा इनकम से हो। तो इससे निश्चित रूप से ज्यादा धनराशि मिलेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्योंकि प्रति व्यक्ति वाला आधार तो 20 साल पुराना हो चुका है तो क्या प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी को देख कर राज्य सरकार पिछड़ेपन को आधार मानने के लिये केन्द्र सरकार से कहेगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह जो पिछड़ेपन का आधार वाली बात है इसको राज्य सरकार अपने स्तर पर तय नहीं कर सकती है। हिन्दुस्तान में पूरे प्रदेशों में एकरुपया लाने के लिये कैलोरी के हिसाब से पिछड़ापन तो मापदण्ड नहीं माना जायेगा।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, एक झूठा दावा इस सरकार द्वारा किया जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में विगत वर्ष हमारा प्रदेश सबसे आगे रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि परकैपिटा इनकम में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, वैसे यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी आपको मालूम होगा कि इस वर्ष जो हमारी इकोनामिक ग्रोथ का लक्ष्य है वह 6 प्रतिशत है जब कि नेशनल ग्रोथ का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष अभी यहां आये थे, मुख्य मंत्री जी ने उनसे विचारविमर्श किया था तो उन्होंने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर धन दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ विश्व बैंक के अध्यक्ष भी यहां दौरे पर आये थे और उन्होंने माना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तो क्या उसके विकास के लिये अधिक धन दिया जायगा?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां, दिया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय सरकारिया आयोग उत्तर प्रदेश में आया था तो मुख्य मंत्री जी ने उसके सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केन्द्रीय सहायता जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर दी जानी चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसी आधार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सरकार ने सहायता देना तय किया है, यदि हां, तो बस्ती, गोण्डा, सुल्तानपुर, रायबरेली की जनसंख्या अलग-अलग क्या है और यह जिले पिछड़ेपन की दृष्टि से किस क्रम में आते हैं। और 1987 के लिये जो योजना प्रस्तावित है उसमें किस क्रम में निर्दैशित किये गये हैं और कितना-कितना रुपया निर्धारित किया गया है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जो जिलों में आवंटन रखा गया है उसमें कुल जनसंख्या के हिसाब से 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति के हिसाब से 5 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों, भूमि हीन मजदूरों पर 10 प्रतिशत, कृषि उत्पादन में पिछड़ेपन पर 5 प्रतिशत, औद्योगिक

पिछड़ेपन पर 5 प्रतिशत, अस्पतालों और शैय्याओं की संख्या में पिछड़ेपन पर 5 प्रतिशत पेयजल अभावग्रस्त गांवों में 5 प्रतिशत । इससे आप सहमत होंगे कि सभी मानक पिछड़ेपन पर दिये गये हैं। स्पेसिफिक जिलों के बारे में जो पूछा गया है तो इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्ध में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की नीति

*1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि भारत सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है तथा इसकी घोषणा बजट सत्र 87 के समय संसद में भी की है कि सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्ध में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जायगी तथा यदि ऐसे अधिकारी सार्वजनिक उद्योगों में जाना चाहें तो उन्हें प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र देना होगा? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसी व्यवस्था को उ0 प्र0 में भी लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार—

भारत सरकार ने जनवरी, 1986 में यह आदेश प्रसारित किये हैं कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में किसी पद पर नियुक्ति हेतु चुने जाने पर सरकारी कर्मचारी को सरकार के अपने मूल पद से त्यागपत्र देना होगा और इसके बाद ही वह सार्वजनिक उद्यम के पद पर कार्यभार ग्रहण कर सकेगा। लेकिन बजट सत्र 1987 में इस सम्बन्ध में की गई घोषणा के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त व्यवस्था को प्रदेश में यथावत् लागू किया जाना, यहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, सम्भव नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने आदेश लागू कर दिया है कि सार्वजनिक उपक्रमों में किसी पद पर यदि केन्द्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति होगी तो उसे प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र देना होगा । तो इसी प्रकार हमारे प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी इन उपक्रमों में जाते हैं जिनकी तकनीकी व्यवसायिक जानकारी नहीं होती है जिससे उपक्रमों को चौपट करके पुनः प्रशासनिक सेवा में लौट आते हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि अधिकारी त्यागपत्र देकर उपक्रमों में जायं तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिससे इस नीति को इस प्रदेश में लागू करने में कठिनाई होगी ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, नियमित नियुक्ति होने पर उपक्रमों में यहां से भी कोई अधिकारी/कर्मचारी उपक्रम में जायेगा तो उसको मूल पद से त्याग पत्र देना होगा । लेकिन

व्यवसायिक और तकनीकी दृष्टि से उन्हें नियुक्त किया जाता है । किन्हीं अपरिहार्य कारणों से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उपक्रमों में की जाती है जो नियमित नियुक्ति नहीं होती है बल्कि मात्र कुछ वर्षों के लिये उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है । इसलिये यहां संभव नहीं है कि वह अपने पद से त्यागपत्र देकर वहां जायं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नियुक्ति नहीं, प्रतिनियुक्ति की जाती है, यह कहा, तो यही तो मूल भावना प्रश्न की है । इन सारे उपक्रमों में करोड़ों, अरबों रुपये की पूंजी लगी है और इनका संचालन प्रतिनियुक्ति करके चलाते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है और नुकसान करके जब उनको अनुभव प्राप्त होता है तो प्रशासनिक सेवा में पुनः वापस ले लेते हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों में इस तरह से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को भेजने की आपने परम्परा डाल रखी है जिससे उत्तर प्रदेश के कितने सार्वजनिक उपक्रमों में अरबों रुपये का घाटा हो चुका है और इस घाटे के लिये क्या आपकी यह नीति उत्तरदायी नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मा0 सदस्य जानना चाहते हैं कि घाटे के कारण क्या हैं, तो उसका मात्र एक कारण यह नहीं है बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्योगों को मात्र लाभ के लिये ही नहीं चलाया जाता है बल्कि उनकी उपादेयता की भी बात है, इसलिये हानि-लाभ तो अपनी जगह है ।

मान्यवर, रही बात कितने लाभ और हानि पर हैं तो कहना चाहता हूं कि लगभग 24 निगम ऐसे हैं जो, पिछले तीन वर्षों का आधार माना है, लगातार लाभ पर चल रहे हैं और 13 निगम कभी लाभ और कभी हानि पर चलते हैं । (व्यवधान) 18 निगम ऐसे हैं जो लगातार हानि पर चल रहे हैं । इस तरह 60 निगमों में होता रहता है । हम माननीय सदस्य की इस भावना से सहमत हैं कि जहां शासन की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति लगी है, उसमें जन धन की हानि न हो, उनका अधिकाधिक सबको लाभ हो और वे जनता की बेहतर सेवा कर सकें और इस संबंध में यदि उनका कोई भी सुझाव आएगा तो गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसा मंत्री जी ने कहा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें यह व्यवस्था लागू करना सम्भव नहीं है, परन्तु जो भारत सरकार ने अपने यहां किया है, उससे क्या उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धान्तः सहमत है या नहीं ? यदि हां, तो क्या उसने उन विधियों को जानने का प्रयास किया है कि इसको कैसे किया जाए ? सार्वजनिक उद्यमों के अनुश्रवण यानी मानीटरिंग की जो व्यवस्था सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के माध्यम से की गई थी, उसमें अनेक महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, जिससे वह आज पंगु होकर रह गया है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

सिद्धान्तः उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से सहमत है कि यदि किसी की नियमित नियुक्ति होती है तो उस अधिकारी को अपने पद से हटना होगा तभी वह वहां पर कार्य-

भार ग्रहण कर सकता है और ब्यूरो की जो बात है, तो उसमें जो सुधार की गुंजायश है उसको करने के लिए सरकार हर समय प्रयत्नशील है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, उससे दो बातें साफ हैं। प्रथम, तो यह सरकार बहुत दरियादिली और उदारता का परिचय देती है, चाहे करोड़ों रुपये का घाटा हो, नुकसान हो और उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चौपट कर दे । नम्बर दो, यह जो प्रश्न का उत्तर तैयार होकर मंत्री जी के पास आया, उसमें मंत्री जी ने अपनी ओर से कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है और आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने, जो इनके मालिक बने बैठे उनकी ओर से जो उत्तर आया वह सदन के सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया गया है । आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में सार्वजनिक उपक्रमों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और घाटे की अर्थ व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसके अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में भी मंत्री जी क्या निर्णय लेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

जब प्रश्न आता है तो उसका पहले मंत्री जी के पास अनुमोदनार्थ आता है तथा स्वंय जब कौशल जी मंत्री थे और मैं नहीं था, किन्तु मैं उनके कमरे में बैठा करता था और जिस प्रकार वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही उनके विवेक का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने प्रश्न का उत्तर दिया और जहां तक सुधार का प्रश्न है उसे किया जाएगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मंत्री जी के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धकों-प्रशासकों को आपने घाटा अर्जित करने के लिए अधिकृत कर दिया है कि यह घाटा ही दें इसमें और इस घाटे को सरकार वहन करती रहेगी ? क्या मंत्री जी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जब प्रति नियुक्ति करते समय यह नहीं देखेंगे कि वह प्रशासनिक अधिकारी पहले से सक्षम है या नहीं, उसको उद्योग का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है या नहीं ? या इन सबको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अपने यहां जो परिवर्तन किये हैं, उनकी तरह के परिवर्तन अपने यहां भी करने के लिए आप सदन को आश्वस्त करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

इन अधिकारियों की नियुक्ति निश्चित रूप से सार्वजनिक उपक्रमों की गड़बड़ी के सुधार के लिए की जाती है न कि हानि के लिए । जब उनकी नियमित नियुक्ति होगी तो उनको उस सेवा से त्याग-पत्र देना होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा–

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, मंत्री जी की बात सुनाई नहीं दे रही ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं तो दोनों माइक लेकर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज दोनों माइक के बीच से निकल जाती होगी ।

(हंसी)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिद्धान्तः भारत सरकार की नीति को स्वीकार कर लिया है । उन्होंने अभी उत्तर दिया है कि सिद्धान्तः इससे सहमत हूं, तो इसी तहत मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय अधिकारियों को सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर जो भेजने की प्रथा है जो उनको सीधा भेज दिया जाता है, तो क्या उपक्रम में भेजने के पहले ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को उस उद्योग के संबंध में एक साल की ट्रेनिंग, और जब वह सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने लगें तो उन्हें पांच साल या सात साल वहीं रखने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे । ताकि उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मेरी आवाज माननीय सदस्या तक पहुंचे, लेकिन उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या मान्यवर, आप इजाजत देंगे माननीय सदस्या को मेरे पास बैठने की, या मुझे उनके पास बैठने की ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपके हृदय पर है ।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह शासन की नीति है कि जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उन्हें तीन वर्ष या पांच वर्ष काम करने दिया जाता है और उनके अनुभव का पूरा फायदा उठाया जाता है ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों की क्या विदेश सैर करने पर रोक लगाई जाएगी । अधिकांशतः यह देखा जा रहा है कि उद्योग के नाम पर अधिकारी विदेश जाते हैं और उन अधिकारियों के लौटने के बाद उनका स्थानान्तरण हो जाता है और कई अधिकारियों ने तो विदेशी टैक्नोलौजी ला पर स्वंय उद्योग स्थापित कर लिए और उपक्रम का उद्योग नहीं लगा, कोई फायदा नहीं हुआ ? तो क्या ऐसी स्थिति में अधिकारियों के विदेश जाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि करोड़ों रुपया खर्चा न हो ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण बात सुझाई है । जनता की गाढ़ी कमाई को विदेश गमन या किसी भी गमन में खर्च करने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि कई निगमों में जहां अधिकारी जो प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष ऐसे हैं वहीं प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह

ऐसे लोगों की संख्या बतायेंगे जो एक से अधिक विभाग में कार्यरत हैं या किसी निगम उपक्रम में चेयरमैन या प्रबन्ध निदेशक हैं ? इसका क्या औचित्य है ?

दूसरी बात क्या सार्वजनिक उपक्रम में जिन अधिकारियों को भेजा जाता है उनकी तकनीकी योग्यता देखने पूर्व उनकी प्रशासनिक योग्यता को भी देखा जाता है। यह देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टि है फिर भी उनको उठाकर सार्वजनिक उपक्रमों में भेज दिया जाता है जिससे निगम ठीक से नहीं चल पाते हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे कि ऐसे लोगों की तकनीकी क्षमता के अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा भी आप पहले देखेंगे अथवा नहीं, यदि नहीं देखेंगे तो उपक्रमों का भविष्य क्या होगा और उनकी कार्य प्रणाली क्या होगी। यही कारण है कि उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप तो भाषण दे रहे हैं, आप प्रश्न कीजिये।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया है कि ऐसे कितने उपक्रम हैं जिनके चेयरमैन या एम0 डी0 किसी अन्य विभाग में भी कार्यरत हैं और इसका औचित्य क्या है ? दूसरा प्रश्न यह है जो प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं तो उनमें प्रशासनिक क्षमता होती है या नहीं ? मेरी जानकारी है कि सक्षम अधिकारियों को निगमों में भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष–

इतना लम्बा प्रश्न कीजियेगा तो कैसे काम चलेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जितना लम्बा प्रश्न है उतना ही छोटा उत्तर दे रहा हूं। प्रबन्ध निदेशक साधारणतः एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष पद पर जो लोग हैं वह एक से अधिक जगहों पर हैं। यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना चाहते हैं तो मेरे पास सूचना है, पढ़कर सुना दूं या माननीय सदस्य चाहेंगे तो उपलब्ध करा दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह खेद का विषय है कि केन्द्र में जिस दल की सरकार है उसी दल की सरकार यहां पर है, केन्द्र सरकार ने काफी सोच समझ कर एक निर्णय लिया कि प्रशासनिक अधिकारियों को सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिये लेकिन प्रदेश सरकार उन गाइड लाइंस को मानने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, होता यह है कि प्रबंध निदेशक आदि के खिलाफ जब भ्रष्टाचार का मामला होता है तो यह कहा जाता है कि यह तो नियुक्ति विभाग से संबंधित है तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आज से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों या निगमों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जायेगा और जो लिए गये हैं उसको डिसकरेज करने, कम करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय ओझा जी को सद्बुद्धि के लिये बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम हमारे दल की सरकार जो केन्द्र में है उसने

सोच समझ कर कदम उठाया यह आप मानने के लिये तैयार हो गये, कांग्रेस सरकार और श्री राजीव जी की आप तारीफ कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया है तो प्रतिनियुक्ति जब होगी तो पहले पद से त्यागपत्र देना होगा तो इस संबंध में शासन कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है।

उत्तर प्रदेश की पुरानी एवं जर्जर चीनी मिलों की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण हेतु योजनाएं

*2–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने चीनी उद्योग में लगी चीनी मिलों की जर्जर एवं खस्ताहाल हालत के सुधार हेतु शासन की इन मिलों के नवीनीकरण हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार इस उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की पूर्वी क्षेत्र में स्थित 12 पुरानी एवं जर्जर चीनी मिलों में से चीनी मिल खड्डा, जनपद देवरिया का आधुनिकीकरण, पुर्नवासन एवं विस्तारीकरण (1250 टी0 सी0 डी0 क्षमता) तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। संलग्नक में उल्लिखित छः चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, पुर्नवासन एवं विस्तारीकरण की योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ले ली गयी है। शेष 5 चीनी मिल लक्ष्मीगंज, रामकोला, छितौनी, बाराबंकी तथा बुढ़वल के आधुनिकीकरण, पुर्नवासन एवं विस्तारीकरण की योजनायें भी धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने पर यथासमय ली जायेगी।

निजी क्षेत्र की पुरानी एवं जर्जर मिलों के आधुनिकीकरण, पुर्नवासन एवं विस्तारीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं/भारत सरकार द्वारा स्थापित शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 149 पर।)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रामकोला, छितौनी, बाराबंकी तथा बुढ़वल यह जो पांच चीनी मिलें हैं इनके आधुनिकीकरण के लिए संसाधन जुटाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, आठवीं पंच वर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था की गयी है। वैसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन 5 मिलों के लिए संसाधन जुटाने के लिए यह जो केन्द्र सरकार का सरकारी डेवलपमेन्ट फण्ड है, उससे कोई मांग की गयी है या अन्य किसी वित्तीय संस्था से कोई मांग की गयी है उसके पुनर्निर्माण के लिए ?

श्री राम नाथ मुंशी–

श्रीमन, सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिसवा, जरवल रोड, मुण्डेरवा, भटनी और घुघली के लिए धन की व्यवस्था की गयी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसके लिए और व्यवस्था की जायेगी।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग चीनी रहा है, आज वह उद्योग पिछड़ रहा है। क्या उसके विकास के लिए मिलों को बढ़ाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नये तकनीक के आधार पर मिलों का विस्तार किया जायेगा ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिसवा की 1560 लाख रुपये की उसके विस्तारीकरण की योजना स्वीकृत कर दी गयी है, जरवल रोड को 1500 लाख रुपये की विस्तारीकरण की योजना भी स्वीकृत कर दी गयी। पिपराइच, मुण्डरेवा, भटनी, घुघली, इन चीनी मिलों के लिए पुनर्वासन और आधुनिकीकरण के लिए धन आवंटित किया जा रहा है। कुछ धन दे दिया गया है और कुछ 87-88 में दे दिया जायेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही अन्य मिलों का विस्तारीकरण आधुनिकीकरण करना सम्भव होगा।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, बहराइच जनपद में जरवल रोड चीनी मिल की हालत सुधारने के लिए कितने रुपये की मांग की गयी है और साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि आपने निश्चित की है और कब तक वह जरवल रोड चीनी मिल को पहुंचा देंगे ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, 1500 लाख रुपये की मांग की गयी है। इस समय 90 लाख रुपये वर्ष 1987-88 में दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है और धनराशि बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण मिलों के विस्तार की भावी योजना सरकार के विचाराधीन है या नहीं है ? यदि है, तो उसका क्या प्रारूप है ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 14 चीनी मिलें निगम की है जिसमें से 12 बिल्कुल पुरानी और प्राइवेट संस्थाओं से ली गयी हैं और लगभग 50 वर्ष पुरानी है। हर मिल पर लगभग 15–20 करोड़ की आवश्यकता है। तो मान्यवर, इतने अथाह धन की आवश्यकता है तो सरकार यह निश्चित प्रयास कर रही है कि वित्तीय संसाधनों के जुटते ही हम इन मिलों का विस्तारीकरण सातवीं पंचवर्षीय योजना, लेटेस्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना तक कर देंगे यह निश्चित है।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शाहगंज की जो मिल बन्द कर दी गयी है उसको क्या चालू करने पर सरकार विचार कर रही है या उसके स्थान पर नई मिल को चालू करने पर विचार कर रही है ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, शाहगंज मिल प्राइवेट मिल है । इस पर करोड़ों रुपया लाइबिल्टी है । सरकार ने बड़ा प्रयास किया लेकिन कानूनी दिक्कतों और अदालती दिक्कतों के कारण उसे चालू नहीं किया गया न भविष्य में की जा सकती है ।

श्री फजले मसूद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में देवरिया गन्ना मिल है, उसकी मशीनरी पुरानी है, अगर उसकी मशीनरी नई लगा दी जाय, तो उस गन्ना मिल की क्षमता बढ़ सकती है । मान्यवर, मशीनरी बदलने के लिए केवल 30 लाख रुपये की आवश्यकता है । मान्यवर, उस मिल की मशीनरी नई लगा देने से, उस मिल का लाभ बढ़ जायगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस देवरिया चीनी मिल का लाभ बढ़ाने के लिए, उस मिल की मशीनरी नई लगाने हेतु, उस मिल को 30 लाख रुपये आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, देवरिया शुगर मिल रिसीवरशिप में है, जब वह मिल सरकार के पक्ष में आ जायेगा, तब उस पर खर्च करके, उसकी क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सा आधार है, जिसके आधार पर कुछ मिलों को 75 लाख रु0, कुछ मिलों को 90 लाख रु0 और कुछ मिलों को 100 लाख रु0 देने का निर्णय लिया गया ? मान्यवर, मैं उस आधार को जानना चाहता हूं कि यह किस आधार पर रुपया विभिन्न मिलों को दिया गया है । मान्यवर, यह आबंटन बिना किसी टेक्निकल परीक्षण के ही किया गया है । 1978 में तत्कालीन सरकार ने एक परीक्षण कराया था और उस परीक्षण के आधार पर यह निश्चय हुआ था कि किस मिल पर कितना रुपया लगाया जायगा । मान्यवर, मेरा केवल दो प्रश्न है ।

वह आधार माननीय मंत्री जी बता दें कि किस आधार पर इन चीनी मिलों को धन का आबंटन किया गया है । मान्यवर, कुछ मिलें ऐसी हैं, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं । मान्यवर, यह जो धन का आबंटन किया गया है जरूरत से ज्यादा किया गया है, जबकि उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है । मान्यवर, अगर सुप्रीम कोर्ट से मैनेजमेंट जीत जाता है, तो उस मिल पर व्यय किया गया धन जो है, उसका लाभ मैनेजमेन्ट का हो जायगा । ऐसी स्थिति में जिन मिलों के बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक उस पर शासकीय धन बिलकुल न खर्च किया जाय, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न हो जाय । मान्यवर, किस आधार पर अपने धन का आवंटन मिलों के बारे में किया है, वह आधार कृपया बता दें ।

श्री राम नाथ मूंशी–

मान्यवर, आवश्यकता को देखते हुए धन आबंटित किया गया है । इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और न ही किसी का कोई दबाव है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि प्रश्न था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो जर्जर मिलें हैं, चाहे वे अधिग्रहीत की गयी हैं या प्राइवेट सेक्टर की हैं, मैं मुख्य रूप से बस्ती जिले के बारे में जानना चाहता हूं, मान्यवर, एक को छोड़कर सभी मिलें वहां की जर्जर हैं, तो मान्यवर, जिस जिले में ये मिलें जर्जर हैं, उस जिले को यह सरकार उद्योग शून्य जिला घोषित करने की कृपा करेगी, ताकि वहां पर दूसरे उद्योग लगाये जा सकें ?

श्री राम नाथ मूंशी–

मान्यवर, यह सरकार जहां पर जैसी आवश्यकता देखती है मिलों के लगाने के बारे में, विचार करती है, तथा हमेशा उसका विस्तृतीकरण कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी ।

[मंगलवार, 30 जून, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अंतर विश्वविद्यालय तथा अन्तर्प्रान्तीय खिलाड़ियों एवं एथलीटों को रोजगार सुरक्षा देने की योजना

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर विश्वविद्यालय तथा अंतर्प्रान्तीय खिलाड़ियों एवं एथलीटों को रोजगार सुरक्षा (इम्प्लायमेंट जाब सिक्योरिटी) देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

जी नहीं, क्योंकि सम्प्रति राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना संभव नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अब इनके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परन्तु 16 जून को प्रेस वक्तव्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुलिस तथा सब इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत की वरीयता दी जायेगी तो यह जो उत्तर प्रदेश शासन ने प्रेस वक्तव्य दिया है उसमें प्रिफरेंस से क्या तात्पर्य है ?

श्रीमती दीपा–

संरक्षण की बात जो बता रहे हैं, वह प्राथमिकता है। यह रिजर्वेशन की बात तो नहीं है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मंत्रि परिषद् में कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो न कभी खेले हैं और खेल को बरबाद कर रहे हैं। खेल कूद में उत्तर प्रदेश की सरकार स्पोर्ट्स कालेज पर लाखों रुपया बर्बाद कर रही है। वहां पर 4-5 साल तक बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है और जब वह बच्चे वहां से निकलते हैं तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। यही कारण है कि आज शाही और जफर इकबाल जैसे खिलाड़ी रेलवेज में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी खेल में पिछड़ा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उन बच्चों के स्कूल से निकलने के बाद उनकी नौकरी की व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष–

आप भी तो खिलाड़ी हैं ।

श्रीमती दीपा–

माननीय सदस्य ने जो कहा उसके बारे में यही है कि प्राथमिकता दी जा रही है और शासन की तरफ से और भी सुविधायें दी जा रही हैं। 5 साल के जो हमारे अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको हम 5 साल की छूट देते हैं। इसके अलावा जो हमारी राज्याधीन सेवायें हैं उनमें 10 मार्क्स और 5 मार्क्स जुड़वाते हैं। यह हमारी सुविधायें हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक हमारी सरकार ने कितने अन्तर्विश्वविद्यालयीय खिलाड़ियों को किन-किन नौकरियों में सुविधा प्रदान की है ?

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास सूचना हो तो दे दीजिये । सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो खिलाड़ी होते हैं वे अन्य लोगों से प्रतिभा में कम होते हैं जो उनको सुविधा नहीं दी जाती है। क्या वह आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 से कम क्षमता रखते हैं।

श्रीमती दीपा–

जैसा कि मैंने अभी बताया कि हजारे यहां के इण्टरस्टेट व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको हम समुचित सुविधायें देते हैं और आगे भी देंगे ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन खिलाड़ियों को भारत सरकार द्वारा ''अर्जुन पुरस्कार'' प्राप्त हुए

हैं और ऐसे खिलाड़ी केवल 2 या 3 ही हैं और आज कल उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है तो क्या उन्हें मा0 मंत्री जी सुविधाएं दिलाने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती दीपा–

ऐसे खिलाड़ियों पर शासन स्वयं ध्यान दे ही रहा है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, हमारे प्रदेश व देश के अन्दर बहुत बड़े-बड़े व अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न हुए हैं परन्तु उन्हें कुछ अच्छी सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक तथा इण्टरस्टेट स्तर तक भी नहीं पहुंच सके । रोजगार के सम्बन्ध में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम ऊंचा हो सके तो ऐसे उदीयमान खिलाड़ियों के लिए क्या सरकार कोई खिलाड़ी भत्ता देने पर विचार करेगी जैसे कि बेरोजगार भत्ता दिया जाता है कई स्थानों पर । इसी प्रकार से इस पर भी विचार करेंगी?

श्रीमती दीपा–

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

(तत्पश्चात् मा0 अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'ग' का प्रश्न नं0 2 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह सरकार खेल विरोधी है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री गोपाल दास यादव एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अपहिल इलेक्ट्रानिक नामक संस्था का गठन

*2–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गये अपहिल इलेक्ट्रानिक्स नामक संस्था के प्रबन्धक मण्डल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) में कौन-कौन से सदस्य किन-किन योग्यताओं के आधार पर सम्मिलित किये गये हैं? पहाड़ों की विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक परिपेक्ष्य में इस संस्था को दि0 1 अप्रैल, 87 तक भी स्वतंत्र वित्तीय (पूंजी निवेश) प्रशासकीय तथा योजना निर्माण व क्रियान्वयन की सुविधा न देने एवं इस संस्था के प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्धक मण्डल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) में न लिये जाने के क्या कारण हैं ? पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के द्रुतगति से बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहां शीघ्र योजना निर्माण व क्रियान्वयन करने के लिये इस नवनिर्मित अपहिल इलेक्ट्रानिक्स को कुमायूं व गढ़वाल मण्डल विकास निगम के साथ पूंजी अंशधारी रखते हुए वर्तमान अपट्रान से पूर्णमुक्त कर स्वतंत्र इकाई बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक पर्व/78-3/87 दिनांक 2-3-87 पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किये गये अपहिल इलेक्ट्रानिक नामक संस्था के प्रबन्धक मण्डल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) में निम्नलिखित सदस्य उनके सामने अंकित योग्यताओं के आधार पर सम्मिलित किये गये हैं :—

1–श्री सी0 पी0 जोशी–अध्यक्ष, यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड तथा उ0 प्र0 सरकार के टेलीकम्यूनिकेशन सलाहकार ।

2–श्री सुरेन्द्र मोहन–उपाध्यक्ष तथा सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन ।

3–श्री के0 भूषण–बी0 एस सी0 बी0 ई0 आनरेरी डी0 बी0 एम0 उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ।

4–श्री ए0 गफ्फार–बी0 ई0 तकनीकी निदेशक, अपट्रान इन्डिया लिमिटेड और निदेशक, टेलीट्रानिक्स लिमिटेड ।

5–ब्रिगेडियर टी0 आर0 मलोत्रा–एम0 एस सी0 जनरल मैनेजर (पी एण्ड एस) अपट्रान इन्डिया लिमिटेड ।

6–श्री जैकब मथाई–बिजिनेस इक्जीक्यूटिव तथा निदेशक, सेजलेक इण्डिया लिमिटेड।

7–श्री अशोक कुमार–विशेष सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन ।

8–श्री के0 पी0 सिंह–प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम ।

9–प्रो0 एम0 एस0 बिष्ट–हेड आफ जे0 एण्ड के0 इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड फिजिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

10–श्री दीपक सिंघल–प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मडण्ल विकास निगम लिमिटेड ।

इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की स्थापना यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की सब्सिडियरी के रूप में की गई थी। यह तय हुआ था कि यह यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की अन्य सहायिकाओं (सब्सिडियरीज) की भांति कार्य करेगा । वर्तमान में यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन में प्रबन्ध निदेशक नहीं है । निगम के दैनिक कार्यों के निस्तारण हेतु अन्य सब्सिडियरीज की भांति एक मुख्य अधिशासी की नियुक्ति की गई है। मुख्य अधिशासी निदेशक मण्डल का स्थाई आमंत्री है। अभी इसे निदेशक मण्डल में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा गया । यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को अपट्रान से पूर्ण मुक्त कर स्वतंत्र इकाई बनाने हेतु माननीय प्रश्नकर्ता का पत्रांक 78-3/87 दिनांक 2 मार्च, 1987 प्राप्त हुआ था। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को अभी अपट्रान पर निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि उससे तकनीकी सहायता प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा अपट्रान की गुडविल का लाभ लिये बिना यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के उत्पादों की बिक्री में बाधायें आयेंगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि अपहिल इलेक्ट्रानिक्स के नाम से जो कारपोरेशन बना है, इसके बनने के पीछे इसका उद्देश्य यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गयी है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रानिक्स द्वारा इन क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा जब ही दिया जा सकता है जब प्रशासनिक योजनाएं बनाने के अधिकार भी दिए जाएं। तो मान्यवर, इस संबंध में मैं पहली बात यह जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड (इलेक्ट्रान्स एण्ड कम्युनिकेशन) बनाया है, इसकी बैठकें कब-कब हुयीं और इन बैठकों के करने से पूर्व तथा निर्णय लेने से पूर्व क्या जन-प्रतिनिधियों के सुझाव भी इसमें रखे गये और दूसरी बात यह जो सब्सीडी के रूप में अपहिल इलेक्ट्रान की इकाई को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने में ताकि पूरे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम औतार दीक्षित–

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अमूमन होती रहती है। उसकी एक मीटिंग कल भी हुई थी, कल तारीख थी 29-6-1987, दूसरी बात जो मा0 सदस्य ने पूछी है कि इसको बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं विचाराधीन हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटर रिबन केबल्स, इलेक्ट्रानिक्स आर्गन्स, इलेक्ट्रानिक्स खिलौने, इमरजेंसी लाइट आदि, वैकल्पिक ऊर्जा की परियोजना लगाने की योजना, फोटो डायोड्स परियोजना, निकिल कैडमियम सेल परियोजना, कम्प्यूटर, कलस्टर, कन्ट्रोलर, पोस्ट एवं टेलीफोन की अंशलरी, इलेक्ट्रानिक्स क्वार्टज क्लाक आदि की योजनाएं विचाराधीन हैं। ये सारी योजनाएं अपहिल कारपोरेशन द्वारा ही बनाई गयी हैं। तीसरी बात जो मा0 सदस्य ने पूछी कि इसकी वित्तीय स्वायत्तता दी गयी अथवा नहीं, तो इसको पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी गयी है।

श्री पूरन सिंह डाहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की भावनाओं को देखते हुए ही अपहिल इलेक्ट्रानिक्स संस्था का गठन किया गया था, जिसको पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाने का सारा काम सौंपा गया। तो क्या कारण है कि अपहिल इलेक्ट्रानिक्स नामक जो निगम बना है, उसके प्रबन्ध निदेशक को आज तक इसकी कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बनाया गया है, जो इसकी नीति का निर्धारण करती है। उसको कोई वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार भी नहीं दिए गये हैं। यदि ऐसा है तो क्या इस निगम को तोड़कर केवल अपट्रान से ही पर्वतीय क्षेत्र का काम चलाने की कृपा करेंगे?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि अभी इसके प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं की गयी है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक तरफ तो मंत्री जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपहिल कारपोरेशन की स्थापना की गयी है। दूसरी ओर इनका कहना है कि अपहिल कारपोरेशन अपट्रान की सबसिडियरी है। चूंकि अपट्रान उत्तर प्रदेश का एक निगम है और अपहिल कार्पोरेशन इसकी एक सबसिडियरी है, अतः उस पर अपट्रान का वर्चस्व रहेगा। यह भी सही है कि इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भी अपट्रान के ही लोग हैं और इसका एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवल आमंत्रित सदस्य होता है, उसकी कोई से नहीं है। वह अपनी कोई बात मनवा नहीं सकता है। तो अगर सरकार की मंशा यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स को बढ़ावा मिले और उस क्षेत्र का विकास हो तो उसको केवल सबसिडियरी मात्र रखकर और उसको वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता न देकर कैसे विकास किया जा सकेगा? मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपकी नीति है कि पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास होना चाहिये तो क्या अपहिल इलेक्ट्रानिक्स का अलग से बोर्ड आफ डायरेक्टर और अलग से मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(इस समय 12 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मा0 सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इसका बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अलग है। मा0 सदस्य को शायद यह भ्रम है कि यह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपट्रान का है, लेकिन यह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपहिल इलेक्ट्रानिक्स का है।

अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे पूरा पढ़कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर में सूचना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सारे सदस्य अपट्रान के हैं। मान्यवर, हमेशा यह दिक्कत रही है, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के जो मेम्बर्स हैं, वह अपट्रान से संबंधित हैं और वे ही नीति निर्धारित करते हैं अपहिल के बारे में। मान्यवर, यही सब वजह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो योजना बनती है, उसमें हमेशा अड़ंगे लगते हैं। इसी तरह से वहां सारा कार्यक्रम चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अपहिल के लिए अलग से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनाकर और जो आपने मुख्य अधिशासी की नियुक्ति की है, उसको प्रबन्ध निदेशक की पावर्स देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना दी कि यह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपहिल का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है। दूसरे, अपट्रान के भी कुछ लोग हैं लेकिन थोड़े हैं। अगर आप इस उत्तर को पूरा पढ़ें, तो स्थिति बिल्कुल सुस्पष्ट है।

मैं पढ़े दे रहा हूं पूरे लोगों की सूची। श्री सी0 पी0 जोशी, अध्यक्ष, यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 तथा उ0 प्र0 सरकार के टेलीकम्यूनिकेशन सलाहकार। श्री सुरेन्द्र मोहन . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो सब उत्तर में दिया हुआ है। यह आप बता ही चुके हैं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 10-3-87 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0–2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के पिछड़े जनपदों हेतु विश्व बैंक की इन्टेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट परियोजना की स्वीकृति

*4–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार विश्व बैंक की सहायता से घोषित 640 करोड़ रुपए की एक सड़क निर्माण की बृहत योजना कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रस्तावित योजना में बरेली मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, आगरा मण्डल तथा मेरठ मण्डल को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या मंत्री जी इन मण्डलों के कुछ जिले भी प्रस्तावित योजना के प्रथम चरण में ही शामिल किये जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

मत्स्य एवं सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

जी हां ।

प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े जनपदों जहां विश्व बैंक की इन्टेंसिव एग्रीकल्चर डेवेलपमेन्ट परियोजना स्वीकृत हुई है तथा दुग्ध उत्पादन योजना चलायी जा रही है, को ही प्रथम चरण के लिये चुना गया है। बरेली, मुरादाबाद, आगरा तथा मेरठ मण्डल उक्त परियोजनाओं में नहीं आते ।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका इसमें संरक्षण चाहता हूं। 640 करोड़ रु0 की शासन विश्व बैंक की सहायता से सड़क बनाने की योजना कार्यान्वित कर रहा है। उसमें से प्रदेश में 4 मण्डलों में एक किमी0 की सड़क भी नहीं ली जा रही है। उत्तर में कहा गया है कि अपेक्षाकृत पिछड़े जनपदों में जहां विश्व बैंक की इन्टेंसिव एग्रीकल्चर परियोजना स्वीकृत हुई है तथा दुग्ध उत्पादन योजना चलायी जा रही है, को चुना गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आज जो सड़कों की स्थिति है, उसकी बाबत मैं माननीय मंत्री जी के विभाग की ही वर्ष 1985-86 के कार्यकलापों का सिंहावलोकन तथा वर्ष 1986-87 के कार्यक्रम संबंधी पुस्तिका के पृ0 72-73 पर उल्लिखित आंकड़े देना चाहता हूं ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश लखनऊ और फैजाबाद मण्डल 60.85 कि0मी0 प्रति लाख जनसंख्या पर, दक्षिण मध्य क्षेत्र कानपुर–74.51 कि0मी0 प्रति लाख जनसंख्या पर और पूर्वी क्षेत्र में 60.70 कि0मी0 प्रति लाख जनसंख्या पर । अब देखें । उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बरेली–60.50 कि0मी0 प्रति लाख पर । क्षेत्रफल के आधार पर औसत लम्बाई प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 पर (बरेली) 26.09 ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न तो अपना करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, इन चारों मण्डलों में कम सड़कें होने के बावजूद, जैसा कि मैंने अपने मूल प्रश्न के दूसरे भाग में भी पूछा है, प्रति 100 वर्ग कि0मी0 तथा प्रति लाख जनसंख्या पर इनको विश्व बैंक की योजना में कोई हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हैं ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया आपके माध्यम से कि विश्व बैंक की योजनायें जहां पर चल रही हैं, को ही प्रथम चरण के लिए चुना गया है। मान्यवर, विश्व बैंक से प्रेषित सहायता से इस प्रदेश में मार्गों और पुलों का निर्माण पुर्ननिर्माण कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। विश्व बैंक के अध्यक्ष से बात हुई। वह वहीं पर पैसा देने के लिये तैयार हैं जहां पर उनकी योजनायें चलायी जा रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर हमेशा सड़कों की उपलब्धता नहीं है। पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में 21 जनपद हैं, जहां पर इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की योजनायें चलायी जा रही हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में दुग्ध उत्पादन की योजना है। प्रथम चरण में विश्व बैंक केवल इन्हीं 21 जिलों को लेने के लिए सहमत हुआ। सरकार की कतई यह मन्शा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कें न बनायी जायं। द्वितीय व तृतीय चरण में इन योजनाओं को अन्य भागों में लिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, शासन की एक नीति है कि अगर कोई क्षेत्र किसी चीज में पिछड़ा हुआ है तो उसकी पूर्ति हेतु उस क्षेत्र को बजट में अतिरिक्त बजट दिया जायेगा । यह शासन की घोषित नीति है। तो फिर क्या कारण है कि प्रदेश सरकार विश्व बैंक के दबाव में आकर अपनी घोषित नीति का पालन क्यों नहीं कर रही है ?

श्री सीताराम निषाद–

अगस्त, 1985 में जब विश्व बैंक के अध्यक्ष वाराणसी में आये थे तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का प्रयास किया था कि पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाय लेकिन प्रथम चरण में वह केवल पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश के लिए ही सहमत हुए । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो भाग छूट गये हैं, वहां पर सड़कों व पुलों का निर्माण हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से बात की जा रही है और उसके लिए अलग से योजनायें बनायी जा रही हैं।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मसला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ 1947 से जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है दो विश्व बैंक कर्जा देगी आपने इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना चालू कर दी और आपने दुग्ध उत्पादन योजना चालू कर दी लेकिन श्री बरार जी ने सड़कों के बारे में आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तक के जो आंकड़े दिये उससे यह साफ जाहिर है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से चार मण्डलों में, उसमें सड़कें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले बहुत कम हैं आबादी के हिसाब से । विश्व बैंक कर्जा देगा, परियोजना बनेगी और सड़कें बनेंगी और उस कर्जे की अदायगी उन 4 मण्डलों के नागरिक करेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की मांग करें तो उनको अंगूठा दिखा दिया जाय, यह सौतेला व्यवहार चलने वाला नहीं है। अगर यही रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग कोई रोक नहीं पायेगा ।

(घोर व्यवधान)

इसलिये मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये 4 मण्डल जो आपने छोड़े हैं, क्या उसके लिए भी कोई ऐसी योजना बनाने का कष्ट करेंगे ताकि वहां भी बराबरी हो सके ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सीताराम निषाद–

हमारे प्रदेश में विकेन्द्रित प्रणाली है। हर जिले में उसके पिछड़ेपन, उसकी जनसंख्या और मार्ग के सम्बन्ध में कितना पिछड़ा है, उसको देखकर योजनायें बनायी जाती हैं, पूर्वांचल और पश्चिमी का कोई प्रश्न नहीं है। उसके हिसाब से वहां सड़कें दी जाती हैं विकेन्द्रित प्रणाली के अन्तर्गत । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये भी, जहां पिछड़ा है, सड़कें दी जायेंगी। इसके लिए बात की जा रही है।

(विरोध पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, मुझे निर्णय तो देने दीजिये ।

(मा0 सदस्यों के बैठ जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए मैं इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करता हूं।

शुगर मिल्स लि0 सिंभावली, गाजियाबाद द्वारा कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान

*5–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सिंभावली शुगर मिल्स लि0, सिंभावली जनपद गाजियाबाद के ऊपर जनपद बुलन्दशहर के वि0 क्षेत्र बीबी नगर के कृषकों का सन् 1984 का कितना रुपया बकाया है ? इस रुपये को ब्याज सहित कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दि सिंभावली शुगर मिल्स लि0 सिंभावली, जनपद गाजियाबाद के ऊपर जनपद बुलन्दशहर के विकास क्षेत्र बीबी नगर के कृषकों का सत्र 1983-84 का समस्त देय गन्ना मूल्य का भुगतान दिनांक 3-9-84 तक कर दिया गया था । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, रायबरेली तथा उन्नाव को आवागमन से जोड़ने हेतु सई नदी पर पुल बनाने की मांग

*6–श्री शारदा प्रताप–

क्या सा0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, रायबरेली तथा उन्नाव जिलों को आवागमन से जोड़ने के लिए कुरी सुदौली नामक स्थान पर सई नदी पर पुल बनाने पर वे सक्रियता से विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बन जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण उच्च प्राथमिकता पर न आने के एवं धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

*7–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

केन्द्रीय कारागार, आगरा के भवन निर्माण में की गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

*8–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में करोड़ों रुपये की लागत से नव निर्मित केन्द्रीय कारागार की इमारत के निर्माण कार्य में लाखों रुपये का भ्रष्टाचार करते हुए उसमें बेहद घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई है जिसके कारण आधुनिक और निर्माण की दृष्टि से आदर्श बताये गये इस कारागार की खस्ता हाल दीवारों का प्लास्टर छूते ही गिरने लगता है एवं छतें टपकने, दीवारें चटखने तथा फर्श धसकने लगते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में निर्माण कार्य से संबंधित दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

केन्द्रीय कारागार, आगरा के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार तथा घटिया किस्म की सामग्री लगाने आदि के बारे में शासन को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन पर कारागार महानिरीक्षक को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि इसकी जांच टेकनिकल आडिट सेल द्वारा कराई जाय।

*9–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*10–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[दिनांक 10-3-87 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

बस्ती एवं गोण्डा जनपद की कतिपय चीनी मिलों को किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि की भुगतान हेतु निर्देश

*11–कर्नल केशरी सिंह–

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की वाल्टरगंज, बस्ती एवं बभनान चीनी मिलों पर किसानों को गन्ना का कितना-कितना मूल्य 1986 तक वर्षवार बकाया है एवं शासन इस बकाये को किसानों को शीघ्र ब्याज के साथ भुगतान कराने की क्या व्यवस्था कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जिले की वाल्टरगंज, बस्ती एवं गोण्डा जिले की बभनान चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का दिनांक 15-6-87 की स्थिति के अनुसार वर्षवार बकाया निम्नलिखित है :–

वर्ष	वाल्टरगंज	बस्ती	बभनान
	(लाख रु0)	(लाख रु0)	(लाख रु0)
1981–82 से पूर्व	0.06	शून्य	.10
1981–82	3.26	शून्य	शून्य
1982–83	शून्य	शून्य	शून्य
1983–84	शून्य	शून्य	शून्य
1984–85	11.87	शून्य	शून्य
1985–86	शून्य	0.11	50.00
योग ..	15.19	0.11	50.10

वर्ष 1985-86 तक के बकायों का भुगतान कराने हेतु वाल्टरगंज एवं बभनान चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं तथा बस्ती चीनी मिल के बकाया के शीघ्र भुगतान हेतु चीनी मिल को निर्देश दिये गये हैं।

*12–श्री मित्रसेन—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

*13–श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

[5वें शुक्र0 के तारा0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*14–श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*12–श्री रमेश चन्द्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीतापुर एवं लखनऊ की दो औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही

*16–श्री मयंकर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गलत नीतियों के कारण ही दिसम्बर, 86 के मध्य में लखनऊ नगर में गोमती नदी का जल अति प्रदूषित हो गया था जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गयी थीं और नगर के नागरिकों के समक्ष जल संकट की समस्या पैदा हो गयी थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो घटना से पूर्व सर्तकता न बरतने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिसम्बर, 1986 में गोमती नदी के प्रदूषण की घटना उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गलत नीतियों के कारण नहीं हुई है बल्कि जनपद सीतापुर एवं लखनऊ की दो औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह को नदी में डालने के फलस्वरूप घटी है ।

जांच में भी घटित घटना के लिये मुख्यतः इन्हीं दोनों इकाईयों को दोषी पाया गया है ।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन दोनों ही इकाईयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की गई है । घटना के बारे में भी दिनांक 31-12-86 को बोर्ड द्वारा इन इकाईयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है । माननीय उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका में दिये गये अपने फैसले दिनांक 6-2-87 में इन दोनों ही इकाईयों को दिसम्बर, 87 तक शुद्धिकरण संयत्र स्थापित करने के निर्देश दिये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*17–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री बैजू, मजदूर इण्डिया पैस्टीसाइड्स, वाटर वर्क्स रोड, एशबाग, लखनऊ की ट्रक दुर्घटना से मृत्यु

*18–श्री गोपाल दास यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इण्डिया पैस्टीसाइड्स, वाटर वर्क्स रोड, एशबाग, लखनऊ में उत्पादित होने वाले रासायनिक पदार्थ के प्रदूषण से उस

क्षेत्र में बसने वाली जनता के स्वास्थ्य पर जानलेवा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थान द्वारा अब विषैले पदार्थों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण पहली अक्टूबर, 1986 को कारखाने के परिसर के अन्दर ही एक ट्रक क्लीनर की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने तथा कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का आदेश करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

इण्डिया पेस्टीसाइड एशबाग, लखनऊ में उत्पादित होने वाले रासायनिक पदार्थ के प्रदूषण से उस क्षेत्र में बसने वाली जनता के स्वास्थ्य पर जान लेवा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस उद्योग के द्वारा पेस्टिसाइड फारमुलेशन (मिश्रण) का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में वायु तथा जल प्रदूषण नहीं होता है।

वस्तुस्थिति यह है कि इन्डिया पेस्टीसाइड के पार्श्व में एक अन्य इकाई मेसर्स स्वरूप केमिकल्स स्थित है और यह इकाई भी पेस्टिसाइड का फारमुलेशन करती है। इस इकाई की एक शाखा, जिसमें क्लोरिन गैस का प्रयोग होता था, में गैस लीकेज की दुर्घटना हुई थी। अतः 1984 में इस शाखा को हटाकर तिवारीगंज चिनहट में स्थापित किया जा चुका है ।

जहां तक पहली अक्टूबर, 1986 को मेसर्स स्वरूप केमिकल्स के परिसर में एक ट्रक क्लीनर की मृत्यु का प्रश्न है इस बारे में वास्तविक स्थिति यह है कि मृत्यु ट्रक क्लीनर की नहीं हुई है वरन् ट्रक क्लीनर द्वारा लापरवाही से ट्रक पीछे करते समय एक मजदूर श्री बैजू पुत्र श्री कलेश्वर की हुई है। मृत्यु का कारण प्रदूषण न होकर ट्रक दुर्घटना है।

क्योंकि मृत्यु का कारण ट्रक दुर्घटना है अतः प्रदूषण के परिपेक्ष्य में 1-10-86 की घटना के बारे में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

*19–श्री सरदार सिंह–

[6वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भारत सरकार को गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारण तथा लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण का विधिक अधिकार

*20–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सरकार किसी ऐसे टैरिफ बोर्ड की स्थापना का विचार कर रही है जो गन्ने और चीनी के मूल्य निर्धारण का न्यायोचित फार्मूला तैयार करेगा ? यदि हां, तो इसका गठन कब तक हो जाएगा तथा इसका स्वरूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शुगर केन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 की धारा–3(1) के अधीन गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारण का तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 (सी) के अधीन लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण का विधिक अधिकार भारत सरकार में निहित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित प्रकरण पर किसी प्रकार के टैरिफ बोर्ड की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के गाँवों को जनसंख्या के आधार पर मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग

2—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के मुताबिक प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या एक हजार या उससे अधिक है, मोटर मार्ग से जोड़ने का संकल्प सातवीं पंचवर्षीय योजना में है ? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को प्रदेश में मोटर मार्गों से जोड़ा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में कितने ऐसे गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के गांव समूहों को पक्के मार्गों से जोड़ने की योजना

4—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पहाड़ों में एक हजार या उससे ऊपर की जनसंख्या के गांव उपलब्ध न हों तो क्या मोटर मार्ग से दूर दराज के इलाकों में स्थित गांवों के समूहों को मोटर मार्ग से जोड़ने की कोई योजना पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक क्रियान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर पर्वतीय क्षेत्र में 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांव समूहों को पक्के मार्गों से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़े जाने का राष्ट्रीय लक्ष्य है, जिसकी पूर्ति आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उ0 प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालय लिपिक संघ के मांग पत्र पर कृत कार्यवाही

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में उ0 प्र0 सा0 नि0 वि0 वृत्तीय कार्यालय लिपिक संघ के महामंत्री श्री प्रदीप नागर की ओर से प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ कोई मांग पत्र 11-12-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मांगें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उनकी मांगों का विवरण तथा उन पर कृत कार्यवाही की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "क" पर अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 150 पर)

उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों के कृषकों को आलू व फल उत्पादन क्षेत्रों में उचित मूल्य की व्यवस्था

6–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों के आलू व फल उत्पादन क्षेत्रों में शीत गृह न होने के कारण वहां के उत्पादन का उचित मूल्य कृषकों को नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों में शीत गृह खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नहीं । पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित आलू की अधिकांश मात्रा मैदानी क्षेत्र में बीज के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिसके बदले कृषक को अपेक्षाकृत उचित मूल्य मिल जाता है। अतः इसके भण्डारण हेतु शीतगृह की कोई आवश्यकता नहीं है। फलों के भण्डारण हेतु व्यक्तिगत क्षेत्र में कुल हाउस के निर्माणार्थ 15000 रुपया विभाग द्वारा ऋण के रूप में उद्यानपतियों को वितरित किया जा रहा है। अतः फलों के भण्डारण की व्यवस्था उद्यानपतियों द्वारा स्वतः की जा रही है।

जनपद उत्तरकाशी (नौगांव) में एक शीतगृह बनाया जा रहा है।

लागू नहीं होता ।

वन विभाग द्वारा यूकेलिप्टस के पेड़ों की लकड़ी बिक्री करने का प्रस्ताव

7–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरों और ग्रामों में जो व्यक्ति यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रहे हैं उसकी बिक्री की वन विभाग द्वारा कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

जी नहीं ।

बाजार मांग पर्याप्त होने के कारण यूकेलिप्टस प्रजाति की लकड़ी की बिक्री की वर्तमान में कोई समस्या ही नहीं है।

लखनऊ के उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर कार्यालय की शिफ्टिंग

8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के उपायुक्त (शा0) बिक्री कर के कार्यालय को बिक्रीकर विभाग के नये भवन में शिफ्ट करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 139 संस्थागत वित्त को ता0 3-4-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त कार्यालय कब तक शिफ्ट हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नानपारा हाउस में स्थित कार्यालय का कितना किराया दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उपायुक्त (शा0) कार्यालय नानपारा हाउस, स्थानाभाव के कारण नये भवन में शिफ्ट करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इसका किराया रुपया 2,000 प्रति माह दिया जाता है।

9–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 10-3-87 को अता0 प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तरित]

पौड़ी से देवप्रयाग मोटर मार्ग में गंगा पर पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब

10–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी से देवप्रयाग मोटर मार्ग पर देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा के ऊपर पुल बनाने का शिलान्यास वर्ष 1979 में तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री के द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो धन के आवंटन के बाद भी अभी तक यह पुल क्यों नहीं बन पाया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु के एबटमेन्ट एवं पहुंच मार्ग का अधिकांश कार्य हो चुका है । उक्त मुख्य सेतु के निर्माण में आ रही कठिनाइयों के कारण अभी तक यह पुल नहीं बन पाया है जिन्हें दृष्टिगत रखते हुये अन्तिम निर्णय लेने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होते ही पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

11–श्री गौरी शंकर भइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

12–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

13–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फैजाबाद के मिझौड़ा में मड़हा नदी पर पक्का पुल निर्माण कराने की मांग

14–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में तिवारीपुर नन्सा बाजार मार्ग पर मिझौड़ा में मड़हा नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 3-10-86 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त पुल का निर्माण कराकर मिझौड़ा गांव को कटेहरी बाजार की मुख्य सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां ।

पुल के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या व संस्तुति मांगी गई एवं आख्या प्राप्त होने पर इसका परीक्षण किया गया ।

यह प्रदेश में आवश्यक पुलों की वरीयता सूची में प्रश्नगत पुल की प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

आयोग द्वारा चयनित प्रवर वर्ग सहायक की उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्ति

15–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा 1981 में संचालित उ0 प्र0 सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा में कितने आवेदक सफल घोषित किये गये थे ? क्या उन्हें नियुक्ति दे दी गयी ? यदि हां, तो कब ? तो यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुल 150 आवेदक सफल घोषित किये गये थे ।

इनमें से दिनांक 22-10-83 तक 149 को नियुक्ति दे दी गई । एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकी ।

इलाहाबाद में तरणताल बनाने की योजना

16–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में 50 मीटर का तरणताल बनने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक तैयार होने की आशा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हां । सम्प्रति भूमि की उपलब्धता के अभाव में प्रश्नगत निर्माण कार्य के तैयार होने की अवधि निश्चित करना संभव नहीं है ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के वर्तमान निदेशक की नियुक्ति के विरुद्ध शिकायत

17–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति स्थानीय निधि लेखा विभाग की किस सेवा नियमावली के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर की गयी है ? क्या तदर्थ रूप से नियुक्ति किसी चयन समिति के निर्णय के अनुसार की गयी है ? यदि हां, तो इस चयन समिति की बैठक किस तिथि को हुई थी तथा उसके सदस्य कौन-कौन थे ? यदि नहीं, तो चयन समिति की औपचारिकता पूर्ण क्यों नहीं की गयी जबकि इस विभाग के अन्य राजपत्रित अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति चयन समिति की संस्तुतियों पर की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के वर्तमान निदेशक न तो कार्यवाहक निदेशक हैं और न वे तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये हैं ।

18—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा विभाग के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक अपने संयुक्त निदेशक के पद के साथ-साथ निदेशक के पद का कार्य भी दिनांक 1 सितम्बर, 1984 से कर रहे हैं? यदि हां, तो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 4—9 के अन्तर्गत निर्धारित 9 माह की अवधि से अधिक अवधि के लिए इनकी नियमों के विपरीत नियुक्ति के लिए उत्तरदायित्व किस पर है? इस अनियमित नियुक्ति के लिए वर्तमान कार्यवाहक निदेशक को अनियमित रूप से किये गये भुगतान की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जायगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

19—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 एन0 उपाध्याय सीनियर आडिटर बनाम उ0 प्र0 शासन की एक रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने बाद में दिनांक 27 सितम्बर, 1985 को निर्णय लिया गया है कि पद की रिक्ति के समय लागू सेवा नियमावली के अनुरूप नियुक्ति की जानी चाहिए जिसे शासन ने माना है? यदि हां, तो निदेशक पद हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में उक्त निर्णय न मानने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान निदेशक का नियमित चयन रिक्ति के समय लागू सेवा नियमावली में पात्रता के प्राविधानों को ध्यान में रखकर ही किया गया है।

जनपद जौनपुर में बीबीगंज से अरसिया मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य

20—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज में बीबीगंज से अरसिया मार्ग पर जो कई वर्षों से पुल का निर्माण कार्य हो रहा है और अभी तक पूर्ण नहीं किया गया? इसमें जिन अभियन्ताओं द्वारा अनियमितता बरती जा रही है उनके विरुद्ध क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रश्नगत कार्य दिसम्बर, 83 में स्वीकृत किया गया तथा प्रशासकीय स्वीकृति अक्टूबर, 1984 में दी गयी एवं कार्य जनवरी, 86 में प्रारम्भ किया गया। कार्य प्रगति पर है।

कार्य में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

21—श्री हर्षवर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सहकारी चीनी मिल, बागपत द्वारा कोयले की खरीद

22—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल, बागपत में वर्ष 1983-84 के सीजन में जो कोयला खरीदा गया था उस कोयले को प्रयोग में क्यों नहीं लिया गया तथा उसको रिजेक्ट करने के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1983-84 के सीजन के प्रारम्भ में मिल समिति के पास 253.835 मी0 टन कोयला अवशेष था । पेराई सत्र 1983-84 में 1835.765 मी0 टन कोयला क्रय किया गया था । इस प्रकार मिल समिति के पास कुल मिलाकर 2089.600 मी0 टन कोयला उपलब्ध था । इसमें से कुल 1517.105 मी0 टन कोयला मिल द्वारा आलोच्य सीजन में प्रयुक्त किया गया तथा पेराई सत्र की समाप्ति पर कोयले के चूरा सहित कुल 572.495 मी0 टन कोयला अवशेष रह गया था। वर्ष 1983-84 में कोई कोयला रिजेक्ट नहीं किया गया था।

जनपद झांसी में अमगांव रजवाहा पर पक्की सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

23—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में अमगांव रजवाहा पर ग्राम पचोवई से ग्राम बटौदा तक पक्की सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम वासी बरौदा के दिनांक 9 जून, 82 के पत्र द्वारा जो शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसके सम्बन्ध में श्री जे0 सी0 तायल, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 30 नवम्बर, 1983 को पत्र संख्या 98/8/23-सा0 नि0 अनु0 1423(8) ई/82 के द्वारा जिलाधिकारी, झांसी को जिला सेक्टर योजना में विचार कर कार्यवाही करने को लिखा था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि ग्रामवासी का पत्र दिनांक 7 जून 82 प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी, झांसी को जिला योजना के अंतर्गत विचार करने हेतु भेज दिया गया था । उक्त प्रस्ताव पर जिला समिति द्वारा विचार किया गया था किन्तु मार्ग, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने के कारण, जिला समिति द्वारा स्वीकृति हेतु, अनुमोदित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोटद्वार—कालागढ़ मोटर मार्ग के निर्माण पर व्यय एवं यातायात व्यवस्था

24—श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार कालागढ़ मोटर मार्ग पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ? क्या यह मोटर मार्ग यातायात के लिये खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोटद्वार कालागढ़ मोटर मार्ग पर अप्रैल, 1987 तक कुल 186.33 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

कोटद्वार–कालागढ़ मोटर मार्ग का कि0मी0 1 से 23 तक एवं कि0मी0 47 से आगे का भाग यातायात के लिये खुला है। मार्ग के शेष भाग में वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है।

कोटद्वार–दुगड्डा एवं मैदावन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

25–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार, सेन्धीखाल, मैदावन मोटर मार्ग की लम्बाई क्या है ? यह मार्ग किस विभाग ने कब बनाया है तथा कितना धन इस मार्ग पर व्यय किया गया है ? क्या यह मार्ग सा0 नि0 वि0 में स्थानान्तरित हो गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोटद्वार–दुगड्डा-सेन्धीखाल होते हुए मैदावन तक मोटर मार्ग की लम्बाई 77 किमी0 है ।

प्रश्नगत मार्ग का कोटद्वार से दुगड्डा तक का 15 किमी0 भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुराना मोटर मार्ग है। दुगड्डा से सेन्धीखाल-मैदावन तक का 62 किमी0 भाग वन विभाग का पुराना मार्ग था जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तथा जिस पर अप्रैल, 1987 तक कुल 94.83 लाख रुपया व्यय हो चुका है ।

दुगड्डा से प्रथम 12 किमी0 भाग की वन भूमि तथा किमी0 13 की निजी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हो चुकी है। शेष लम्बाई में वन भूमि का हस्तान्तरण अपेक्षित है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैठाणाघाट मार्ग पर पुल निर्माण

26–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैठाणाघाट पैदल मार्ग पर पुल कब बना व क्या यह पुल यातायात के लिये खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैठाणाघाट पैदल मार्ग पर पुल का निर्माण मार्च, 1987 में पूर्ण हो चुका है तथा मार्च, 1987 में ही उसे यातायात हेतु खोल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–श्री राम जनम–

[सदन की सेवा से मिलम्बित होने के कारण हटाया गया]

देहरादून में निर्मित चूने के भट्टे का स्थानान्तरण

28–श्री किशोरी लाल सकलानी–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि देहरादून शहर में निर्मित चूने के भट्टे कहीं दूसरे स्थान पर परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो किस स्थान पर और कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा गठित दून वैली बोर्ड की छठी बैठक में चूने के भट्ठों को स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर परिषद् के समस्त सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है।

इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु संस्तुति देने के लिए दून वैली बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के सदस्यों द्वारा दून वैली क्षेत्र में स्थित चूने के भट्ठों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण माह जनवरी, 1987 के प्रथम सप्ताह में किया जा चुका है। उक्त समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

29–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत शक्कर विशेष निधि से पुलियों का निर्माण कार्य

30–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सत्य है कि गन्ना विकास विभाग द्वारा रा0 ग्रा0 रो0 योजना के अन्तर्गत सम्पन्न मिट्टी के कार्य व सड़कों को पानी के कटाव से बचाने के लिये अंशदायी आधार पर पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है और इस कार्य हेतु शक्कर निधि से प्राप्त 63.00 लाख रुपया की धनराशि से 1000 पुलियों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो बस्ती जनपद में गन्ना विकास परिषद् गोविन्द नगर (वाल्टरगंज) द्वारा निर्मित भरौली अरदा पचारी मार्ग पर अब तक पुलियों का निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रा0 ग्रा0 रो0 योजना के अन्तर्गत सम्पन्न मिटटी के कार्य को पानी के कटाव से बचाने के लिये अंशदायी आधार पर लिंक रोड योजना में सड़कों एवं पुलियों के निर्माण हेतु शक्कर विशेष निधि से वर्ष 1981-82 व 1983-84 में कुल 113 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

प्रश्नगत सड़क पर तीन पुलियों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित था जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत कतिपय मार्गों को पक्का करने की मांग

31–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना में बनी सोलिंग की सड़कों को पक्का कराने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में गन्ना विकास विभाग को शासन द्वारा एक करोड़ रुपया अनुदान उपलब्ध कराया गया है जिसमें 100 कि0मी0 सड़कों को पक्का कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद में रा0 ग्रा0 रो0 योजना के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद्, गोविन्दनगर द्वारा निर्मित भरौली अरदा पचारी मार्ग को पक्का न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, अंशदायी आधार पर अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत राजकीय अंश के रूप में व्यय वहन हेतु वर्ष 1985-86 में एक करोड़ रुपये का सहायक अनुदान प्रश्न गत योजनाओं के अन्तर्गत खड़न्जा निर्मित सड़कों को पक्की कराने हेतु, इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि 50 प्रतिशत व्यय लाभान्वित संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा । चूंकि गन्ना विकास परिषद् गोविन्दनगर लाभान्वित संस्थाओं का अंश उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, अतः प्रश्नगत सड़क को पक्का कराया जाना संभव नहीं हो सका है ।

स्व0 विपिन बिहारी बाजपेयी, संदर्भ लिपिक सचिवालय प्रशासन शाखा के आर्थिक देयों का भुगतान

32–श्री शारदा प्रताप –

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10239/बीस-ई-22/अधि0/76 दिनांक 15-12-80 द्वारा स्व0 विपिन बिहारी बाजपेयी सचिवालय प्रशासन शाखा का 1-4-65 से संदर्भ लिपिक के पद पर स्थायीकरण किया गया था और स्व0 श्री बाजपेयी का निधन 29 मार्च, 1980 को उनके सेवाकाल में हो गया था ? यदि हां, तो क्या स्थायीकरण के फलस्वरूप दिनांक 1-4-65 से 29-3-80 (मृत्यु तिथि) तक का बकाया वेतन, ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन की धन-राशि का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त बकाये की धनराशि का भुगतान शीघ्र करायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । भुगतान अभी नहीं किया गया है । इनके स्थायीकरण के मामले का पुनरावलोकन किया जा रहा है ।

गन्ना सहकारी समिति लि0 मुण्डरेवा, बस्ती के सचिव द्वारा क्रय सामग्री

33–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति लि0 मुण्डरेवा, जिला बस्ती के सचिव ने 1984-85 व 1985-86 में कौन-कौन सा सामान एक हजार रुपये से अधिक का खरीदा ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत गन्ना समिति के प्रशासक (जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती) की पूर्व स्वीकृति के पश्चात गन्ना सहकारी समिति मुण्डरेवा द्वारा वर्ष 1984-85 में 20,250 रुपये के 6 अदद त्रिपाल क्रय किये गये । वर्ष 1985-86 में 1000 रुपये से अधिक का कोई सामान क्रय नहीं किया गया ।

कमला नेहरू तकनीकी विद्यालय, सुल्तानपुर में प्रवेश सम्बन्धी कथित अनियमितताओं की शिकायत

34—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कमला नेहरू तकनीकी विद्यालय, सुल्तानपुर में बैचलर आफ टेक्नालाजी, बैचलर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री में प्रवेश हेतु 1986 में परीक्षा ली गई है ? यदि हां, तो परीक्षा में की गई धांधली, अनियमितताओं आदि के विरुद्ध जुलाई, 1986 से नवम्बर, 1986 तक कुल कितनी शिकायतें शासन तथा अधिकारियों को प्राप्त हुईं ? उन आरोप पत्रों में क्या अनियमिततायें एवं धांधली की शिकायत की गयी है और उसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? किस अधिकारी ने जांच किया और कौन-कौन दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र होने पर स्थिति से अवगत कराया जायेगा ।

35—श्री गौरी शंकर भइया—

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के अन्नवां-औरंगानगर मार्ग की पटरियों की मरम्मत

36—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित अन्नवां-औरंगानगर (पहितीपुर) मार्ग की दोनों पटरियों की मिट्टी कट-कर बह गयी है और समुचित रख-रखाव के अभाव में सड़क की दोनों पटरियों पर गड्ढे हो गये हैं जिससे उनपर चलना असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत न कराने और रख रखाव की उपेक्षा के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने में शासन को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 की बरसात में पटरी पर गड्ढे हो गये थे । उन्हें रख रखाव मद से ठीक करा दिया गया है । अब पटरी ठीक स्थिति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिल राम कोला, देवरिया के मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

37—श्री रणजीत—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अभय प्रताप सिंह, महामंत्री, कारपोरेशन चीनी मिल कर्मचारी संघ राम कोला, जि0 देवरिया का मुख्य अभियन्ता पर धन अर्जित करने, नियम विरुद्ध कार्य करने संबंधी गम्भीर आरोपों का ज्ञापन पत्र सं0 136/86 दिनांक 30-8-86, 143/86 दिनांक 17-9-86 व 146/86-87 दिनांक 11-11-86 व पत्र दिनांक 18-11-86 आदि स्वयं का तथा माननीय जन प्रतिनिधि श्री गौरी भइया, रणजीत सिंह का प्रबन्ध निदेशक आदि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री अभय प्रताप सिंह के दिनांक 30-8-86 के ज्ञापन के अलावा प्रश्न में उल्लिखित अन्य ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुए हैं । प्राप्त ज्ञापन/पत्रों पर जांच करायी जा रही है ।

श्री अभय प्रताप सिंह, महामंत्री, कारपोरेशन चीनी मिल राम कोला देवरिया, का निलम्बन

38–श्री रणजीत–

क्या गन्ना मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-12-86 को श्री अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल रामकोला चीनी मिल के निरीक्षण के समय, मिल कर ज्ञापन दिया था ? क्या यह भी सही है कि ज्ञापन से नाराज होकर मुख्य अभियन्ता ने एक माह बाद उन्हें निलम्बित करा दिया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं तथा ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री अभय प्रताप सिंह का दिनांक 20-12-86 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है । उत्तर प्रदेश के वैकुम पैन चीनी मिलों में लागू स्थाई आदेशों के अन्तर्गत वर्णित अपचार करने के कारण श्री अभय प्रताप सिंह के विरुद्ध जांच संस्थित की गई । जांच की निष्पक्षता हेतु जांच कार्यवाही पूरी होने हेतु तथा तदनुसार आदेश पारित होने तक श्री अभय प्रताप सिंह को निलम्बित किया गया है । इस निलम्बन का कोई संबंध उक्त ज्ञापन देने से नहीं है। श्री अभय प्रताप सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन दिनांक 20-12-86 की प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 151 पर)

जिला योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग बलिया को आवंटित धनराशि

39–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग बलिया को वर्ष 1985-86 में और वर्ष 1986-87 में विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कुल कितनी धनराशि स्वीकृत थी ? क्या यह सही है कि एस0 एन0 डी0 के समय से स्वीकृति न मिलने से स्वीकृत कार्य समय से प्रारम्भ नहीं होते और स्वीकृत धन का समय के अन्दर उपयोग नहीं हो पाता ? यदि हां, तो सरकार इस विलम्ब को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बलिया को वर्ष 1985-86 में 240.80 लाख रुपये एवं वर्ष 1986-87 में 196.50 लाख रुपये की धनराशि, व्यवस्थापन व्यय को छोड़कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृत हुई थी ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

41–43–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

44–श्री मित्रसेन–

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

45–श्री राज किशोर सिंह –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

46–श्री राज किशोर सिंह –

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

मत्स्य पालन सहकारी समिति, सेहरी-बुजुर्ग, बस्ती का गठन एवं विभागीय जांच

47–श्री दिवाकर विक्रम सिंह –

क्या मत्स्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य पालन सहकारी समिति, सेहरी बुजुर्ग, पो0 पथरा बाजार, विकास खण्ड मिठवल, जिला बस्ती का पंजीकरण कब हुआ ? इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं और किन-किन जातियों के हैं ? समिति के संचालक मण्डल का गठन कब हुआ था और पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? क्या इस समिति के हिसाब किताब की जांच नियमानुसार प्रत्येक वर्ष की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सीता राम निषाद –

समिति का पंजीकरण दिनांक 25-2-60 को हुआ था ।

समिति में कुल 65 सदस्य हैं जो सभी मछुआ जाति के हैं । समिति में प्रशासक नियुक्त है अतः निर्वाचित पदाधिकारी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

समिति के हिसाब किताब की जांच लेखा सम्परीक्षक, सहकारी समितियों द्वारा तथा विभागीय निरीक्षक द्वारा की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य सहकारी समिति शहरी बुजुर्ग, बस्ती की सदस्यता हेतु आवेदन-पत्र

48–श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड मिठवल जनपद बस्ती के बछनी ताल तथा उसके आस-पास के अन्य कई ग्रामों के मछुआ समुदाय के लोगों का कोई प्रार्थना-पत्र मत्स्य विभाग बस्ती कार्यालय में मत्स्य सहकारी समिति शहरी बुजुर्ग पो0 पथरा बाजार विकास खण्ड मिठवल जिला बस्ती में सदस्य बनाये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित है कि सहकारी समिति का संचालक मण्डल उपरोक्त व्यक्तियों को सदस्य बनाने में टाल मटोल कर रही है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सीता राम निषाद—

जी हां, 22 व्यक्तियों का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बस्ती ने दिनांक 23-2-87 को समिति के सचिव को निर्देशित कर दिया है कि सम्बन्धित व्यक्तियों को सदस्य बना लिया जाय। निर्धारित प्रारूप पर सदस्य बनने हेतु संबंधित व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें सदस्य बना लिया जायेगा ।

श्री अवधेश सिंह, लिपिक सहकारी गन्ना समिति टिनिच, बस्ती का निलम्बन

49—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री अवधेश सिंह, लिपिक सहकारी गन्ना विकास समिति, टिनिच जनपद बस्ती के विरुद्ध कैश तथा किसानों की पर्चियों के भुगतान में घोर अनियमिततायें बरते जाने के सम्बन्ध में तमाम शिकायती-पत्र विभाग को प्राप्त हुये हैं, जिसकी जांच माह जुलाई, 86 में विभाग द्वारा कराई गई तथा जांच आख्या भी विभाग को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई तथा जांच आख्या क्या है? अब तक विभाग द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अवधेश सिंह, लिपिक, सहकारी गन्ना समिति टिनिच जनपद बस्ती के विरुद्ध गन्ना मूल्य भुगतान में अनियमिततायें करने, अनियमित खाद वितरण, कृषकों का धन खाते में जमा न करने, निर्माण कार्य में अनियमितता करने, डेड स्टाक का सही रख-रखाव न करने, चपरासी के मामले में न्यायालय में चल रहे वाद में फर्जी यात्रा-भत्ता लेने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुयी थी । शिकायतों की जांच, जांच दल द्वारा कराई गई । जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री अवधेश सिंह निम्न अनियमितताओं के लिये दोषी प्रतीत होते हैं:—

1—दो बार गन्ना मूल्य भुगतान,

2—कर्ज को बिना समायोजित किये हुये गन्ना मूल्य का भुगतान,

3—खाद व कीटनाशक वितरण में गोलमाल,

4—गन्ना मूल्य भुगतान में अनियमितता,

5—कर्मचारियों के वेतन से वसूली हेतु पारित आदेश का अनुपालन न करना,

6—ओवर डेटेड पर्चियों का भुगतान,

श्री अवधेश सिंह एवं अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश सक्षम अधिकारियों को दिये जा चुके हैं । श्री अवधेश सिंह को उप गन्ना आयुक्त/अध्यक्ष क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, अलीगढ़ के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन गाँधा से अतरौली मार्ग एवं पुल का निर्माण कार्य

50—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन गाँधा से अतरौली तक के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन मार्ग के अवशेष भाग पर खड़ंजा पूरे मार्ग पर पेन्टिंग और काली नदी पर पुल बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-9-86 का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की कुल लम्बाई क्या है और कितनी लम्बाई में कहां से कहां तक मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है? उक्त मार्ग पर कहां से कहां तक ईंटों का खड़ंजा डाला जा चुका है तथा शेष पर कब तक खड़ंजा डाल दिया जायगा ? उक्त पूरे मार्ग पर पेन्टिंग कार्य अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं और कब तक

पूरे मार्ग पर पेन्टिंग का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग पर काली नदी पर अभी तक पुल न बनाये जाने के क्या कारण हैं और उक्त पुल कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मार्ग की कुल लम्बाई 10.8 कि0 मी0 है, मार्ग के किलोमीटर 1 से 4 तक तथा उसके बाद काली नदी पर आवश्यक पुल के पहुंच मार्ग हेतु 0.50 कि0 मी0 लम्बाई का मार्ग छोड़कर 1.50 कि0 मी0 लम्बाई में तथा उसके बाद 1.3 कि0मी0 भाग छोड़कर मार्ग के अंतिम 3.5 कि0 मी0 लम्बाई के गौधा रेलवे स्टेशन तक मिट्टी और खड़ंजा का कार्य पूर्ण हो चुका है। पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण पुल के साथ पुल की स्वीकृति पर तथा शेष 1.3 किलोमीटर भाग का निर्माण भूमि उपलब्ध होने पर निर्भर है।

पूरे मार्ग पर पेन्टिंग का कार्य धनाभाव के कारण अभी स्वीकृत नहीं है, यह आवश्यक धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

काली नदी पर पुल का निर्माण संसाधनों की कमी की विवशता के कारण अभी स्वीकृत नहीं किया जा सका है, यह आवश्यक धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की निगरानी हेतु जिलों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का प्रस्ताव

51–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 में विकास कार्यों की निगरानी के लिए जिलों के कम्प्यूटरीकरण की कोई योजना है? यदि हां, तो अभी तक किन-किन जिलों में कम्प्यूटर इकाई की स्थापना हो चुकी है? एक इकाई की स्थापना पर लगभग कितना धन व्यय हुआ है तथा प्रत्येक के रख-रखाव पर कितने व्यय का अनुमान है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की निगरानी के लिये जिलों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग के नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर से अवश्य एक योजना की रूप रेखा प्राप्त हुई है। जिला स्तर पर सुल्तानपुर, रायबरेली आदि जनपदों ने राजस्व विभाग, डी0 आर0 डी0 ए0 या भारत सरकार के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कम्प्यूटर इकाई की स्थापना की है, जो किसी राज्य स्तरीय योजना के अन्तर्गत नहीं है।

बरेली नगर में बरेली बाई पास के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान

52–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर रोड को पीलीभीत रोड से जोड़ने के लिए बरेली नगर में जो बाई पास रोड बनाई गई है, उसके लिए किसानों से जो भूमि अधिग्रहित की गई थी, उसका मुआवजा बढ़ा कर देने के लिए सरकार ने आदेश दिये थे? यदि हां, तो उनको इस मुआवजे को न देने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान तुरन्त कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शाहजहांपुर रोड को पीलीभीत रोड से जोड़ने के लिए बरेली नगर में बरेली बाई पास के निर्माण में दस ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसमें अभिनिर्णय की घोषणा भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 के प्राविधानों के अन्तर्गत मई, 1973 से अप्रैल, 1976 के बीच किया गया था और बाद में न्यायालय के निर्देशानुसार बढ़ी दर पर प्रतिकर का भुगतान वर्ष 1980 से पूर्व किया जा चुका है। वर्ष 1984 में यथा-संशोधित भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की दरें केवल उन मामलों में लागू होती है जिनमें अभिनिर्णय 30.4.82 के बाद हुआ है। बरेली बाईपास के सम्बन्ध में संशोधित दरों पर प्रतिकर का भुगतान करने का कोई आदेश न तो शासन ने दिये हैं और न ही उसका कोई प्रश्न उठता है।

53–श्री आसान सिंह–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

54–श्री आसान सिंह–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा (बरेली) में की गई नियुक्तियों का विवरण

55–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा, बरेली में वर्ष 1985-86 व 86-87 में कुल कितनी नियुक्तियां किन-किन पदों के लिए की गई हैं? उन नियुक्तियों में कितने व किन-किन पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा (बरेली) में वर्ष 1985-86 व वर्ष 1986-87 में की गयी नियुक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रम-सं0	पद श्रेणी	कुल नियुक्तियां	कुल नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1	अति कुशल ..	4	..
2	कुशल ..	19	..
3	अर्द्ध कुशल ..	53	3
4	अकुशल।मजदूर	196	24
5	लिपिकीय ..	73	2
	योग ..	345	29

उप गन्ना आयुक्त, बरेली द्वारा मण्डल के विभिन्न गन्ना समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

56—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च व अप्रैल, 1985 में उप गन्ना आयुक्त बरेली द्वारा मण्डल की विभिन्न गन्ना समितियों में कितने लिपिक स्थाई किए गए हैं इनमें कितने अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के हैं तथा उनके नाम क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उप गन्ना आयुक्त, बरेली/अध्यक्ष, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा माह मार्च व अप्रैल, 1985 में बरेली मंडल की विभिन्न गन्ना समितियों में कार्यरत सामयिक कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी स्थाई पद पर नियुक्त किये गये हैं, जिनमें अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी नहीं है।

बिक्रीकर आयुक्त द्वारा जांच चौकी पर भेजे गये आदेश

57—श्री सरदार सिंह—

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त ने अपने आदेश सं0 चेक पोस्ट/7-भाग-2 (85-86)/808, दिनांक 28-9-85 के द्वारा गत आदेशों को रद्द करते हुए प्रदेश के बाहर जाने वाले माल के ट्रकों को चेकिंग करने से मुक्त कर दिया था जिसके कारण शासन को भारी राजस्व की हानि हुई थी ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश करने के क्या कारण थे ? क्या शासन जनहित में इन आदेशों को निरस्त कर दोषी आयुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिक्रीकर जांच चौकी पर उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का सम्भावित करापवंचन रोकने के लिए ही जांच की जा सकती है। प्रदेश के बाहर जो माल जाता है वह अधिकतर अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान की गयी बिक्री के फलस्वरूप अथवा कन्साइनमेन्ट आधार पर भेजा गया होता है। जो माल निर्माता अथवा आयातक द्वारा बिक्री के बिन्दु पर कर-योग्य है सामान्यत: उनके सम्बन्ध में किया गया करापवंचन ऐसे माल की जांच से ज्ञात नहीं हो सकता। तथापि प्रथम बिन्दु पर क्रयकर योग्य माल के संबंध में ऐसी जांच से करापवंचन जानकारी में आ सकता है।

बिक्रीकर आयुक्त के आदेश (परिपत्र) दिनांक 28-9-85 में इसी बात पर बल दिया गया है जिससे कि अनावश्यक कार्य से जांच चौकी का कार्य न बढ़े और वाहनों को रुकना न पड़े। इस परिपत्र द्वारा पूर्व में जारी किये गये किसी परिपत्र को रद्द नहीं किया गया है। आदेश से राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। फलस्वरूप आयुक्त के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी0 के0 दीक्षित तत्कालीन कारागार उद्योग निदेशक का उनके मूल विभाग में वापसी

58—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के तीसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या कारागार मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कारागार उद्योग निदेशक के पद पर कार्यरत श्री डी0 के0 दीक्षित को उनके मूल विभाग को वापस करने का आश्वासन देने बाद भी अभी तक वापस न भेजने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

श्री डी0 के0 दीक्षित तत्कालीन कारागार उद्योग निदेशक को उनके मूल विभाग में दिनांक 23-5-87 को वापस भेजा जा चुका है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में फर्म नरायन भण्डार डालीगंज के पंजीयन प्रार्थना-पत्र में हेरा-फेरी करने के संबंध में जांच

59–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 10 में स्थित फर्म नरायन भण्डार डालीगंज के वर्ष 75-76 के पंजीयन प्रार्थना पत्र में हेरा फेरी व कटिंग के बारे में सी0 आई0 डी0 की जांच सं0 615/82 चल रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच रपट का क्या परिणाम रहा? क्या यह सही है कि जांच के दौरान एक लिपिक श्री पी0 के0 वर्मा को इस आरोप में ता0 1-9-86 से सेवा से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मुख्य सचिव के अ0 शा0 पत्र सं0 4689 दिनांक 2-9-77 व शासनादेश सं0 2693/कार्मिक-1/81 दिनांक 18-2-81 के अनुसार जब सी0 आई0 डी0 जांच आरम्भ हो जाती है तब विभागीय कार्यवाही रोक दी जाती है ? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 की जांच के दौरान श्री वर्मा को सेवा से कैसे अलग किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद के बिक्रीकर बकाये के संबंध में शिकायती-पत्र

60–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 45 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 473 पत्र सं0 89 की प्रतिलिपि के साथ व पत्र सं0 89 मुख्य मंत्री को क्रमशः ता0 5-4-86 व 10-9-85 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तब पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है।

61–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

62–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कुमायूं विकास निगम के पास उपलब्ध वाहनों का विवरण

63—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं विकास निगम के पास दिनांक 15-7-85, 10-11-86 तथा 1 अप्रैल, 87 को अलग-अलग क्रमशः कुल कितने वाहन थे, इनमें से कौन-कौन से वाहन विगत 5 वर्षों में किन-किन आवश्यकताओं के लिए क्रय किये गये ? इस क्रय के लिए शासन से पूर्व स्वीकृति किन-किन तिथियों को प्राप्त हुई ? क्या यह सही है कि उपरोक्त वाहन मूल कार्यों के विपरीत अधिकारियों के निजी कार्यों में लगे रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच हेतु स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, संवाददाताओं युक्त उच्च स्तरीय कमेटी बैठाकर जांचोपरान्त उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

निगम के पास दिनांक 15-7-85 को निम्न वाहन थे :—

1—स्टाफ कार	5
2—जीप	3
3—ट्रक (छोटा-बड़ा)	2
4—टूरिस्ट बस	3
5—टूरिस्ट टैक्सी	5

निगम के पास दिनांक 10-11-86 को निम्न वाहन थे :—

1—स्टाफ कार	6
2—जीप	3
3—ट्रक (छोटा/बड़ा)	2
4—स्वराज माजदा	2
5—टूरिस्ट बस	4
6—टूरिस्ट टैक्सी	5
7—टैंकर	1

दिनांक 1-4-87 को निगम के पास निम्न वाहन थे :—

1—स्टाफ कार	5
2—जीप	2
3—ट्रक (छोटा/बड़ा)	2
4—स्वराज माजदा	2
5—टूरिस्ट बस	3
6—टूरिस्ट टैक्सी	5
7—टैंकर	1

एक स्टाफ कार, एक टूरिस्ट बस व एक जीप निष्प्रयोजित घोषित हो जाने के बाद नियमानुसार उनका नीलाम कर दिया गया तथा इनके स्थान पर कोई नया वाहन नहीं खरीदा गया है। विगत पांच वर्षों में निम्न वाहन क्रय किये गये :—

1—स्टाफ कार	3
2—जीप	3

(निर्माण कार्यों एवं निगम की योजनाओं की देख भाल हेतु,

3–ट्रक (विपणन कार्य हेतु)	–	1
4–स्वराज माजदा ट्रक (व्यवसायिक कार्य हेतु)	–	2
5–टूरिस्ट बस (पर्यटन व्यवसाय हेतु)	–	3
6–टूरिस्ट टैक्सी (पर्यटन व्यवसाय हेतु)	–	5
7–टैंकर (व्यावसायिक कार्य हेतु)	–	1

स्टाफ कार :–

1–दो स्टाफ कार निष्प्रयोजित की गईं जिसके स्थान पर दो नई स्टाफ कार क्रय की गईं ।

2–अध्यक्ष महोदय के प्रयोगार्थ नई स्टाफ कार क्रय करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या–1039/28-6-192 नि/86 दिनांक 11-2-86 के अनुसार दी गई । एक जीप निगम की पुरानी जिसे नीलाम कर दिया गया है, के विरुद्ध क्रय की गई जिसकी स्वीकृति पत्रांक 913/28-5-760 दिनांक 1-7-78 द्वारा दी गई थी । दो अन्य जीप शासन के राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों से प्राप्त निर्माण कार्यों के टूल्स एवं पलान्ट्स के सापेक्ष क्रय की गईं । इस जीप को टी एण्ड पी के सापेक्ष ही क्रय किया गया जो निर्माण कार्य के लिये क्रय की गई है । इस प्रकार दो जीप प्रोजेक्ट के विरुद्ध क्रय की गई हैं ।

ट्रक क्रय किये जाने की स्वीकृति शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–3303/28-71 दिनांक 22-11-79 द्वारा प्रदान की गयी थी । व्यावसायिक दृष्टि से क्रय किये जाने वाले वाहनों हेतु शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर की शहरी भूमि के क्रय में लगे स्टाम्पों का विवरण

64–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर नगर की शहरी भूमि जिस पर मकान भी बने हुए हैं मोहल्ला घुसियाना स्थित खसरा संख्या–4372, 4774, 4776, 4777, 4770, 4769, मि0 4770, 4771, 4772, 4773, 4790/1, 4793/2 जिसका रकबा 3.08 एकड़ है की खरीद का रजिस्ट्रेशन 2 व 3 जनवरी, 1986 को सब रजिस्ट्रार आफिस, ललितपुर के यहां हुआ है ? यदि हां, तो कितने रुपयों का स्टाम्प लगाया गया है तथा वास्तव में शहरी आबादी भूमि होने के कारण कितने रुपयों का स्टाम्प लगाना चाहिए था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । किन्तु खसरा संख्या 4372 रजिस्ट्री बैनामा में सम्मिलित नहीं है । लेखपत्रों पर 8375 रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । लेखपत्रों में प्रदर्शित जायदाद का मूल्य कम दर्शाये गये जाने की आशंका के कारण बाजार मूल्य निर्धारण हेतु उसकी प्रतियां स्टाम्प एक्ट की धारा 47-ए के अन्तर्गत जिलाधिकारी ललितपुर को संदर्भित की गईं । यह पाया गया कि संबंधित लेखपत्रों पर सही स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है ।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या

65–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 नवम्बर, 1986 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ खण्ड पीठ को मिलाकर) में कुल कितने मुकदमें विचाराधीन थे ? उनमें से ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी थी जो कि विगत 10 वर्षों से अधिक अवधि से विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 30 नवम्बर, 1986 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में (लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को सम्मिलित करते हुये) लम्बित वादों की कुल संख्या 3,08,555 थी जिनमें दस वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वादों की संख्या 11,882 थी ।

अल्मोड़ा नगर के भूस्खलन की रोकथाम हेतु कार्यवाही

66–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि अल्मोड़ा नगर में भूमि धंसने से भवनों में दरारें पड़ गई हैं एवं किसी भी समय भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो अल्मोड़ा नगर के भूस्खलन की रोकथाम के लिए क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जहां तक अल्मोड़ा नगर का प्रश्न है यहां स्थित अल्मोड़ा इण्टर कालेज की दीवारों में भूमि धंसने से दरारें पड़ गई हैं । उक्त कालेज एक निजी संस्था है, जिसका सुधार एवं मरम्मत संस्था स्वयं करेगी । अल्मोड़ा नगर में किसी भी समय भूस्खलन के खतरे जैसी गम्भीर स्थिति नहीं है, तथापि नैसर्गिक कारणों से भूस्खलन यदा-कदा हो जाया करता है, जिन पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । अल्मोड़ा नगर में भूस्खलन के रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है साथ ही नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों में खनन अनुज्ञापन तथा खनन पट्टे भी नहीं जारी किए जा रहे हैं ।

विश्वबैंक योजनान्तर्गत इलाहाबाद जनपद तथा शहर में सड़कों के निर्माण कराने का प्रस्ताव

67– श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक योजनान्तर्गत इलाहाबाद जनपद तथा शहर में कितने-कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया इनके निर्माण का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ और निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करके कितना पूरा किया गया तथा शेष कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में किसी भी मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः कार्य कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा हास्टल हेतु आवंटित धन

68–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स तथा इलाहाबाद स्पोर्ट्स हास्टल के लिए अलग-अलग कितना धन वर्ष 1984-85, 85-86, 86-87 में आवंटित किया गया था और क्या पूरे बजट का उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के लिए वर्ष 1984-85 में रु0 3.5 लाख वर्ष 1985-86 में रु0 5.69 लाख एवं वर्ष 1986-87 में रु0 3.75 लाख तथा इलाहाबाद स्पोर्ट्स हास्टल के लिए वर्ष 1984-85 में रु0 2.34 लाख वर्ष 1985-86 में रु0 2.77 लाख एवं वर्ष 1986-87 में रु0 3.06 लाख आवंटित किया गया था और पूरे बजट का उपयोग कर लिया गया है ।

69-70– श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

71–श्री मित्रसेन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्व0 निर्माण मुरादाबाद के कार्यों की जांच एवं स्थानान्तरण की कार्यवाही

72–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्रामीण मार्ग समन्वय तथा अनुश्रवण समिति, मुरादाबाद की अप्रैल, 1987 में हुई बैठक जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा की जा रही थी, में अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 संयोजक जिला समिति ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अध्यक्ष को भ्रामक जानकारी दी थी, जिसके विरुद्ध जन प्रतिनिधियों ने एक राय होकर अध्यक्ष से मीटिंग स्थगित करने और उक्त अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने शासन को क्या लिखा था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । दिनांक 30 मार्च, 1987 को हुई बैठक के संबंध में जिला अधिकारी, मुरादाबाद का पत्र संख्या-मी0मो0/आ0ले0/3/87, दिनांक 30 मार्च, 1987 प्राप्त हुआ ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुरादाबाद द्वारा कराये गये कार्यों की जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा कराये जाने तथा स्थानान्तरण हेतु शासन को लिखा ।

मामले की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सार्वजनिक निर्माण विभाग से करायी जा रही है तथा स्थानान्तरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय खण्ड–5 द्वारा बिक्री-कर में की गई अनियमितता के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

73–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 144 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र 46 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-9-85 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कानपुर बिक्री-कर कार्यालय द्वारा कर निर्धारण में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

75–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 161 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 45 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

फर्म दयेराज रोशन लाल बनाम आयुक्त बिक्री-कर के निर्णय के सम्बन्ध कतिपय बिन्दुओं पर पत्र द्वारा जानकारी की मांग

77—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगलवार के निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 148 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 752 मुख्य मंत्री को ता0 20-5-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । संदर्भित पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा पाकेट खर्च हेतु आहरित धन की जानकारी की मांग

78—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा कुल कितना-कितना धन पाकेट खर्च के रूप में आहरित किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम लटि शुक्ला, लिपिक उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ से अतिथि गृह खाली कराया जाना

79—श्री रणजीत—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम लाट शुक्ला लिपिक, लगभग 20 वर्षों से अवैधानिक रूप से विभागीय गेस्ट हाउस लखनऊ में रहते हैं और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 11-12-86, जो प्रबन्ध निदेशक, सहकारी गन्ना समिति संघ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राम लाट शुक्ला, लिपिक उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के अवैधानिक रूप से विभागीय गेस्ट हाउस में रहने के संबंध में प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ को सम्बोधित मा0 विधायक का पत्र प्राप्त हुआ।

श्री रामलाट शुक्ला खण्ड प्रभारी उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ को अतिथि गृह खाली करने तथा अतिथि गृह का उपयोग किये जाने के संबंध में मेन्टेनेन्स चार्ज वसूल किये जाने की नोटिस दी गयी। तदुपरान्त श्री शुक्ला द्वारा अतिथि गृह 23-6-87 को खाली कर दिया गया। मेन्टेनेन्स चार्ज की वसूली की प्रक्रिया के संबंध में भी गन्ना संघ द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

80–श्री रणजीत–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

81–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

शासन द्वारा द्वावा क्षेत्र बलिया के कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य

82–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनता शासन काल 1977-78 और 1978-79 में द्वावा क्षेत्र बलिया के अंतर्गत गंगा पाण्डेय टोला, दघेला मार्ग, मठयोगितर गिरी, धतुरी टोला मार्ग, लालगंज-मुरली छपरा मार्ग करण छपरा, दलन छपरा मार्ग, चांदपुर-प्रसाद छपरा मार्ग श्रीनगर दल छपरा मार्ग नौका टोला बकुलहा मार्ग सा0 नि0 वि0 द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था और उस पर कार्य भी प्रारम्भ हुआ किन्तु इन मार्गों का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्गों में से वर्ष 1977-78 में केवल करन छपरा धतूरी टोला दोकटी मार्ग तथा वर्ष 1978-79 में केवल मठ जोगिन्दर गिरी मार्ग के नाम से दो मार्ग स्वीकृत हुये थे। शेष मार्ग वर्ष 1978-79 के बाद स्वीकृत हुये।

वर्ष 1977-78 व 1978-79 में उपरोक्त स्वीकृत दो मार्गों पर कार्य प्रारम्भ हुआ।

उपरोक्त स्वीकृत दो मार्गों में से केवल एक मार्ग करन छपरा धतूरी टोला दोकटी मार्ग पर कार्य अवरूद्ध हुआ।

भूमि न मिलने के कारण।

गन्ने का औसत उत्पादन एवं पेराई क्षमता में वृद्धि

83–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने के उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुपात में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि नहीं हुयी है? उल्टे पुरानी चीनी मिलों की पेराई की क्षमता में भारी गिरावट आयी है, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों के सम्मुख गम्भीर संकट पैदा हो गया है और इधर के वर्षों में गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिये शासन की क्या योजना है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गन्ने के उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुपात में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि नही हुई। पुरानी चीनी मिलों की पेराई क्षमता में गिरावट नही आई। वर्ष 1953-54 में प्रदेश में 66 चीनी मिलें कार्यरत थीं जिनकी रजिस्टर्ड पेराई क्षमता 69,662 टी0 सी0 डी0 थी। वर्ष 1985-86 में इन्ही पुरानी चीनी मिलों की क्षमता बढ़ कर 1,10,551 टी0 सी0 डी0 हो गयी।

गन्ना उत्पादन में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होता रहता है। विगत 10 वर्षों में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में 1976-77 से 1980-81 में औसत गन्ना उत्पादन प्रति वर्ष 568.73 लाख टन था जो 1981-82 से 1985-86 में बढ़ कर औसतन 730.27 लाख टन हो गया और 1986-87 में यह उत्पादन 846.42 लाख टन है जो पूर्व वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। शेष का प्रश्न नही उठता ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये सोलिंग कार्य की जांच की मांग

84—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में अकबरपुर महरुआ मार्ग से निकले जमालपुर बन्दनडीह सम्पर्क मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सोलिंग में लगायी गयी ईंटें बहुत घटिया किस्म की है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। मार्ग पर सोलिंग में लगाई गई ईंटें घटिया किस्म की नहीं हैं। प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के प्राइमरी पाठशाला रामपुर गिरन्ट के भवन निर्माण में अनियमितता बरतने सम्बन्धी शिकायत पर जांच

85—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ब्लाक भीटी में स्थित प्राइमरी पाठशाला रामपुर गिरन्ट के भवन निर्माण हेतु आवंटित धन का दुरुपयोग करके मनमाने ढंग से सोहावल ब्लाक के रामपुर गिरन्ट ग्राम में भवन निर्माण कराने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 28-10-86 का पत्र शासन को मिल गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

मुख्य अभियंता (मध्य क्षेत्र), सा0 नि0 विभाग, लखनऊ से जांच करायी जा रही है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा केन्द्र कटेहरी के कतिपय मार्गों के निर्माण में कथित अनियमितता की जांच की मांग

86—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सा0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित रायबाबा सम्पर्क मार्ग जो गांव सभा डीडी-पकडिया के पास से महरुआ बाजार नरायनपुर मार्ग से निकलकर रामबाबा बाजार तक जाता है, पर मिट्टी पटाई और सोलिंग का कार्य बहुत ही घटिया स्तर का हुआ है जिससे उक्त मार्ग पर लोगों का चलना असंभव हो गया है ?यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य का विभाग के टेक्निकल

आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने और निर्मित कार्य को नये सिरे से ठीक कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सोलिंग की सतह कहीं-कहीं असमतल थी जिसे ठेकेदारों द्वारा काफी ठीक करा दिया गया था फिर भी ठेकेदारों से रुपये 3352 की कटौती की गयी थी। शेष कार्य वांछित स्तर का था। उक्त मार्ग की मिट्टी ऊसर जमीन की है जिससे बरसात के समय मिट्टी कट जाती है एवं खड़ंजा कुछ स्थानों पर बैठ जाता है। एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों पर रख-रखाव मद में कोई धन आवंटित न होने के कारण उसकी मरम्मत कराना संभव नहीं है। उस समय मार्ग की स्थिति ठीक होने के कारण टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

87–ओ अकबर हुसैन बावर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद पिथौरागढ़ के कतिपय इण्टर कालेजों के पास बंजर भूमि से अतिक्रमण को हटाने के आदेश एवं कालेज को हस्तानान्तरित करने की मांग

88–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री पर्वतीय विकास अनुभाग-2 द्वारा प्रश्नकर्ता को दिये गये अर्ध शा0 पत्रांक 4265/28-2-1986 दि0 22 जुलाई, 1986 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित मामले में दि0 4 दिसम्बर, 1986 तक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ तथा राज्य सरकार स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय विधायक के मूल पत्र दिनांक 18-12-85 में विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के कतिपय इण्टर कालेजों के निकटतम क्षेत्र में बंजर/बेनाप तथा ग्राम सभाओं की भूमि को किसी प्रकार के अतिक्रमण/आवंटन से हटाने/बचाने तथा इण्टर कालेजों को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया गया था।

2–जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा सम्बन्धित परगनाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे विद्यालयों के निकट की भूमि किसी को आवंटित न करें तथा किसी प्रकार के अतिक्रमण यदि भूमि पर किये गये हों तो उन्हें हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

3–जहां तक इन इण्टर कालेजों के समीप की भूमि इण्टर कालेजों को हस्तान्तरित करने का माननीय विधायक का सुझाव है, अभी किसी विद्यालय द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ की कतिपय तहसीलों में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के उत्थान का प्रस्ताव

89—श्री काशी सिंह ऐरी—

द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 170 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में उल्लिखित वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के उत्थान के लिये जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट, मुनस्यारी, धारचूला में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? सातवीं पंच-वर्षीय योजना में इस क्षेत्र हेतु क्या-क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वैकल्पिक ऊर्जा साधन जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी एवं धारचूला के विभिन्न ग्रामों में लगाये गये हैं। अभी तक इन दोनों तहसीलों में 6 ग्राम वैक-ल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जा चुके हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तहसील डीडीहाट, मुनस्यारी एवं धारचूला में विभिन्न संयंत्र जैसे कि माइक्रोहाइडिल, सोलर लाइटिंग, धूम्र रहित चूल्हा, सोलर टी0 वी0 इत्यादि लगाये जाने प्रस्तावित हैं ।

जनपद नैनीताल की रानीबाग स्थित एच0 एम0 टी0 कारखाने के उद्घाटन के समय सुरक्षा हेतु विविध निर्माण के लिए दिये गये ठेके

90—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में 15 नवम्बर, 1985 को रानीबाग स्थित एच0 एम0 टी0 के कारखाने के उद्घाटन हेतु भारत के प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) के आगमन के अवसर पर सुरक्षा हेतु विविध निर्माण का ठेका सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया था? यदि हां, तो क्या वह ठेकेदार सा0 नि0 वि0/वन निगम/जल निगम में पंजीकृत था ? क्या इस हेतु कथित ठेकेदार ने वन निगम की लकड़ी व जल निगम के नलों का प्रयोग करने हेतु सम्बन्धित विभागों की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस पूरे प्रकरण में हुए भ्रष्टाचार के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। श्री अब्दुल कवि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुसार बेरीकेटिंग का कार्य निष्पादित कराया गया था ।

उक्त ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत नहीं था परन्तु वन विभाग तथा नगर पालिका हल्द्वानी में पंजीकृत था ।

ठेकेदार को बेरीकेटिंग कार्य कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में लम्बी बल्लियां उप-लब्ध न हो पाने के कारण ठेकेदार के अनुरोध पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जल निगम एवं कुमायूं जल संस्थान हल्द्वानी के गोदामों से आवश्यक मात्रा में पाइप प्राप्त कर ठेकेदार को निर्गत किये गये थे जो कार्य समाप्ति के बाद वापस कर दिये गये । अतः ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ठेकेदार ने दो प्रकार की वेरीकेटिंग बनाई (1) अनुबंध के अनुसार खड़ी बल्लियों पर दो समानान्तर बल्लियां बांधकर एवं (2) खड़ी बल्लियों पर लोहे के पाइप बांधकर । पहली प्रकार की वेरीकेटिंग का भुगतान अनुबन्ध की दरों पर किया गया तथा दूसरे प्रकार की वेरीकेटिंग की दर में से समानान्तर बल्लियों का किराया काटकर कम दर पर भुगतान किया गया । अतः किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराने अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91—श्री शारदा नन्द अंचल—

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का उपखण्ड खोले जाने का आदेश

92—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 दिनांक 24 मार्च, 1986 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1986-87 में जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खण्ड कार्यालय या उपखण्ड कार्यालय खोलने का निर्णय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तहसील छिबरामऊ में कब तक खण्ड या उपखण्ड खोल दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अस्थायी खण्ड संख्या—1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फतेहगढ़ के अधीन छिबरामऊ में एक उपखण्ड खोलने के लिए शासन द्वारा आदेश दिनांक 30-4-1987 को जारी कर दिए गये हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालयों के पात्र लिपिकों को समयमान वेतनमान की सुविधा

93—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 वृत्तीय कार्यालयों के समस्त पात्र लिपिकों को शासन द्वारा प्रदत्त समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदत्त की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अभी ऐसे कौन-कौन लिपिक हैं जो इस सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं परन्तु उन्हें यह सुविधा नहीं मिली है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुल 254 पात्र लिपिकों में से 253 को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

केवल एक पात्र लिपिक की वांछित वार्षिक गोपनीय आख्यायें महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से अभी तक प्राप्त न हो सकने के कारण ।

ऐसे पात्र केवल एक लिपिक श्री हरवंश बहादुर सक्सेना अवशेष हैं।

94—श्री यदुनाथ सिंह—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

95—श्री यदुनाथ सिंह—
[पुनर्विचार पर निरस्त]

96—श्री यदुनाथ सिंह—
[पुनर्विचार पर निरस्त]

कानपुर बिक्री कर कार्यालय में फर्म आयडिल रेडियो कम्पनी नेहरू नगर के पंजीयन के सम्बन्ध में कथित पत्र

97—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में फर्म आयडिल रेडियो कम्पनी नेहरू नगर पंजीकृत है और वर्ष 78-79 व 79-80 के मूल आदेश अतिरिक्त बिक्रीकर अधिकारी खण्ड 9 ने ता0 18-10-80 को पारित किये थे और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 5091 वित्त राज्य मंत्री को ता0 7-1-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माननीय सदस्य द्वारा पत्र की प्रति उपलब्ध कराने पर उत्तर मा0 सदस्य को अलग से भेज दिया जायगा ।

98—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—
[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच, गोरखपुर द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 के परिपत्र का पालन

99—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 136/सी/स0 प्र0 दिनांक 1 जून, 1976 द्वारा समस्त सचिव सहकारी गन्ना समितियां उ0 प्र0 को कोई सरकुलर शिक्षा मद की कटौतियां के वितरण के सम्बन्ध में जारी किया था ? यदि हां, तो क्या उस सरकुलर का पालन सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पिपराइच ने किया ? यदि नहीं, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 ने प्रश्न में उल्लिखित परिपत्र जारी किया था । उक्त परिपत्र का पालन शिक्षा मद में की गई कटौतियों के वितरण के सम्बन्ध में सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पिपराइच, गोरखपुर द्वारा किया गया ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच, गोरखपुर द्वारा की गई वर्षवार कटौती का विवरण

100—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच की साधारण सभा ने यह निर्णय लिया था कि गन्ना किसानों की सप्लाई पर 12 पैसे साधारण गाड़ी शिक्षा (डिग्री कालेज) मद हेतु कटौती की जायेगी? यदि हां, तो कितनी कटौती प्रतिवर्ष की गयी किस डिग्री कालेज को अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो यह कटौती का धन वर्ष 1970-71 से 1974-75 में किस मद में व्यय किया गया ? क्या वर्षवार ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पिपराइच की साधारण सभा द्वारा निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि समिति की कार्यवाही पुस्तिका गायब हो गयी है जिसके सम्बन्ध में थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है। समिति द्वारा की गई वर्षवार कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	शिक्षा मद में की गई कटौती
1970-71	17,412.32
1971-72	15,062.12
1972-73	17,178.45
1973-74	7,518.37
1974-75	12,038.50
योग—	69,209.76

किसी डिग्री कालेज को अनुदान नहीं दिया गया । शिक्षा मद से जो कटौतियां की गई थी उसमें से जो अनुदान शिक्षा संस्थाओं को दिया गया उसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि जो दी गई	संस्था का नाम
1970-71	—	—
1971-72	1,000/-	तिलक सिंह ल0 मा0 वि0 जौनपुर
	2,000/-	आदर्श संस्कृत वि0 रिठ्या
1972-73	—	—
1973-74	—	—
1974-75	—	—

श्री हरपाल सिंह बन्दी रक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा के निधन पर उनके आर्थिक देयों का भुगतान

101—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह बन्दी रक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा का निधन दिनांक 29-10-86 को हो गया था, किन्तु उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी को उनके ग्रेच्युटी फण्ड बीमा आदि अन्य लाभ नहीं मिले हैं और उन्हें अपने पति के स्थान पर नियुक्ति भी नहीं मिली है जिससे वे तथा उनके बच्चे भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं? क्या मंत्री जी श्रीमती कमला देवी को उक्त लाभ एवं अपने पति के स्थान पर तुरन्त नियुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

मृतक की आश्रित श्रीमती कमला देवी को उसके जी0पी0एफ0 का भुगतान दिनांक 28-1-87 को कर दिया गया है। पेंशन तथा ग्रेच्युटी सम्बन्धी प्रपत्र दिनांक 9-2-87 को महालेखाकार इलाहाबाद को प्रेषित कर दिए गये हैं। इसी प्रकार मृतक को देय अर्जित अवकाश का नगदीकरण का बिल भी अल्मोड़ा ट्रेजरी को भुगतान हेतु भेज दिया गया है।

मृतक की आश्रित विधवा बन्दीरक्षक पद के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखती अस्तु उन्हें उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है।

102—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[3रे सोमवार में अता0प्र0सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों में अतिरिक्त अधिभार

103—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लघु और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों की विज्ञापन दरें 15 वर्षों के भीतर बढ़ाई गयीं? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है?

श्रीमती दीपा—

जी हां।

सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है:—

समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों में दिनांक 1 मार्च, 1974 से 20 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार स्वीकार किया गया है।

प्रदेश में समाचार-पत्रों को, प्रदेश सरकार की अपनी दर के बजाय, दिनांक 22 दिसम्बर, 1984 से वहीं दर दी जाने लगी है, जो उनको भारत सरकार के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीकार की जाती है।

प्रत्येक जनपद में पत्रकार कालोनी स्थापित करने का प्रस्ताव

104—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार प्रत्येक जनपद में पत्रकार कालोनी स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये, समाज के किसी वर्ग विशेष के लिये, कालोनियों का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

105—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी परतावल गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या 402 दिनांक 17-9-85 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सा0नि0वि0 गोरखपुर को यह सूचना दी है कि उनके विकास क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में पंचायत भवन के निर्माण में विभाग द्वारा भारी अनियमितता की जा रही है? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

पत्र किसको प्राप्त हुआ इसकी छानबीन करायी जा रही है।

प्रश्नगत भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया।

राप्ती पुल गाड्ड बांध गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

106—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 6ठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन्दर्भित मामले की जांच पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो जांच पूरी न किए जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

107—श्री विष्णु देव—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

108—109—श्री फरीद महफूज किदवई—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

मुकदमें के सम्बन्ध में न्याय (रिट) अनुभाग का पत्र

110—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय (रिट) अनुभाग के पत्र संख्या एक्स 902/सात-ख-86 दिनांक 17 मई, 1986 जो प्रश्नकर्ता को सम्बोधित है, में संदर्भित मुकदमें को वापस न लिए जाने का क्या कारण है?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

चूंकि इस मुकदमें में हिंसा, मार-पीट एवं तोड़फोड़ की कार्यवाही निहित है, जिससे यात्रियों को गम्भीर चोटें आईं तथा सरकार की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई। अतः जनहित एवं न्याय हित में संदर्भित मुकदमें को वापस लेना उपयुक्त नहीं समझा गया।

मेरठ जनपद में मेरठ लखनऊ मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य

111–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में मेरठ लखनऊ मार्ग पर मेडिकल कालेज के पास पुल बनाने का कार्य कब से चल रहा है और इसके पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुल का निर्माण कार्य दिसम्बर, 85 से आरम्भ हुआ था तथा इसे शीघ्र ही पूर्ण किये जाने की आशा है।

मध्य रेलवे द्वारा एट-कोंच रेलवे लाइन समाप्त किए जाने का प्रस्ताव

112–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे कोंच-एट रेल लाइन तोड़ने के सम्बन्ध में उनके विचार वर्ष 85 में मांगें गये थे? यदि हां, तो उन्हें कब और क्या आख्या भेजी गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत एट-कोंच रेलवे लाइन को समाप्त न किये जाने के लिये शासन की सबल संस्तुति महाप्रबन्धक, मध्य रेलवे को, दिनांक 10 जून, 1987 को भेज दी गयी है।

जनपद बिजनौर व पौड़ी गढ़वाल को मिलाने वाले नजीबाबाद कोटद्वार मोटर मार्ग का मरम्मत कार्य

113–श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

क्या सा0नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर व पौढ़ी गढ़वाल को मिलाने वाले नजीबाबाद कोटद्वार मोटर मार्ग पर कब से मरम्मत कार्य चल रहा है व इस मार्ग पर अब तक कितना धन मरम्मत पर खर्च हो चुका है तथा यह मोटर मार्ग कब तक ठीक हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मार्गों की सामान्य मरम्मत का थोड़ा बहुत कार्य प्रतिवर्ष होता रहता है।

प्रश्नगत नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग का 22 कि0मी0 भाग जनपद बिजनौर में पड़ता है जिसको चौड़ा करने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 25-9-79 द्वारा 33 लाख रु0 की लागत पर प्रदान की गई थी। यह कार्य वर्ष 1983-84 तक पूर्ण कर लिया गया था। इसी योजना से मार्ग के विभिन्न 6 कि0मी0 में सतह लेपन का कार्य अब मुख्यतः किया जा चुका है।

उक्त मार्ग की 2·40 कि0मी0 लम्बाई (कि0मी0 23, 24 व 25 का 400 मी0) जनपद गढ़वाल में आता है जिस पर सुदृढ़ीकरण एवं सुधार का कार्य मार्च, 1984 से चल रहा है। उक्त भाग पर माह मई, 1987 तक कुल 13·79 लाख रु0 व्यय हो चुका है तथा सुधार व सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण है। इस भाग पर केवल बिजली व टेलीफोन के खम्भे हटाने शेष हैं, जिसके लिए सम्बन्धित विभागों को आवश्यक धनराशि भुगतान की जा चुकी है।

पौड़ी व चमोली जनपदों में मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

114—श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी व चमोली जनपदों में पिछले दो वर्षों में कितने कि0 मी0 मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पिछले दो वर्षों में पौड़ी व चमोली जनपदों में कुल 43 कि0 मी0 नये मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के मोटर मार्गों के अधूरे निर्माण कार्य

115—श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी व चमोली तथा गढ़वाल में कितने निर्माणाधीन मोटर मार्ग पिछले दो वर्षों से अधूरे पड़े हैं व किन कारणों से ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 27 एवं जनपद चमोली में 18 मोटर मार्ग पिछले दो वर्षों से अधूरे पड़े हैं। मुख्यतः वन भूमि हस्तांतरण न होने अथवा भूमि अध्याप्ति न होने के कारण इन सभी 45 मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

जनपद एटा के जलेसर इसोली मार्ग का निर्माण कार्य

116—श्री प्रेम पाल सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में जलेसर इसोली 14 कि0 मी0 मार्ग पर वर्ष 1980 में मिट्टी व खड़ंजा का अधूरा कार्य था और अभी तक इस मार्ग पर डामर नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मार्ग को शीघ्र ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग (कि0 मी0 1 में 500 मी0 लम्बाई को छोड़कर) शेष पूरी लम्बाई में स्वीकृति के अनुसार खड़ंजा स्तर तक पूर्ण है।

उक्त 500 मीटर लम्बाई में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। इस मार्ग के खड़ंजा स्तर से ऊपर डामर लेपन का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है।

राज्य सम्पत्ति विभाग की कानपुर रोड स्थित राजकीय कालोनी के मकानों की आवन्टन नीति

117—श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की सेक्टर डी स्थित कानपुर रोड राजकीय कालोनी के अध्यासियों को दिनांक 25 जून, 1982 को आवंटन के समय भविष्य में अन्य राजकीय कालोनियों में आवास स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई शर्त न होने के बाद भी केवल उक्त कालोनी के अध्यासियों हेतु अन्य कालोनियों में स्थानान्तरण के लिए दस वर्ष की सेवा शर्त लगाये जाने का आधार क्या है ? क्या सरकार अपनी इस विभेदात्मक-नीति पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर रोड स्थित कालोनी के आवास शहर से काफी दूर होने के कारण उक्त कालोनी के आवासों के आवंटन के समय आवास आवंटन हेतु वरिष्ठ कर्मचारी उक्त कालोनी में जाने के लिये इच्छुक नहीं थे जिससे सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के कर्मचारियों से विशेष रूप में पूछा गया कि क्या वे कानपुर रोड कालोनी में जाना चाहेंगे, यदि वह जाना चाहते हों तो इसके लिये अपनी लिखित सहमति राज्य सम्पत्ति विभाग में दे दें । अतः जिन कर्मचारियों द्वारा सहमति दे दी गई थी उन्हें उक्त कालोनी में आवास उपलब्ध करा दिये गये थे । श्रेणी-3 और श्रेणी-2 के आवासों की अत्यधिक कमी और उनके आवंटन हेतु अधिक मांग होने के कारण वर्ष 1982 से केवल उन्हीं कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने लखनऊ में नियुक्ति/तैनाती के दिनांक से निरन्तर कार्य करते हुए 10 वर्षों की न्यूनतम सेवायें पूर्ण कर ली हैं और जो विभाग में रखी गयी प्रतीक्षा सूचियों में क्रम की वरिष्ठता रखते हैं । ऐसे ही कर्मचारियों के आवासों के परिवर्तन के मामलों पर भी विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता । श्रेणी-3 और श्रेणी-2 के आवासों के आवंटन हेतु वर्तमान में केवल उन्हीं कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने लखनऊ में निरन्तर सेवा करते हुए 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूर्ण कर ली है ।

बागपत सहकारी चीनी मिल समिति द्वारा कोयले का क्रय एवं भुगतान

118—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के सीजन में बागपत चीनी मिल द्वारा कुल कितना कोयला व पत्थर का कोयला खरीदा गया तथा कोयले की दरें अलग-अलग क्या थीं व कुल कितना भुगतान किया गया और खरीदने वाला सक्षम अधिकारी कौन था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बागपत सहकारी चीनी मिल द्वारा वर्ष 1985-86 के सीजन में निम्नलिखित मात्र में कोयला (हार्ड कोक व पत्थर का कोयला (स्टीम कोल) क्रय किया गया:—

(अ) कोयला (हार्ड कोक) -942.125 मी0टन

(ब) पत्थर का कोयला-82.600 मी0टन (स्टीम कोल)

उपर्युक्त कोयला (हार्ड कोक) 1190/रुपये प्रति मी0 टन तथा पत्थर का कोयला (स्टीम कोल) 1000/-रुपये प्रति मी0 टन की दर से क्रय किया गया ।

उपर्युक्त कोयल (हार्ड कोक) एवं पत्थर के कोयले का कुल मूल्य क्रमशः 11,01,962.44 रुपये तथा रुपये 82,600/-हुआ। इसमें कोयले (हार्ड कोक) के मूल्य में से दिनांक 25-6-87 तक रु0 10,97,811 12 का भुगतान किया जा चुका है तथा पत्थर के कोयले के मूल्य का अभी भुगतान नहीं किया गया है।

समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रशासक चीनी मिल के अनुमोदन के पश्चात उपर्युक्त कोयले का क्रय मिल समिति द्वारा किया गया है।

119—श्री शारदा प्रताप—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के क्रिया कलापों की जांच हेतु गोयल जांच समिति का गठन

120—श्री शारदा प्रताप—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर में गोयल जांच समिति अमरनाथ के विरुद्ध, जगदेव सिंह एस0 आई0 एस0 जांच समिति श्री ए0 के0 वशिष्ट एवं आर0 एन0 शर्मा के विरुद्ध स्टेला इंक जांच समिति द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के श्री ए0 के0 वशिष्ट निदेशक, आर0 एन0 शर्मा, कुल सचिव के विरुद्ध सी0 बी0 आई0, सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उक्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोयल जांच समिति मुख्यतः एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के क्रिया-कलापों पर जांच हेतु गठित की गई थी। श्री ए0 के0 वशिष्ट के विरुद्ध जगदेव सिंह एस0 आई0 एस0 नाम की कोई जांच समिति शासन द्वारा गठित नहीं की गई। स्वशासी संस्था एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर ने जाली पत्रों के आधार पर छात्रों द्वारा प्रवेश लिये जाने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दिनांक 16-12-81 थाना नवाबगंज, कानपुर भेजी थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई थी। पुलिस द्वारा जांचोपरान्त चार्जशीट न्यायालय भेजी गई जहां मामला विचाराधीन है। श्री आर0 एन0 शर्मा के विरुद्ध स्टेला इंक जांच समिति के नाम से कोई जांच समिति शासन द्वारा गठित नहीं की गई। श्री ए0 एन0 शर्मा (न कि श्री आर0 एन0 शर्मा) के विरुद्ध स्टेला इंटस्ट्रियल वर्क्स के नाम से स्याही बनाने के धन्धे तथा अवांछनीय कृत्यों में लिप्त होने के कतिपय कथित आरोपों पर जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा की गई थी। गोपनीय जांच रिपोर्ट मेरे कक्ष में देखी जा सकती है।

श्री ए0 के0 वशिष्ट, निदेशक के विरुद्ध सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 की कोई जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई। श्री अमरनाथ शर्मा के विरुद्ध सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा ऊपर बताई गई स्टेला इंक के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट शासन को अवश्य प्राप्त हुई थी, जिसे शासन ने संस्था, जोकि एक स्वशासी संस्था है, के प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया। संस्था के अध्यक्ष द्वारा मामला संस्था की प्रशासकीय परिषद् में रखे जाने का आदेश दिया गया। संस्था

के निदेशक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रशासकीय परिषद् ने श्री शर्मा को आरोप मुक्त कर दिया ।

121-123-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—
[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद कुमायूं के रिंगुनिया ग्राम में पेयजल एवं सिंचाई योजना

124-श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रश्नकर्ता द्वारा द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस रिंगुनिया ग्राम में पेयजल तथा सिंचाई योजना के लिए कभी कोई योजना तैयार कर सरकार को प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ग्राम की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहां सिंचाई पेयजल योजना की टनल/पम्प या अन्य किसी ढंग से बनाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई के संबंध में कोई योजना शासन को प्राप्त नहीं हुई । पेयजल योजना तैयार की गई है । सिंचाई के संबंध में प्रश्न नहीं उठता । पेयजल की योजना वर्ष 1972-73 में बनाई गई तथा निर्माण कार्य वर्ष 1973-74 में पूर्ण किए गए । यह पेयजल योजना माह अक्टूबर, 1975 से कुमायूं जल संस्थान के रख-रखाव में है ।

सिंचाई योजना के प्रारम्भिक सर्वेक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । पेयजल योजना के संबंध में प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के आय-व्यय का विवरण

125-श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रश्नकर्ता द्वारा द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व जनपद अल्मोड़ा में विगत छः वर्षों में कितना-कितना आय व्यय हुआ ? इन्हीं वर्षों में इन केन्द्रों में क्रमशः कितने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में विगत छः वर्षों में क्रमशः रु0 4,95,668·54 पै. एवं रु0 1,30,411·10 पै0 की धनराशि व्यय की गई जहां तक आय का प्रश्न है, यह सूचित करना है कि रेशम योजना एक विकास योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र के ग्रामीण निर्धन वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराना है । विगत छः वर्षों में जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में क्रमशः 80 एवं 87 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया गया ।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव

126–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के अधिकांश "ए" श्रेणी (1500 से अधिक जन0) के ग्राम सड़कों से जुड़ गये हैं परन्तु सिकन्दराराऊ क्षेत्र के ग्राम नं0 बरी नगरिया (जन 3172) पुलरई (1879) बरसौली सिरमई (1750) नाईनगला (1578) मऊचिरायल (2202) अमृतपुर असदपुर (1500) आदि को सम्पर्क मार्गों से अभी तक नहीं जोड़ा गया जबकि इनकी जनसंख्या वर्ष 1971 के अनुसार 1500 से अधिक है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कथित ग्रामों में से ग्राम अमृतपुर असदपुर की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 1448 है । 1500 से अधिक आबादी वाले कथित शेष ग्राम अभी सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार 1500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों को वर्ष 1990 तक सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ा जाना है, परन्तु यह विभिन्न जनपदों में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उ0 प्र0 सरकार के सभी सम्वर्गीय सेवाओं में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पाठशालाओं के छात्रों को आरक्षण देने की मांग

127–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्वर्गीय सेवाओं में 80 प्रतिशत स्थान उन लोगों के लिए आरक्षित करने पर विचार करेंगे जिन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं से एक से कक्षा पांच तक की शिक्षा प्राप्त की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान में विभिन्न वर्गों को कुल मिलाकर 50 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है । इससे अधिक का आरक्षण संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत होगा ।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश

128–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 7952(2)/चालीस 78 रा0 एकी0-15(63)–76 दिनांक 22-9-78 द्वारा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद को उस जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने संबंधी निर्देश जारी किया गया था ? यदि हां, तो उ0 प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा (मुन्सिफ के 1984 के क्रमसंख्या 98 पर चयनित श्री राम अधार राम पुत्र स्व0 श्री जयराम राम को उक्त आधार पर नियुक्ति न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रश्नगत शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था श्री राम अधार राम के मामले में लागू नहीं होती क्योंकि अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को तीन वर्ष तक अग्रेनीत किये जाने की अवधि वर्ष 1984 तक पूरी नहीं हुई थी ।

ग्रीन पार्क, कानपुर में विश्व कप आयोजन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग

129–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87 में ग्रीन पार्क, कानपुर में होने वाले क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कौन सी संस्था ने किया तथा उसमें शासन का क्या योगदान था और मैच से प्राप्त धनराशि का कौन हकदार होगा एवं उसका क्या उपयोग किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

संदर्भित विश्व कप के आयोजन के संबंध में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है ।

130–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ नगरपालिका क्षेत्र के जी0टी0 रोड को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी निर्माण की मांग

131–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ नगरपालिका क्षेत्र में जी0 टी0 रोड को चौड़ा करने, आबादी क्षेत्र में रोड डिवाइडर लगाने तथा फुटपाथ बनाने का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? जी0 टी0 रोड के किनारे तेजी से नागरिकों द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोकने के लिए क्या सड़क चौड़ा करने का कार्य शीघ्र पूरा करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में पड़ने वाले जी0 टी0 रोड के चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

डिवाइडर तथा फुटपाथ के निर्माण कार्य की कोई स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है । अतः इनके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

जी0 टी0 रोड के चौड़ा करने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

132–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ स्थित चौक के भांग ठेकेदार श्री बिहारी लाल से बिक्रीकर वसूली की जानकारी की मांग

133—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 84 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष के दौरान न तो सर्वेक्षण किया गया और न अस्थायी कर आदेश पारित किये गये? तारीख 3-7-82 तक रहने वाले अधिकारी ने इस करदाता के बारे में राजस्व के हित में पंजीयन कराने व न कराने के बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-3 लखनऊ से कर निर्धारण के सम्बन्ध में पत्र द्वारा सूचना की मांग

134—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में चौक का वर्ष 1982-83 में भांग का ठेका वाराणसी के बिहारी लाल के नाम से हुआ था और ठेका की राशि 3,47,000 रुपया थी तथा कर दाता के ऊपर 1,12,000 रुपया कर लगाया गया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 474 मुख्य मंत्री को तारीख 5-4-86 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-3 के क्षेत्राधिकार में 1982-83 में चौक लखनऊ के भांग के एक ठेकेदार सर्वश्री बिहारी लाल पर कर-निर्धारण आदि के विषय में कुछ सूचनायें मांगी गयीं थी । उक्त ठेकेदार को जो ठेका 1982-83 के लिए दिया गया था, उसके संबंध बिक्रीकर विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी थी । वस्तुतः आबकारी विभाग द्वारा इन ठेकों के विषय में कोई सूचना भेजी ही नहीं जाती । बिक्रीकर अधिकारी (वि0अनु0शा0) द्वारा इस ठेकेदार के संबंध में खण्ड अधिकारी को सूचना दिनांक 10-12-82 के पत्र द्वारा भेजी गयी, जिसके आधार पर खण्ड अधिकारी ने दिनांक 22-12-82 को सर्वेक्षण किया । इससे पूर्व खण्ड अधिकारी को ठेकेदार के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि न तो व्यापारी पंजीकृत था और न इससे पहले सूचना ही प्राप्त हुई थी । फलतः यह नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर देरी से जांच की गयी । चूंकि व्यापारी स्थानीय नहीं था, इसलिए अस्थायी करनिर्धारण आदेशों की तामीली भी शीघ्र नहीं हो सकी । आबकारी विभाग के ठेकेदार द्वारा जो सम्पत्ति प्रमाणपत्र दाखिल किया जाता है, वह बिक्रीकर विभाग को नहीं भेजा जाता। इस संबंध में कोई जांच पड़ताल भी खण्ड अधिकारी द्वारा आबकारी विभाग से नहीं की गयी किन्तु 20 दिसम्बर, 1984 के पत्र द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ से व्यापारी का स्थायी पता, उसके द्वारा प्रस्तुत साल्वेन्सी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति आदि का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु कोई विवरण प्राप्त नहीं हो सका । यह सही

है कि व्यापारी से कोई वसूली अब तक नहीं हो सकी है, किन्तु यह प्रकल्पना करना उचित नहीं है कि करदाता को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर खण्ड अधिकारी द्वारा समय से कार्यवाही नहीं की गयी । यह उल्लेखनीय है कि भांग के ठेकेदारों पर बिक्रीकर के निर्धारण और उसकी वसूली में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए ही राज्य सरकार ने 1 नवम्बर, 1985 से भांग को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया और साथ ही उस पर आबकारी शुल्क की दरें बढ़ा दीं, ताकि बिक्रीकर से जो सम्भावित राजस्व प्राप्त होगा, वह आबकारी शुल्क के रूप में पहले ही ठेकेदारों से प्राप्त हो जाय और ऐसे मामले सामने न आयें, जहां ठेकेदार से वसूली न हो सके ।

जी हां ।

जनपद आजमगढ़ में रानी की सराय, सोनवारा मार्ग पर नहर की पुलिया चौड़ा करने का प्रस्ताव

135–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-3-86 को सा0 नि0 विभाग जनपद आजमगढ़ में रानी की सराय सोनवारा मार्ग के पहले कि0 मी0 पर नहर की पुलिया को चौड़ा करने के लिए स्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल के वास्ते विभाग द्वारा शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता के पत्र दिनांक 19-3-86 के साथ प्राप्त हुआ ।

कार्य की स्वीकृति अभी नहीं दी जा सकी है ।

श्री वी0 के0 भारद्वाज, महाप्रबंधक, चल चित्र निगम को अर्दली भत्ते का भुगतान

136–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगल के अतारांकित प्रश्न सं0 84 के उत्तर के संबंध में क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 150 रु0 प्रतिमाह अर्दली भत्ता किस तिथि से किस तिथि तक भुगतान किया गया ? वेतन आयोग की संस्तुतियां निगम को कब प्राप्त हुईं और श्री भारद्वाज निगम की सेवा में कब तक रहे ?

श्रीमती दीपा–

रु0 150 प्रतिमाह अर्दली भत्ता दिनांक 22 मार्च, 1980 से 31 दिसम्बर, 1985 तक भुगतान किया गया ।

वेतन आयोग की संस्तुतियां निगम को दिनांक 31 जनवरी, 1983 को प्राप्त हुईं और श्री वी0 के0 भारद्वाज निगम की सेवा में दिनांक 10 अप्रैल, 1978 से 11 मई, 1986 तक रहे ।

उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम को अतिरिक्त वेतनमान

137–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगल के अतारांकित प्रश्न सं0 80 के उत्तर के संबंध में क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि महाप्रबंधक को रु0 2050–2500

का वेतनमान कब से कब तक दिया गया और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्वीकृति न मिलने पर किन कारणों से अतिरिक्त आहरित वेतन वापस न लेने का निर्णय लिया गया ? चलचित्र निगम इन वर्षों में घाटे में था अथवा लाभ में ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती दीपा–

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के महाप्रबंधक को रु0 2,050–2,500 का वेतनमान दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 से 30 अप्रैल, 1986 तक दिया गया ।

निदेशक मंडल ने यह निर्णय लिया है कि अतिरिक्त आहरित वेतन वापस न लिया जाये । निदेशक मण्डल के इस निर्णय पर शासन का परामर्श मांगा गया है ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम इन वर्षों में घाटे पर था । वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम का घाटा निम्नवत् था :–

क्रम सं0	वर्ष	धनराशि (लाखों में)
1	1983-84	66.86
2	1984-85	117.35
3	1985-86	105.34 (अनुमानित)

गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का विवरण

138–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग को रुपया 100 लाख का बजट प्राविधान वर्ष 85-86 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या गन्ना विकास मंत्री इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे तथा यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन सड़कों की स्वीकृत लम्बाई क्या है और इसमें कौन-कौन सी सड़कें कच्ची (मिट्टी का कार्य) रोलिंग अथवा पेन्टेड बनाई जा रही हैं तथा इनका चयन किस आधार पर किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत राज्य सेक्टर योजना हेतु वर्ष 85-86 में 100 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया था । निर्माणाधीन सड़कों की सूची एवं पक्की कराई जाने वाली सड़कों की स्वीकृत लम्बाई का विवरण संलग्न सूची में उल्लिखित है । अंशदायी आधार पर अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में खड़न्जा निर्मित सड़कों को ही पक्का कराने हेतु, परिषदों द्वारा अंश वहन करने की वित्तीय क्षमता के अनुसार, सड़क कार्यान्वयन समिति (रोड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी) की अनुशंसा के आधार पर चयन किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 153 पर)

139–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

140—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

141—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

अलीगढ़ नगर में राम घाट रोड रेलवे-क्रासिंग पर उपरिगामी पुल निर्माण का प्रस्ताव

142—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ नगर में रामघाट रोड रेलवे क्रासिंग पर पुल न होने के कारण गम्भीर दुर्घटनायें बड़ी संख्या में प्रति वर्ष होती हैं ? यदि हां, तो रामघाट रोड क्रासिंग पर यातायात की भीड़ तथा जनता की असुविधा को दूर करने के लिए उपरिगामी पुल का निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । इस रेलवे क्रांसिंग पर कभी-कभी भीड़ हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटनायें भी हो जाती हैं ।

उपरिगामी सेतु की लागत रेलवे व संबंधित सड़क प्राधिकारी द्वारा वहन की जाती है ।प्रश्नगत सम्पार नगरपालिका के मार्ग पर है, अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपरिगामी सेतु का निर्माण कराने की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत आने वाली जी0 टी0 रोड के सुदृढ़ीकरण की कार्य प्रगति

143—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत आने वाले जी0 टी0 रोड (दिल्ली कानपुर) के सुदृढ़ीकरण का कार्य अपूर्ण क्यों छोड़ दिया गया है ? इस कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग (लम्बाई 71 कि0 मी0) के सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृति के अनुसार अपूर्ण नहीं छोड़ा गया है, बल्कि कार्य प्रगति पर है।कार्य को पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा माल एवेन्यू, लखनऊ में विशेष अतिथि गृह का निर्माण

144—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग ने माल एवेन्यू लखनऊ में विशेष राज्य अतिथिगृह बनाया है ? यदि हां, तो उसके आवंटन का मापदण्ड क्या है और अभी तक किन-किन विशिष्ट अतिथियों को रहने के लिए आवंटित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । उक्त अतिथि गृह में विशिष्ट अतिथियों की आवास व्यवस्था किया प्रस्तावित है ।

चूंकि अभी उक्त भवन में आवश्यक मरम्मत की जा रही है अतः अभी तक उसमें किसी विशिष्ट अतिथि के रहने के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है ।

किशोर सदन बरेली से बन्दी रमेश की मुक्ति विषयक प्रस्ताव

145—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय कारागार में आजीवन सजा पा रहे कैदी रमेश नम्बर 27236 जब किशोर सदन बरेली में किशोर कैदी था, तब 20-10-84 को प्रबन्ध समिति ने अच्छे आचरण के कारण सरकार से उसे मुक्त करने की संस्तुति की थी, किन्तु सरकार द्वारा दो वर्ष तक प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर विचार न करने के कारण उसकी आयु सीमा ज्यादा हो गयी व अब उसे आजीवन सजा भुगतनी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या सरकार उसे मुक्त करने हेतु पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हां ।

किशोर सदन, बरेली से बन्दी रमेश की मुक्ति विषयक प्रस्ताव प्राप्त होते ही उसका नियमानुसार परीक्षण किया गया । परीक्षणोपरान्त बन्दी को मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया और तदनुसार उसकी मुक्ति अस्वीकार कर दी गई । किसी मामले के परीक्षण एवं उसमें निर्णय लिये जाने में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक है ।

मामले में नियमानुसार पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है, अतएव उस पर पुनः विचार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

146—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

झांसी के ऐतिहासिक किले का हस्तान्तरण

147—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी का ऐतिहासिक किला पुरातत्व विभाग को को हस्तान्तरित किया जाना बराबर टलता जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए तुरन्त हस्तान्तरण के आदेश करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी किले का हस्तान्तरण दिनांक 26 जून, 1986 को मिलेट्री स्टेट्स आफिस आगरा सर्किल, आगरा द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, भारत सरकार को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता, 14वां वृत्त सार्व0 निर्माण विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

148–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का, सचिव सा0 नि0 वि0 को अधीक्षण अभियन्ता, 14वां वृत्त के संबंध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 4-7-86 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (परिवाद) सा0 नि0 विभाग से जांच करायी जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में स्थायी रूप से समादेष्टा की नियुक्ति

149–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कितने वर्षों से स्थायी जिला समादेष्टा, होमगार्ड की नियुक्ति नहीं हुई है? क्या यह सच है कि इस जनपद के समीप के जनपदों के समादेष्टों द्वारा इस जनपद का कार्य देखा जा रहा है? यदि हां, तो कितना मार्ग व्यय हुआ है? क्या निकट भविष्य में जिला समादेष्टा की नियुक्ति की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 16 अगस्त, 1986 से स्थायी रूप से जिला समादेष्टा की नियुक्ति की जा चुकी है । इसके पूर्व लगभग तीन वर्ष तक समीप के जनपद के जिला समादेष्टा द्वारा सुल्तानपुर जनपद का भी कार्य अपने पद भार के अतिरिक्त देखा जा रहा था । उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कुल रु0 1425.10 का मार्ग व्यय वहन करना पड़ा है ।

150–श्री शिव नारायण मिश्र–

[दो विभागों से संबंधित होने कारण निरस्त]

151–श्री रणजीत–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उप गन्ना आयुक्त, वाराणसी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

152–श्री रणजीत–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उप गन्ना आयुक्त वाराणसी, अपने चीनी निगम यूनिट डोईवाला के कार्यकाल में की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा की गयी प्राथमिक जांच में उप गन्ना आयुक्त, वाराणसी को उनकी डोईवाला इकाई में प्रतिनियुक्ति की अवधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

शासन द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन के मद में अग्रिम

153–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार समाचार पत्रों के मद में अग्रिम धनराशि देती है? यदि हां, तो किन-किन समाचार पत्रों को यह सुविधा सुलभ करायी गयी है?

श्रीमती दीपा–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

154–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सामान्य प्रबन्धक चीनी मिल खड्डा, देवरिया के विरुद्ध जांच

155–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम ने अपने पत्र दिनांक 20-1-86 द्वारा श्री अशोक मालवीय प्रमुख क्षेत्रीय समिति को यह अवगत कराया है कि सामान्य प्रबन्धक चीनी मिल खड्डा जनपद देवरिया के विरुद्ध जांच के लिये मुख्यालय में किसी वरिष्ठ अधिकारी को आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। अभी जांच जारी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री घनश्याम शुक्ला, स्केलर, गोरखपुर, लौगिंग प्रभाग के आरोपित पत्र की जांच

156–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम लौगिंग प्रभाग-उत्तर गोरखपुर में श्री घनश्याम शुक्ला स्केलर द्वारा विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना एवं आर्थिक शोषण, धमकी से सम्बन्धित कोई पत्र दिनांक 8-2-86, 8-3-86, 20-3-86, 11-4-86, 28-4-86, 20-6-86, 1-2-86 को शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस प्रकरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी–

श्री घनश्याम शुक्ला, स्केलर (दैनिक पारिश्रमिक), उत्तरी गोरखपुर लौगिंग प्रभाग के दो पत्र दिनांक 8-2-86 एवं 28-4-86 जिसमें उन्होंने अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित, आर्थिक शोषण एवं जान की धमकी दिए जाने के आरोप थे, प्राप्त हुए । इसकी समुचित जांच की गई तथा यह पाया गया कि श्री शुक्ला की शिकायत निराधार है।

मेसर्स चौधरी वुड बुल इन्डस्ट्रीज अतरौला, अलीगढ़ के विरुद्ध विक्रीकर की चोरी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

157—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री नईम खां निवासी कस्बा किच्छा, जनपद नैनीताल का दिनांक 22-7-86 का रजिस्टर्ड पत्र जिसमें मेसर्स चौधरी वुड बुल इन्डस्ट्रीज अतरौला, अलीगढ़ द्वारा बिक्रीकर की चोरी करने की शिकायत की गयी है, शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में संदर्भित श्री नईम खां का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । उसकी प्रति उपलब्ध कराये जाने पर कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री लाल जी राय, परगनाधिकारी सलेमपुर, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

158—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर, देवरिया (श्री राम लाल जी राय) के विरुद्ध भूत पूर्व विधायक श्री हरि केवल प्रसाद ने दिनांक 29 अप्रैल, 86 व 5 जून, 1986 की गंभीर आरोपों का पत्र मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था जिसकी जांच के तहत 14 सितम्बर, 1986 को सात हजार रुपया जमा कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो शेष आरोपों में जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्री हरिकेवल प्रसाद, भूतपूर्व विधायक ने अपने शिकायती पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 86 द्वारा यह आरोप लगाया था कि परगनाधिकारी देवरिया (श्री लाल जी राय) द्वारा दिनांक 14-11-85 को मंजूरी साहित्यिक संस्थान द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन कराया गया था तथा सभी व्यय के उपरान्त 7200/-रु0 की धन-राशि परगनाधिकारी द्वारा हड़प कर ली गयी ।

इस आरोप की जांच जिलाधिकारी देवरिया से कराने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री लालजी राय, परगनाधिकारी ने रु0 7,000 की अवशेष धनराशि दिनांक 14-7-86 को टाउन एरिया सलेमपुर के कोष में जमा कर दी थी ।

जहां तक दिनांक 5-6-86 के शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों का सम्बन्ध है, जिलाधिकारी, देवरिया की जांच आख्या प्राप्त की जा रही है ।

159—160—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 153—154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के भीटी विकास खण्ड के कतिपय मार्गों पर सोलिंग कार्य

161—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित भीटी-महरुआ मार्ग पर सोलिंग स्तर तक का कार्य पूरा हो चुका है और भीटी

की तरफ से तीन किलोमीटर से अधिक सड़क पर पेन्टिंग स्तर तक कार्य भी पूरा हो गया है ? क्या यह भी सही है कि यदि शीघ्र ही शेष सड़क पर पेन्टिंग स्तर तक कार्य पूरा न किया गया तो सोलिंग भी छूट जायेगी और सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जायेगी ? यदि हां, तो सड़क के शेष भाग पर पेन्टिंग स्तर तक का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, सोलिंग स्तर तक निर्मित मार्गों का भी उचित रख रखाव किया जा रहा है ।

सड़क का शेष भाग पेन्टिंग के लिये स्वीकृत नहीं है ।

जनपद आगरा के सूचनाधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

162–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सूचनाधिकारी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने विषयक पत्र 27 दिसम्बर, 86 को उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

जी हां।

जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जिलाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार आरोप निराधार पाया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के कतिपय मोटर मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन

163–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में चर्मा–दुलेख–मुवानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृति शासन ने कब दी है? इस हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा मार्ग का निर्माण कब आरम्भ किया गया था? इस मोटर मार्ग में दिनांक 1 अगस्त, 86 तक कितनी धनराशि से कितना भाग पूरा किया जा चुका है तथा शेष मार्ग को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में चर्मा–दुलेख–मुवानी 11 कि0 मी0 मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति कुल 36.00 लाख रु0 की लागत पर दो चरणों में दी गई। प्रथम चरण में 8 कि0 मी0 की स्वीकृति 11-3-81 को 24.00 लाख रु0 की लागत पर तथा द्वितीय चरण में 3 कि0 मी0 लम्बाई में 10-1-85 को 12.00 लाख रु0 की लागत पर दी गई। प्रथम 8 कि0 मी0 की लम्बाई में मार्ग का निर्माण वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ कर मार्च, 86 तक 25.75 लाख रु0 की धनराशि व्यय करके पूर्ण कर लिया गया है। शेष 3 कि0 मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य भारत सरकार से वन भूमि के हस्तान्तरित की स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही प्रारम्भ करके पूर्ण किया जा सकेगा।

164—श्री शारदा प्रताप—

[दिनांक 17-3-87 को सदन में वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता की नियुक्ति

165—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद उ0 प्र0 के फरवरी माह सन् 86 के विज्ञापन सं0 12/85-86 के अन्तर्गत जो पद सहायक अभियन्ता के लिए विज्ञाप्ति किए गए थे उनकी नियुक्ति हुई या नहीं? यदि हुई, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से चयन परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियुक्ति किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

166—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के बन्दीपुर में टौंस नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण हेतु पत्र व्यवहार

167—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम बन्दीपुर में टौंस नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1980 से शिलान्यास के पूर्व तक शासन को कितने और कब-कब पत्र प्राप्त हुए हैं? उन सभी पत्रों पर शासन द्वारा कब-कब क्या आदेश हुए हैं तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि पुल स्वीकृति कब हुई और उसकी सूचना प्रश्नकर्ता को शासन द्वारा कब दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल का शिलान्यास दिनांक 19 अप्रैल, 1987 को हुआ था। अतः मा0 सदस्य से दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 19 अप्रैल, 1987 तक प्राप्त पत्रों एवं उनके सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये आदेशों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

पुल की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 17 अप्रैल, 1986 को प्रदान की गई। पुल की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना प्रश्नकर्ता को शासन के पत्र संख्या 394 सी0 एम0 ई0/23-सा0 नि0 अनु0-11-49(6) ई0/86, दिनांक 1 सितम्बर, 1986 को दी गई।

प्रश्न नही उठता।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 157 पर)

जनपद फैजाबाद में टौंस नदी पर निर्मित पुल के शिलान्यास पत्थर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के नाम

168—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में ग्राम बन्दीपुर में टौंस नदी पर दिनांक 19-4-87 को पुल का जो शिलान्यास किया गया इस शिलान्यास के पत्थर पर किन-किन व्यक्तियों का नाम अंकित है तथा उनका आधार क्या है? उस पत्थर पर उस क्षेत्र के पूर्व विधायकों का नाम न लिखने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिलान्यास के पत्थर पर मा0 श्री सीताराम निषाद, राज्य मंत्री, सा0 नि0 विभाग एवं मत्स्य, श्री राम प्यारे सुमन संसद सदस्य, श्री शेर बहादुर सिंह विधायक एवं श्री जगत पाल सिंह भूतपूर्व चेयर मैन जिला परिषद् के नाम अंकित हैं। शिलान्यास समारोह में जिन गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की सम्भावना थी, शिलान्यास पत्थर पर उन्हीं व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये हैं।

169–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

170–श्री अचल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

171–श्री राम नरेश यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गोरखपुर में एनर्जी काम्पलेक्स का कार्य

172–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद गोरखपुर में एनर्जी काम्पलेक्स खोलने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

जी हां। कार्य आरम्भ हो चुका है।

औरंगाबाद भटहट (गोरखपुर) में सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना

173–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के किसी एक ग्राम में सौर ऊर्जा के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां । ग्राम औरंगाबाद भटहट में सौर ऊर्जा के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग की स्थापना कार्य आरम्भ हो गया है ।

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में पर्वतीय छात्रों का आरक्षण

174–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक राजकीय आर्किटेक्ट कालेज चलता है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र वासियों के लिए दो सीटें आरक्षित रखी गयी हैं ? यदि हां, तो सन् 1980 से अभी तक उक्त आरक्षित सीटों के अन्तर्गत कितने पर्वतीय छात्रों को प्रवेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में सितम्बर, 83 में आया और तब से अन्य डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों के समान 4% की दर से पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों के लिये सीटें आरक्षित की गईं, जिसके अनुसार शिक्षा सत्र 1984-85 से पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए दो सीटें आरक्षित हैं।

उक्त आरक्षित सीटों के विरुद्ध 1984-85 में केवल एक छात्र ने प्रवेश लिया, यद्यपि 4 छात्रों को आमंत्रित किया गया था।

वर्ष 1985-86 में कोई छात्र प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सफल नहीं हुआ। 1986-87 में 4 छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु कोई सफल नहीं हो सका।

जनपद गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डल में रासुका के अन्तर्गत निरुद्धिकरण

175–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1985 से दिनांक 9-1-86 तक गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डल में कुल कितने लोग रासुका में बन्द हुए?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में गोरखपुर मण्डल में छः व्यक्ति तथा वाराणसी मण्डल में सत्रह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये।

(पक्ष एवं विपक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े हो जाने से घोर व्यवधान)

आज की कार्यसूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 को नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा हेतु लिए जाने की मांग

श्री प्रदीप माथुर–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायगा। इसमें चर्चा करायी जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा–

जितना हिस्सा हमारा बनता है, हमको मिलना चाहिए।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है।

*श्री राम आसरे वर्मा–

अभी माननीय डा0 कौशल जैसे अगुआ विधायक ने सदन में उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विभाजन के लिये आगे आ जायेगा । इसकी अहमियत को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि. . .

श्री उपाध्यक्ष–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई मांग नहीं की गई है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं मान्यवर, प्रश्न की अहमियत के बारे में कह रहा हूं कि जिस सवाल के आधार पर प्रदेश के विभाजन की मांग आ जाय तो इस प्रश्न को "प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति" को आप सन्दर्भित न करें बल्कि इसे चर्चा के लिए स्वीकार करें ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मैंने कहा था कि अगर इसी तरह से सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार चलता रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग होने की मांग आयेगी तो उसको आप रोक नहीं पायेंगे, यह मैंने कहा था ।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, प्रश्न-काल समाप्त हो गया इसलिये मैं प्रश्न के सम्बन्ध में कोई बात पूछना नहीं चाहता और इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जब इतने माननीय सदस्य इस प्रश्न के सम्बन्ध में दिलचस्पी ले रहे थे और हम लोगों ने इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित करने की मांग भी नहीं की थी कि उससे पहले ही आपने एक व्यवस्था दे दी कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दिया । मेरा कहना यह है कि वह प्रश्न "प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति" को सन्दर्भित किया जाता है जिसमें कोई ऐसा मामला हो जिसे कि छिपा लिया गया हो । लेकिन यहां तो सबको सब कुछ मालूम है इसलिए हम तो यह चाहते हैं कि इसे नियम 49 में आप चर्चा के लिये स्वीकार करते तो ठीक रहता । इसे हम प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित नहीं कराना चाहते हैं। मैं आपकी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मेरा नम्र निवेदन है इसे आप नियम 49 में चर्चा के लिये दे दें क्योंकि इसमें कोई चीज छिपी हुई नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री विजय सिंह राणा–

नहीं, मान्यवर, आप पहले मेरी बात को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्ति बनाये रखें । मैंने व्यवस्था दी थी कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दिया जाय । लेकिन माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे नियम 49 के अनुसार इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं । श्री जयदीप सिंह बरार ने इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है इसलिए इसे हम नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा के लिये स्वीकार करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बरार साहब के सुझाव को मान लिया और नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा को स्वीकार कर लिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डा0 कौशल साहब बरेली, आगरा और मथुरा पर नियंत्रण रखें और ऐसा न करें कि सदन न चले ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने इस विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर ली है, तो उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है। जितने प्रश्न हम प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं, उससे 4-5 प्रश्न और अधिक चर्चा में पूछ लेंगे । मान्यवर, हाई कोर्ट को लेकर और जसवन्त सिंह की रिपोर्ट को लेकर बराबर यह सरकार जानबूझ कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैंने चर्चा को स्वीकार कर लिया है। जब चर्चा हो, तो उस समय आप बहस कर लें। आपको मौका मिलेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

(व्यवधान) मान्यवर, मैं सदन को स्थगित नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, ऐसा नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) वर्मा जी, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। दोनों वर्मा जी बैठ जायें। किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। जब चर्चा स्वीकार हो गयी है, तो उस समय आप चर्चा कर लीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी, आप इसको विवाद का विषय न बनावें । चर्चा हो जायेगी, तब आप अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन सदन में दें . . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, डा0 कौशल साहेब ने उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात की है । डा0 कौशल साहेब इसमें थोड़ा संशोधन कर दें और विभाजन के स्थान पर पुनर्गठन कर दें, तो ठीक रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाम्बे प्लान के अनुसार . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन में चर्चा होगी। पाण्डे जी आप बैठिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या आप उनके साथ हो गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, बरार जी ने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर दिया गया और आपने अपनी व्यवस्था दे दी । जो कुछ बात कहनी है और उसे चर्चा के समय कहा जा सकता है । एजेन्डा जो आज का है, उसको आगे बढ़ने दें। वह बात तो खतम हो गयी । आप अब आगे का आइटम लें।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी है । तो अब उसमें क्या रह गया है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। सदन ऐसे नहीं चलेगा । आप मजबूर कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है और जो जायज हिस्सा है, उसकी मांग कर रहा हूं। ऐसे मान्यवर, सदन नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा तो स्वीकार हो गयी है। उसमें आप अपनी सारी बात कह लीजियेगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से के साथ कोई अन्याय नहीं किया जायेगा चाहे वह पश्चिमी हो या पूर्वी हो ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अलग है, इस सन्दर्भ में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, तथ्य आपके सामने हैं। जो मौजूदा सवाल है यह भी और पिछले दौरान सरकार जब नई-नई योजनायें स्वीकार कर उन्हें लागू करती है तो यह बात भी सभी के सामने है कि उनका पालन कहां तक हो रहा है। इस सवाल का समाधान नहीं हो पाता । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न हमारे सामने है कि 680 करोड रुपये की योजना पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क बनाने के लिये है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश से कोई दुश्मनी नहीं है. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब इस पर चर्चा स्वीकार कर ली है तब मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं देता । (व्यवधान) । कृपया सब लोग बैठ जांय । . . (व्यवधान) कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 की 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7 स्वीकार की गई हैं जो माननीय रिछपाल सिंह बंसल, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री विजय सिंह राना, श्री जगवीर सिंह, श्री मैनेजर सिंह तथा ईश्वर शरण विद्यार्थी की हैं ।

निर्वाचन क्षेत्र खेकड़ा, मेरठ में पेयजल का गंभीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र खेकड़ा (मेरठ) जो जनपदों में पड़ता है जिला गाजियाबाद का विकास खण्ड लोनी तथा मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा, पिलाना व बागपत है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अधिकांश गांव में जल-स्तर 60 फुट से भी नीचे चला गया है जिसकी वजह से पीने के पानी के कुंवे सूख गये हैं । पीने के पानी के अभाव में पेय-जल समस्या उत्पन्न हो गई है, जिन गांवों के अन्दर पीने के पानी का भारी संकट है उनमें मुख्यतया निम्नलिखित हैं जनपद गाजियाबाद

जावली, औरंगाबाद रिस्तल, कोतवालपुर, सकलपुरा, निस्तोली, अफजलपुर, टीला शहबाजपुर, सिकरानी निठौरा, चिरौड़ी, सरौली, गनौली मंडोला तथा जनपद मेरठ में भागोट, भेड़ापुर, गोठरा, संकलपुठी, पिलाना, घिड़ोरा, अहमदनगर नगलावड़ी केरका फखरपुर, डोलचा बन्दपुरवसी, मंसूरपुर, फतेग, गौना, ठिकौली आदि हैं ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इन गांवों में पानी की टंकी बनवाने का कष्ट करें ।

जनपद फैजाबाद की नहरों व माइनरों में पानी के अभाव से किसानों के समक्ष संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, इधर मानसून न आने से एक तरफ किसानों में पानी के अभाव में जल पेय और सिंचाई की समस्या विकराल रूप धारण किये हुये है । लोगों में निराशा का घोर वातावरण व्याप्त है । दूसरी तरफ सिंचाई हेतु शारदा सहायक नहर एवं उसके माइनर में आज 15 दिन से पानी न के बराबर है । यह बात जरूर है कि नहर खुल गई है परन्तु सिंचाई हेतु नहर में पानी इतना कम है कि उससे संबंधित माइनर में पानी नहीं जा रहा है । किसानों के खेतों में जाना तो दूर रहा नहर खुलते ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र स्थित विकास क्षेत्र सुहावल के पिरखौली गांव के करीब नहर में कटान भी दिनांक 24 जून को हो गया जिससे जो थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा था वह भी बन्द हो गया और नहर सूख गई । ऐसी विषम स्थिति में किसानों में घोर निराशा और असन्तोष का वातावरण व्याप्त हो गया है ।

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि नहर को सुव्यवस्थित ढंग से चालू किया जाय और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावे ।

सीतापुर में आवास एवं विकास कालोनी के पूर्ण विकसित होने से पूर्व आवंटन किये जाने से कालोनी के निवासियों के समक्ष संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सीतापुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना पूर्ण विकासित किये बिना वर्ष 1985 से आवंटन प्रारंभ कर दिया गया । कालोनी में प्रकाश, पेयजल, सीवर, जल निकास, सफाई, सड़कों तथा पार्क आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आवंटी नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं । आवंटन के बाद कब्जा लेना तत्काल आवश्यक इसलिये है कि आवंटन के 30 दिन बाद निर्बल, निम्न, मध्यम आय वालों को क्रमशः 2, 5 तथा 10 रु0 प्रतिदिन अर्थदण्ड देना पड़ता है । निर्माण अत्यंत घटिया स्तर का हुआ है । सीवर लाइन के गड्ढे खुले पड़े हैं अभी मेनहोल से नहीं जोड़ा गया है । जिन्हें प्लाट आवंटित हुये हैं उनको नक्शा पास कराते समय 4,500 रु0 मलबा खर्च देना पड़ता है । डाक खाना, बैंक, पुलिस चौकी नहीं है।

अवर अभियंता (रख रखाव) का पद खाली है । कुल मिलाकर पूरी कालोनी की दशा अत्यंत दयनीय तथा असुरक्षित है ।

लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करके मांग करता हूं कि घटिया स्तर निर्माण कार्य की जांच तकनीकी सैल से कराई जाय, बिजली, पानी, सीवर, ड्रीनेज आदि में सुधार हो, सुरक्षा, बैंक डाकखाना की व्यवस्था हेतु उचित प्रबंध हो ।

आखला बांध से पानी छोड़ने पर यमुना नदी के पानी की अधिकता से क्षेत्रीय किसानों के समक्ष समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आखला बांध से बिना किसी पूर्व सूचना के और जनता को बिना बताये काफी बड़ी मात्रा में जमुना में पानी खोला गया था । फलतः जमुना की रेती में खड़ी किसानों की जायद की फसल पूरी तरह बरबाद हो गयी है और किसान पूरी तरह तबाह हो गया है। मैं आपके माध्यम से सदन व शासन को इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न द्वारा यह बताना चाहता हूं कि किसान अपनी रबी व खरीफ की पूरी फसल को लागत में लगाकर यह जायद की फसल पैदा करता है और सरकारी विभाग की अकर्मण्यता से किसानों की यह पूरी फसल पूरी तरह बरबाद हो गयी है । अतः किसान एक वर्ष की अपनी पूरी कमाई से हाथ धोकर बैठा है । इससे मुख्य रूप से प्रभावित ग्राम सिकंदरपुर, खासपुर, मनोहरपुर, अरतानी, बाईपुर गढ़ी, बाईपुर, बाबरपुर, ककरेठा, गहलाना, मऊ, बुढ़ाना, करमना, नगलातलुफी, मदरा, महल, समागर, तनौरा, नूरपुर, करौली, गूलर, मैरा, नाहरगंज और किसाना है ।

मैं सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इन गांवों के किसानों को तुरन्त राहत पहुंचायी जाय और इन्हें क्षतिपूर्ति अनुदान दिलाया जाय ।

क्षेत्र खैर, जनपद अलीगढ़ में पेय जल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

मान्यवर, मेरे यहां खैर क्षेत्र के कई ग्रामों में पेयजल के सभी श्रोत में पानी समाप्त हो जाने के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है । मुख्यतः ग्राम सालपुर, फैजुआका, टप्पल पिसावा, चड़ौस जरारा आदि में पशु व मनुष्य जल संकट से त्रस्त हैं, उक्त ग्राम अधिकांशतया खारी पानी के क्षेत्र में स्थित है। यहां जल स्तर बहुत गहराई पर होने के कारण हैण्डपम्प कार्य नहीं कर पाते हैं । यह सभी बड़ी आबादी के ग्राम हैं जहां कि परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या अधिक है । पानी की टंकी निर्मित कराके उक्त ग्रामों में जल आपूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सदन के संज्ञान में लाते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

बलिया जनपद में अग्नि काण्ड तथा दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों हेतु आवंटित राहत कार्य एवं सुविधाओं की व्यवस्था में बरती जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस वर्ष बलिया जनपद में अग्निकाण्ड से भीषणतम धन जन की हानि हुई है । जिसके फलस्वरूप सैकड़ों गांवों के हजारों परिवार गृह हीन, वस्त्र हीन, साधनहीन होकर शरणार्थियों जैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। शासन की उदार नीतियों के बावजूद बलिया का जिला प्रशासन राहत कार्य में क्रूरता से कार्य कर रहा है । इस संबंध में प्रभारी मंत्री जनपद बलिया 20 सूत्रीय मंडलीय प्रभारी मंत्री, सचिव राजस्व एवं आयुक्त वाराणसी के स्पष्ट निर्देशों एवं मौखिक आदेशों की अवहेलना जिला प्रशासन कर रहा है जिसके फलस्वरूप सैकड़ों परिवारों को जिन्हें अहेतुक सहायता दी गयी उन्हें आज तक गृह अनुदान नहीं दिया जा सका है। जिनके रबी के खलिहान पूर्णतया जलकर नष्ट हो गया एक दाना घर में नहीं बचा उन्हें अहेतुक सहायता भी नहीं दिया गया। शिवपुर दियर, नगवां मोहन छपरा, दोला फतेहराय, नौरंगा, भगवानपुर, पाण्डेपुर, चांदपुर, बैरिया हरिजन बस्ती, कछुवा रामपुर हरिजन बस्ती आदि में गरीब परिवार आज भी धूप में बैठने के लिये विवश हैं । मंडलीय मंत्री एवं आयुक्त के टेन्ट लगाने के स्पष्ट आदेश की अवहेलना की जा रही है बलिया के जिलाधिकारी निकम्मे किंकर्तव्य विमूढ़ एवं मूक दर्शक बने हैं । अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त और हाकिम परगना बलिया क्रूरता की सीमा पार कर रहे हैं । ऐसी विषम परिस्थिति की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूं ।

इलाहाबाद में खोले गये आंगन बाड़ी केन्द्रों में आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी –

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद इलाहाबाद के अंतर्गत नये खोले गये आंगन बाड़ी केन्द्रों में लाखों रुपया बजट के घोटाले को शासन के संज्ञान में लाकर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं ।

प्रदेश सरकार द्वारा शत प्रतिशत हरिजन समाज ग्रान्ट पर आगंनबाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं और नये सत्र में भी खोले गये हैं । उदाहरणस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी ब्लाक में एक नये केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसमें एक परियोजना अधिकारी, कुछ सहायक अधिकारी और सैकड़ों केन्द्र कार्यकत्री कर्मचारी की नियुक्ति की गयी परन्तु इसकी जानकारी न तो क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को रही न तो उस क्षेत्र की जनता को । क्योंकि यह कार्यालय केवल कागजों पर ही चल रहा था और सरकार का कोरा बजट का घोटाला अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा।क्षेत्र में बिना कार्यालय स्थापित किये वेतन भुगतान किया गया, सामग्री बेच दी गयी । अधिकारी शहर में रहते हैं केन्द्र 45 किलो मीटर दूर खुलना था बाद में इसका भण्डाफोड़ हुआ कि इस क्षेत्र में सरकार की उक्त योजना चलायी जा रही है ।

अतः मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उक्त बोरे बजट का घोटाला करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करके पूरे धन की वसूली कराने के आदेश करने की कृपा करें ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 300 के अंतर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मैनेजर सिंह, श्री रघुबर दयाल वर्मा।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में जो प्रश्न उपस्थित किया है वह, कल की कार्यसूची के मद सं0 9 पर, कार्य मंत्रणा सिफारिश के बारे में इस माननीय सदन में प्रस्ताव पेश करने के सम्बन्ध में है । मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी, इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य नहीं हैं । नियमों के अनुसार और परम्परा भी यही रही है कि कार्य मंत्रणा समिति का कोई सदस्य ही कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के बारे में सदन में प्रस्ताव पेश कर सकता है । इसलिए कल जो श्री अम्मार रिजवी की तरफ से कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश का प्रस्ताव पेश कराकर अभी तक स्थापित संसदीय मान्यताओं को तोड़ा गया है और इस प्रकार नियमों की अवहेलना हुई। उसके सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि कल श्री रिजवी ने जो प्रस्ताव पेश किया था वह सदन में नियमानुकूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया नहीं माना जायेगा, इसलिए उस प्रस्ताव के अनुसार जो भी कार्यवाही होगी वह नियमानुकूल नहीं मानी जायेगी । मान्यवर, एक परेशानी हो सकती है कि जितनी आज कार्य सूची ली गई है वह फिर सारी गड़बड़ हो जायेगी, तो इसके बारे में निवेदन है कि कल जो प्रस्ताव हुआ उसको यदि एकदम निरस्त न कर विशेष परिस्थिति को देखते हुए अपनी पीठ से आज यह स्पष्ट निर्देश दे दें कि भविष्य में केवल कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों में से ही कोई कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश के बारे में प्रस्ताव पेश करेगा । इस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को जो न तो इस सदन का और न कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य है, प्रस्ताव करने की अनुमति न दी जाए, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब यह मद आया था, और प्रस्ताव प्रस्तुत होना था । स्वयं संसदीय कार्य मंत्री जो विद्वान हैं और संसदीय ज्ञान के भरपूर ज्ञाता हैं इस बात को अच्छी तरह जानते थे । इसीलिए उन्होंने स्वयं पेश करना उसे उचित नहीं समझा और अपने बगल में बैठे हुए पर्वतीय विकास मंत्री को यह काम (प्रस्ताव प्रस्तुत) दे दिया । किन्तु उस पर हमारे विरोध पक्ष की ओर से विरोध हो गया और हमारे गुप्त जी ने कह दिया कि यह कार्य संसदीय कार्य मंत्री का है, इस लिए उन्होंने ही इसे पेश कर दिया । वे स्वयं अनुभव करते थे, वे स्वयं समझते थे कि उन्हें नहीं करना चाहिए । वे स्वयं यहां मौजूद रहते हुए भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना

चाहते थे, उसके पीछे यही कारण था। यह कोई गैर जानकारी में नहीं हुआ, इस लिए पहले प्रस्ताव संकोच में हुआ । लेकिन जब अपोजीशन से विरोध हो गया, तो लिहाज में उन्होंने प्रस्ताव को रख दिया । इस संबंध में नियम तो वही है जो माननीय तिवारी जी ने कहा है, इसे मंत्री जी भी स्वयं स्वीकार करेंगे । आगे से ऐसी भूल न हो, इस प्रकार के निर्देश मान्यवर, आप जारी करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जानबूझकर कल इस प्रस्ताव को रखना नहीं चाहते थे । जानबूझकर ही यह भूल की गई है और मद सं0 9 उनके द्वारा पढ़ा गया है । इस तरह की भूल भविष्य में न हो, इसके लिए आप अपनी नियमावली और परम्पराओं के तहद आवश्यक निर्देश दें, जिससे जब भी कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव आए, उसके सदस्य ही यहां पर प्रस्ताव रखने के लिए बुलाए जाएं ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, तिवारी जी, मैनेजर सिंह और वर्मा जी ने मेरा जवाब तो आधे से अधिक खुद ही दे दिया, मुझे केवल एक बात कहनी है, जहां तक संविधान का संबंध है, इसके लिए आप 177 देखें. . . .

श्री किरनपाल सिंह–

(व्यवधान) जिस पर एतराज उठाया जाता है, वह जवाब न देकर दूसरे को जवाब देने देता है । इसलिए इसका जवाब रिजवी जी को यहां नहीं देना चाहिए । अपना मुकदमा अपने आप न करें, दूसरे को बुला लें. . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

निर्णय तो मुझे देना है, मैं कह रहा हूं कि यही जवाब दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

जब कोई अपने मुकदमे की पैरवी अपने आप नहीं कर पाता, तो वकील करता है । (व्यवधान) 177 देखें, तो उसमें यह है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्य जो हैं, चाहे जिस सदन के सदस्य हों, वह पूरी कार्यवाही में यहां की और वहां की भी, हिस्सा ले सकते हैं । केवल वोटिंग की बात जब आती है उसके लिए है कि वह उस सदन में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसके कि वह सदस्य नहीं हैं । जहां तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात है, बराबर कर सकते हैं किसी भी सदन में कर सकते हैं और उक्त समिति के सदस्य रह सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी में यदि कोई होता है तो उसको मिनिस्टर कन्सर्न्ड चेयरमैन होता है । तो यह कहना कि वह नहीं हो सकता है, मैं समझता हूं कि संविधान के हिसाब से सही नहीं है । तिवारी जी की दूसरी आपत्ति है कि कल की कार्यवाही नियमित रूप से नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रकार का प्रस्ताव आया । मान्यवर, आप जानते हैं, मैं बैठा हुआ था और मेरे काबिल दोस्त राजेन्द्र गुप्त जी ने यह बात उठाई । तो अब हमारा डिफेंस राजेन्द्र गुप्त जी करें, क्योंकि उन्हीं के प्रस्ताव पर यह किया गया था । तो इसका डिफेंस उनको करना है । मुझे तो यह निवेदन करना है कि माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया, कि तुम्हें प्रस्ताव करना है, उन्होंने मेरा नाम पुकार दिया, अगर माननीय अध्यक्ष किसी

का नाम पुकारें, तो खड़ा होना जरूरी होता है, मेरा नाम माननीय अध्यक्ष जी ने पुकारा तो मैं खड़ा हो गया, यदि माननीय अध्यक्ष जी इंगित कर देते कि सदन से चले जाओ, तो मैं उनके आदेश का पालन करने के लिए सदन से चला जाता, प्रस्ताव तो दूसरी बात है। सदन में एक प्रस्ताव आया और सदन ने उसको पारित कर दिया, उस पर सदन का निर्णय हो गया, उसके बाद उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है यदि आपत्ति ही करनी थी तो जिस वक्त मैं खड़ा हुआ था उस वक्त तिवारी जी भी मौजूद थे, तो उस वक्त उनको एतराज करना चाहिए था। मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है, माननीय तिवारी जी ने एक बात कही, माननीय मैनेजर सिंह जी ने सफाई पेश कर दी, लेकिन माननीय गुप्ता जी ने कौन सी बात में मेरा नाम बोल दिया ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न नियम–56 की सूचना के सन्दर्भ में दिया है, मान्यवर, विधान सभा के प्रक्रिया संबंधी करण हैं उसमें करण संख्या–18 में यह व्यवस्था है कि "नियम–56 के अंतर्गत प्राप्त किसी सूचना को ग्राह्य घोषित करते समय अध्यक्ष उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और ऐसी सूचनाओं पर वही प्रक्रिया लागू होगी, जो नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर लागू है।"

मान्यवर, नियम–301 की सूचनाएं माननीय सदस्य की तरफ से माननीय मंत्री जी को प्राप्त होती हैं। मान्यवर, जो करण–18 की व्यवस्था है वह कुछ दिनों से सस्पेंड है। मान्यवर, पीठ की तरफ से सरकार का ध्यान जिस विषय पर आकृष्ट किया जाता है उसमें सरकार कोई चिन्ता नहीं करती और न कोई ध्यान नहीं देती है, इसलिए जो तात्कालिक विषय होता है वह कार्रवाई से अछूता रह जाता है, तो मान्यवर, जो करण संख्या–18 की व्यवस्था है उसको पूर्ववत लागू किया जाए, यह व्यवस्था पहले रह चुकी है इसलिए उसको लागू करने में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है इसलिए नियम और करण में जो व्यवस्था चल रही है उसको लागू किया जाए और ध्यान आकर्षित करने की सूचना पर नियम–301 की तरह कार्यवाही की जाए जिससे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को समझते हुए आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं उस पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–56 की सूचना के बारे में पीठासीन अधिकारी शासन का ध्यान आकर्षित कर सकता है लेकिन पीठासीन अधिकारी को पूरा अधिकार है कि वह किसी भी सूचना को अस्वीकार कर दे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह तो ठीक है मान्यवर, लेकिन नियम–301 की सूचना की तरह इस पर कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

जैसा समय होता है वैसा कर दिया जाता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसमें नियम–301 की तरह व्यवस्था लागू की जाए ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरी दो सूचनाएं हैं पहले किस सूचना को सुनना चाहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

जिसको आप इम्पोर्टेन्ट समझें वह आप बोल लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं दोनों सूचनाओं पर बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है आप दोनों पर बोलिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सामूहिक जुर्माना सरकार ने लागू किया है । 18 जून से सदन आहूत किया गया था और 16 जून को मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश में जहां-जहां दंगे होंगे वहां सामूहिक जुर्माना लगाया जायेगा । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही है या सदन आहूत करने की तारीख निश्चित कर दी गई है उस समय सरकार को कोई भी नीति की घोषणा सदन के बाहर नहीं करनी चाहिए सदन के अंदर करनी चाहिए । मान्यवर, यह जो निर्णय लिया गया है कि जहां-जहां दंगे होंगे वहां पर सामूहिक जुर्माना किया जायगा यह नीतिगत प्रश्न है । यह इस प्रदेश के करोड़ों लोगों से संबंधित है और वह इससे प्रभावित होंगे । मेरा निवेदन यह है कि 18 तारीख से सदन आहूत होने वाला था तो इस समय इसका फैसला नहीं करना चाहिये था । अगर इसकी सूचना देनी थी या इसके बारे में कोई निर्णय किया गया था तो उसकी सूचना सदन में देनी चाहिये थी । श्री वीर बहादुर सिंह जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उन्होंने 17 तारीख को अखबार वालों को बुलाकर इसकी सूचना दी और सारे समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ । हालांकि मेरी अपनी राय है कि जब अफसरों की लापरवाही से, प्रशासन की कमजोरी से दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जनता पर नहीं डालनी चाहिये । केन्द्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने कहा है कि मेरठ में जो दंगा हुआ है वह अफसरों की लापरवाही से हुआ है । माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि मेरठ का दंगा पूर्व निर्धारित साजिश का परिणाम है और उसमें विदेशी तत्वों का हाथ है । मान्यवर, जिस दंगे में विदेशी तत्वों का हाथ हो.....

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मेरठ के दंगे पर चर्चा करा रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी को तकलीफ हो रही है कि इन बातों को मैं क्यों कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप औचित्य के प्रश्न पर रहें दंगे पर न जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जब नियमावली का उल्लंघन हो या संविधान का उल्लंघन हो तो औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है । इसमें जो मामला है यह प्रशासनिक मामला है । आप हर मामले को औचित्य के मामले में सुनेंगे तो फिर अव्यवस्था होगी जिसकी चिन्ता आप सब लोग करते हैं ।

[x x x]

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री मैनेजर सिंह को बना दिया जाय । माननीय अम्मार रिजवी सत्ता पक्ष की तरफ से हैं । विपक्ष की तरफ से भी एक संसदीय कार्य मंत्री बना दीजिए ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं इस सदन का जिम्मेदार सदस्य हूं । चाहे इधर रहूं या उधर रहूं । जो बात सही होगी वह कहूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न औचित्य के अंतर्गत आता है या नहीं यह देखना आपका काम है । आप अगर लोगों के दबाव में आकर सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

नियम 300 में मैंने सूचना दी है उस पर निर्णय लेना आपका काम है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

आप मेरी बात सुन लें । माननीय मैनेजर सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर आपको व्यवस्था दे देनी चाहिये, आप भाषण कराते जा रहे हैं । मैनेजर सिंह सीनियर मेम्बर हैं, उन्होंने जो बातें कहीं उन पर आपको व्यवस्था दे देनी चाहिये ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह ने आपको आरोपित किया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, यह सदन नियमों के अन्तर्गत चलता है । औचित्य का प्रश्न तभी उठता है जब हमारी नियमावली या संविधान की धाराओं का उल्लंघन हो । माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि यह प्रशासनिक मामला है नियमावली से इसका कोई संबंध नहीं है । आप इस पर व्यवस्था दें, आप भाषण कराते चले जा रहे हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, क्या व्यवस्था पर व्यवस्था होगी ?

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अभी निर्णय दे रहा हूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, कौन सा विषय औचित्य का है या कौन सा विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है उसका निर्णय करना आपके विवेक पर है । सदस्य चाहे वरिष्ठ हो या कनिष्ठ उनके कहने से क्या होगा ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जब एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है तो आगे कार्यवाही तभी चले जब उस पर कोई व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता । इसमें न नियमावली का उल्लंघन है न संविधान की कोई बात है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपने तो [x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप भी दबाव से सदन नहीं चलवा सकते ।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[xxx] (व्यवधान) यह 300 में आता है या नहीं आता है यह 300 को सुनने के बाद फैसला करना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन लिया, यह 300 में नहीं आता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जब सदन चल रहा हो या सदन आहूत किया गया हो उस समय नीति सम्बन्धी वक्तव्य सदन से बाहर नहीं देना चाहिए यह आपकी पीठ से निर्देश हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

16 जून को यह प्रशासकीय निर्णय ले लिया उस समय सदन नहीं चल रहा था ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर सदन में बराबर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप इसको स्वीकार करें या न करें । 18 जून को सदन आहूत कर दिया गया उस समय 16 तारीख को मंत्रिमंडल ने यह फैसला करके इस सदन की गरिमा का अपमान किया है ।

नोट :–[x x x] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । अब आप जो बोलेंगे वह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

श्री हरदेव–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मना कर दिया है कुछ नहीं लिखा जायेगा, बोलने दीजिए कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइये, मैं आपके दबाव में आने वाला नहीं हूं ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय शतरुद्र प्रकाश से कहें कि वह अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(श्री सत्यपाल सिंह द्वारा श्री शतरुद्र प्रकाश को बैठालने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[x x x]

(श्री किरनपाल सिंह द्वारा श्री शतरुद्र प्रकाश को बैठालने पर)

नोट –[x x x] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मैं पक्षपात करता हूं, तो आप ले आइये मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, मैं उस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदन आहूत किया जा चुका हो . . . .

(घोर व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में मैं अभी-अभी आया हूं । मान्यवर, मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जोकि शोभनीय नहीं था । मान्यवर, मुझे इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है कि उस समय क्या प्रकरण चल रहा था, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो बात नियमों के विरुद्ध थी, संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध थी, मैं समझता हूं कि उसे वापस लेना चाहिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही, मैं उनकी बात पर बल देता हूं और चाहता हूं कि हम लोग एक अच्छा और स्वच्छ वातावरण बनायें । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने दो बातें कहीं । एक बात इन्होंने यह कही कि जिस वक्त सदन सत्र में था या आहूत कर लिया गया था उस वक्त नीति विषयक बातों को नहीं कहना चाहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं या नियम 300 पर जो मैंने कहा उस पर बोल रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मेरा साफ तौर पर कहना है कि आप 300 की सूचनायें सुन रहे हों और ऐसी सूचनायें जो आज के नाजुक समय से जुड़ी हुई हैं और वह भी ऐसे समय में हुई हों जब सदन आहूत होने वाला हो । चाहे मेरठ का दंगा हो या कुछ और उसका मुआवजा अगर साधारण आदमी को भरना पड़ता है तो अंग्रेजों ने जो काला कानून बनाया था उस काले कानून की पुनरावृत्ति अगर यह सरकार कर रही है और ऐसे समय कर रही है तो यह संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन है, यह संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का मजाक उड़ाना है । अगर 16 तारीख को कोई फैसला मंत्रिमण्डल ने किया तो उसकी घोषणा सदन के अन्दर करना चाहिए था । यह संविधान के अन्तर्गत आता है कि नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूं लेकिन आप माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों को देख लें, माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों को देख लें, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश को देख लें, उसमें भी

नोट :—[x x x] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साफ लिखा है कि जब सदन चल रहा हो या सदन आहूत होने वाला हो तो कोई भी नीति संबंधी घोषणा सरकार सदन के बाहर नहीं कर सकती और मैं उन्हीं निर्देशों के तहत आपसे नियम 300 के अंतर्गत अपनी बात कर रहा था । मैं अपनी आधी बात कह पाया था, पूरी बात कहने का आपने मौका नहीं दिया । आपने संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन किया है ।

मान्यवर, 300 के अलावा कोई दूसरा नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत यह सूचनायें उठाई जा सकें । मान्यवर, कल भी बहुत से सवाल उठे थे, सदस्यों के निलंबन का भी सवाल उठा था और यह कोई संविधान से जुड़ा हुआ सवाल नहीं था । जब आप एक सदस्य को सुनेंगे और दूसरे सदस्य को नहीं सुनेंगे तो हमारे जैसे लोगों के मन में यह असंतोष आयेगा । इस पर सरकार को विचार करना चाहिए था । सरकार ने अपने साम्प्रदायिक दंगों से काली विरासत को आगे ले जाना चाहा और अगर इसका समर्थन विरोध पक्ष की तरफ से कोई करता है तो मैं समझता हूं कि वह सरकार से मिला हुआ है । मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने भी संसदीय लोकतंत्र की हत्या की है । आपको सरकार के प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करना चाहिये था । आपको रात के दो बजे यहां पर पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था । यह आपको शोभा नहीं देता है । आप दस्तखत न करते । आप सरकार के काले कानून का साथ दे रहे हैं । आप वहां बैठकर धमकी दे रहे हैं और धमकी देकर हमें दबाव में डालना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बाकी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इस समय यहां एक तनाव का वातावरण हुआ उससे मैं बहुत खुश तो नहीं हूं लेकिन यह बहुत चिन्ता का विषय है कि आपने उस वातावरण का अनुचित लाभ उठाकर आगे जिनकी सूचनायें थी उनको आपने क्यों बन्द कर दिया ?

हम लोगों ने भी कुछ सूचनाएं आपको दी थीं या मात्र इतनी ही सूचनाएं आपकी थीं या इसके अलावा भी थीं, तो उनको सुने बगैर आपने उनको निरस्त कैसे कर दिया ? ऐसा किन नियमों के तहत मान्यवर आपने किया है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसे निरस्त कर दिया है, नियमों के बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मान्यवर, दूसरे लोगों की तरह आप पर कोई लांछन लगाना या कोई अभद्र व्यवहार करना नहीं चाहता और आपने हमको बुलवा भी लिया था, उसके बाद फिर आपने पता नहीं किन कारणों से निरस्त कर दिया, जबकि दूसरों को औचित्य पर सुना और देर तक सुना और [× × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[× × ×] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां, निर्णय हो गया 4, 5, 6 व 7 नहीं ली जायेंगी, यह अस्वीकार हो गयी है और हमने आपको व्यवस्था पर बुलाया था इस पर नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुयी आखिर नियमों को किस लिए बनाया गया है, मान्यवर, जब तक आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं मैं भी नहीं बैठूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इन सब को अस्वीकार कर दिया है, अब नहीं ली जायेंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपके इस आचरण पर हंसी आती है, भगवान आपको बुद्धि दे।

(हंसी)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैनेजर सिंह जी ने [× × ×] कहा है इसको कम से कम कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो शब्द संसदीय मर्यादा के विपरीत हों उन्हें कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, जो आपत्तिजनक बातें होंगी, उन्हें निकलवा दिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आपने सभी को सुन लिया, राजेन्द्र गुप्त जी तो नियमों की परिधि के अन्दर ही बोलते हैं, इसलिए हमारा विचार है कि इनकी बात को तो सुन ही लें आप।

श्री उपाध्यक्ष—

अब निर्णय हो गया, कल देख लेंगे ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर कई लोगों को आपसे सुना और लम्बे भाषण भी सुन लिये और जहां तक राजेन्द्र जी की बात है, वह कभी भी नियमों के बाहर बात नहीं करते हैं और कोई ऐसा व्यवहार भी यह नहीं करते हैं जो असंसदीय हो । वैसे यह आपका अधिकार है कि आप इनकी बात को सुनकर चाहे स्वीकार करें या न करें, लेकिन इन्हें कम से कम बोलने का मौका तो आप दे दें, बात इनकी बहुत संक्षेप में ही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आप फिर इसी को दे दें, उसे सुन लेंगे ।

नोट:—[× × ×] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं आपके आचरण पर जानबूझकर असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूं और उसका परिणाम भुगतने के लिये भी तैयार हूं । कभी-कभी कर्तव्य बगावत बन जाता है। [x x x]

श्री हरदेव—

मैं भी आपके आचरण की निंदा करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं—(1) श्री हरेन्द्र सिंह-थाना खतौली जनपद मेरठ में पुलिस अत्याचार से पीड़ित महिला द्वारा आत्महत्या, (2) श्री राम नरेश यादव-गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया, (3) श्री सूर्य प्रताप शाही-गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया, (4) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-जनपद फैजाबाद में बिकने वाले सीलबंद शीतल पेय पदार्थों में कीड़े पाया जाना, (5) श्री शतरुद्र प्रकाश—जनपद झांसी के पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) डा0 दर्शन लाल की हत्या, (6) श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव तथा श्री मूलचन्द-जनपद झांसी के पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) डा0 दर्शन लाल की हत्या, (7) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र से संस्कृत को हटाया जाना, (8) श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—जनपद बस्ती के कलेक्ट्रेट कार्यालय में चालिस लिपिकों की छटनी, (9) डा0 दिनेश जौहरी—पौड़ी गढ़वाल में खसरे का प्रकोप, (10) श्री अवधेश प्रसाद—प्रदेश में मानसून के विलम्ब के कारण पेयजल की समस्या, (11) श्री शारदा प्रताप—ग्राम मिल्कीपुर जनपद सीतापुर में स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल को अन्यत्र हटाया जाना, (12) श्री मनोहर लाल—चौकी शेखपुर जनपद कानपुर की पुलिस द्वारा सुखलाल यादव की पिटायी एवं उत्पीड़न, (13) श्री चन्द्रभान मौर्य—तहसील एतमादपुर आगरा में हरिजन उत्पीड़न, (14) श्री किरनपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह तथा डा0 बंगाली सिंह—मुजफ्फरनगर के युवा वकील श्री राजकुमार वालियानक की पुलिस द्वारा हत्या, (15) श्री अमीर आलम खां, श्री वीरेन्द्र सिंह तथा श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—मुजफ्फरनगर के युवा वकील श्री राजकुमार वालियानक की पुलिस द्वारा हत्या, (16) श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में रोड होल्ड अप का ताता, (17) श्री दीपचन्द्र सोनकर—ग्राम सराय ख्वाजा थाना लपरी जनपद जौनपुर में पुलिस द्वारा मछली मारने वालों का उत्पीड़न, (18) श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री मैनेजर सिंह-जनपद आगरा के फिरोजाबाद नगर में विद्युत आपूर्ति के अभाव में पेयजल आपूर्ति ठप, (19) श्री बदन सिंह-जनपद आगरा में अस्पतालों के खाली पड़े होने से जनता को परेशानी ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर की एक दर्दनाक घटना का जिक्र सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मान्यवर, यह पुलिस की जनता

नोटः—[xxx] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की रक्षा के लिये बनाई गयी थी, दिनांक 24-6-87 को हमारे जिला लोकदल (युवा) के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार वालियानक एडवोकेट अपने साले की शादी में जाने के लिये पास के 8 किलोमीटर दूर गांव सखिड़ा जा रहे थे। उनको रास्ते में पुलिस के तीन सिपाहियों ने रोका। उनके साथ दूसरे स्कूटर पर उनका साला व उसके एक साथी भी बैठे थे। उन दोनों को पुलिस वालों ने रोक कर लूटना चाहा। वह तो भाग गये वकील साहब रोक लिए गये । श्री राजकुमार वालियानक की घड़ी, रुपये आदि छीन लिये गये। बाद में जब लूटने वालों को पहचान कर कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, आप पुलिस वाले हो, तो उनको गोली मार दी गयी। इस घटना से क्षेत्र में काफी रोष है। उसके बाद वहां के उच्च अधिकारियों ने इस घटना में और नमक मिर्च लगाने का काम किया है, इससे वहां पर काफी रोष है। इस घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि पुलिस वालों के हाथ देने पर जब उन्होंने अपना स्कूटर नहीं रोका तो उनको बदमाश समझ कर गोली मारी गयी । श्री राजकुमार वालियानक को काफी पास से गोली मारी गयी है। जहां पर यह घटना हुई, वहां से केवल 6 इंच की दूरी तक खून फैला था। इस घटना को पुलिस के लोग छिपा रहे हैं। उल्टे गांव वालों को बुलाया और उनसे पुलिस ने उल्टी रिपोर्ट लिखवा ली कि यह बदमाश थे और इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है। मान्यवर, वहां इस घटना को लेकर अत्यन्त जन आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के बाद अगले दिन मंसूरपुर थाने का जनता ने घेराव किया। मान्यवर, 27 तारीख को वहां कचहरी बंद रही। आज 30 तक भी कचहरी बंद है। प्रोसेशन 27 तारीख को निकाला गया। 28 तारीख को खैतौली में इस घटना को लेकर और पूर्व घटित शाहजहां नामक औरत की घटना को लेकर 3 घंटे तक सड़कें जाम रहीं। मेरठ के वकीलों ने भी घोषणा की है कि इस घटना के संबंध में वह भी जन आक्रोश के साथ हैं। मान्यवर, मैं इस दुखद घटना की सूचना सदन को देते हुए मांग करता हूं कि इस घटना की सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाय । राजकुमार वालियानक के परिवारजन को 2 लाख रु0 दिये जांय। और, इस घटना को अधिकारियों ने, चाहे जिलाधिकारी हो या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो छुपाने का काम किया है, उनके विरुद्ध संविधान के सेक्शन 201 के अनुसार मुकदमा चलाया जाय और दंडित किया जाय । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में पुलिस उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है । इसके पहले शाहजहां नामक औरत को पुलिस द्वारा मांगी गयी रिश्वत न देने के संबंध में मजबूर होकर आत्म हत्या करनी पड़ी । शाहजहां का 3 दिन का बच्चा था, 3 बच्चे और थे। पुलिस का उसमें कहना था कि वह औरत पागल थी ऐसा नहीं था । मान्यवर, इसी पर सरकार नहीं चेती और उसके बाद भी पुलिस ने राजकुमार वालियानक वकील को मारने का काम किया। मान्यवर, जिला जल रहा है। जिले में इन गंभीर घटनाओं को लेकर जन आक्रोश व्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इसकी अगर सी0 बी0 आई0 से जांच नहीं करायी गयी, दोषी अधिकारियों को सेक्शन 201 के अंतर्गत दण्डित नहीं किया गया, उच्चाधिकारियों, जिन्होंने इस मामले को छुपाने का दबाने का काम किया, उनका

स्थानान्तरण नही किया गया और राजकुमार बाल्यानक के परिवारजन को 2 लाख रु0 आर्थिक सहायता के रूप में नहीं दिये गये तो यह जनआक्रोश बढ़ता ही जायेगा। मैं यह भी मांग करता हूं कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर तुरन्त चर्चा करायी जाय।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, युवा वकील की पुलिस ने हत्या की। मान्यवर, इस घटना के संबंध में जो वहां के प्रशासन और पुलिस का रवैया रहा, वह उससे ज्यादा खेदजनक है। मान्यवर, युवा वकील राजकुमार बाल्यानक अपने घर लौट रहे थे और लूटपाट के बाद उन्होंने पुलिस को पहचान लिया, तो पुलिस ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी इसको इनकाउंटर केस दिखाकर वहां की पुलिस इस मामले को समाप्त करना चाहती थी। लेकिन अब आक्रोश बढ़ा और लोगों में उत्तेजना फैली तो मान्यवर, पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मान्यवर, सिर्फ जो एक्सीडेंटल मामले होते हैं वह 304 आई0 पी0 सी0 में दिखाये जाते हैं। यह साफ-साफ मुकदमा 302 आई0पी0सी0 का होता है। मान्यवर, जनता को संतुष्ट करने के लिए वहां के एस0 पी0 ने घोषणा की कि मामले की सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जायेगी। अब यह बतायें कि सी0 आई0 डी0 जांच की घोषणा करने का एस0 पी0 को क्या अधिकार? डी0 एम0 ने मैजिस्ट्रेट जांच की बात की। पुलिस के हक में मैजिस्ट्रेट जांच की बात कही जा रही है। जैसा अभी हरेन्द्र मलिक जी ने बताया, मान्यवर इस घटना के विरोध में मुजफ्फरनगर में बाजार बंद रहे, मेरठ के वकीलों ने भी हड़ताल में शामिल होने की बात कही। मान्यवर, मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि सिर्फ इन दो जिलों में ही नहीं समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसमें बुलंदशहर भी सम्मिलित है, काफी जन असंतोष व्याप्त है। बुलंदशहर में भी पिछले दो दिनों से कचहरी बंद है। तमाम जन आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दिलायी जाय और श्री राजकुमार बाल्यानक के परिवारजन को कम से कम लाख रु0 की आर्थिक सहायता अवश्य उपलब्ध की जाय। मैं यह भी मांग करता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही रोककर, इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों का करीब 70 करोड़ रु0 का बकाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यादव जी, आप बैठें। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर से संबंधित घटना पर माननीय गृह मंत्री को सुन लें। फिर राम नरेश यादव जी की गन्ना किसानों के बकाये से संबंधित सूचना पर गन्ना मंत्री को सुन लें।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, जिस दुखद घटना के संबंध में यहां सूचना आयी है इस संबंध में निवेदन करूंगा कि जिन 3 सिपाहियों के बारे में बताया गया है, उनको गिरफ्तार करके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेल भेज दिया गया है और इसके साथ ही सी0 आई0 डी0 की जांच नियुक्त कर दी गई है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जिस केस में स्वयं डी0 एस0 पी0 इनवाल्व हो, क्या उसकी जांच सी0 आई0 डी0 का एक दरोगा करेगा। हम तो सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। यह सरकार सी0 बी0 आई0 को यह मामला रेफर क्यों नहीं करती?

श्री उपाध्यक्ष–

सी0 बी0 आई0 तो भारत सरकार की है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस मामले को लेकर असन्तुष्ट है और लोगों में आक्रोश है। माननीय मंत्री जी इसको लाईटली ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे तो दिया है।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय श्री हरेन्द्र सिंह जी ने एक अहम् प्रश्न उठाया और माननीय मंत्री जी ने उसका सूक्ष्म उत्तर दे दिया। एडवोकेट की जानबूझकर हत्या कर दी गई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन्हें आपने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 किस धारा के अंतर्गत किया और जिस एडवोकेट का कत्ल हो गया, उसकी विधवा और परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गई या सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

तीन कान्स्टेबिलों के खिलाफ 302 धारा के अनुसार ही एफ0 आई0 आर0 कायम की गई है। जहां तक आपने विधवा को आर्थिक सहायता देने की बात कही है, मैं बताना चाहता हूं कि वह सम्पन्न परिवार की है फिर भी जो सहायता उचित होगी वह अवश्य दी जायेगी नियमानुसार।

श्री किरनपाल सिंह–

पुलिस के खिलाफ मुकदमा है और पुलिस ही उसकी जांच कर रही है। माननीय मंत्री जी को दूसरी एजेन्सी से जांच करवाने में क्या आपत्ति है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जांच सी0 आई0 डी0 जांच करेगी। स्पेशल स्क्वैड पुलिस को भेजेंगे जिनकी देख-रेख में निष्पक्ष जांच होगी।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किस कानून में लिखा है कि सम्पन्न व्यक्तियों की हत्या कर दी जाय। दूसरा, यह कि जिन अधिकारियों ने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की, उनके खिलाफ 201 के अंतर्गत आप कार्यवाही करना क्यों नहीं चाहते हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, दोनों मुकदमें सी0 आई0 डी0 की जांच में करवाये जा रहे हैं और इसके लिए हेडक्वार्टर से स्पेशल स्कवैड भेजा जायेगा और जो लोग दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 201 के अंतर्गत उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। माननीय श्री हुकुम सिंह जी वहां पर मौजूद थे। इनसे जानकारी ले लें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, श्री हरेन्द्र सिंह का जो कहना है, मंत्री जी समझ नहीं पाये । इनका कहना है कि जिन तीन सिपाहियों ने कत्ल किया था, उसको पुलिस ने छिपाने की कोशिश की और जब जनता का दबाव पड़ा तभी मुकदमा दर्ज किया । जिन अधिकारियों ने एफ0आई0 आर0 दर्ज नहीं की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, कम से कम उनका ट्रांसफर तो कर दीजिए ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

उनके ट्रांसफर की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इस समय गन्ना किसानों का इस साल का 70 करोड़ रु0 करीब बकाया है । पिछले दिनों का भी कई करोड़ रुपया बकाया पड़ा है । आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि पिछले दिनों जिस तरह से गेंहूं की फसल का नुकसान हो गया, पानी नहीं मिला जिससे फसल कमजोर हो गयी । जो गेंहूं का समर्थन मूल्य का पैसा मिलना था, वह भी नहीं मिला । किसान को 120–125 रु0 प्रति क्वि0 के हिसाब से गेंहूं बेचने के लिए मजबूर होना पडा । इधर अवर्षण के कारण जो परेशानी है, वह तो है ही इस समय किसानों के ऊपर बिजली की वसूली तथा और वसूलियां भी जारी हैं तथा उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है । ऐसी स्थिति में जब किसान परेशान है, गेंहूं का दाम नहीं मिला, उनके उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है । किसान ने जिस गन्ने की फसल को अपने खेतों में उपजाया, मिलों को दिया, उसका 100 करोड़ रुपया मिलों पर पड़ा है । इससे किसान की स्थिति दयनीय हो रही है । चूंकि सरकार भी ऐसी स्थिति में किसानों को कोई राहत नहीं दे रही है, इसलिए किसानों में असन्तोष व्याप्त हो गया है । आप भी जानते हैं सदन भी जानता है कि गन्ने का उद्योग पुराना उद्योग है । इस उद्योग का बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के विकास में रहा है । ऐसी स्थिति में जब किसान परेशान है और सारा कमाई का पैसा मिलों पर पड़ा है, ऐसी भी स्थिति है कि कुछ मिलों को सरकार ने जानबूझकर जो पिछले साल नहीं चलाया है, उनके ऊपर भी एक-एक करोड़ रु0 किसानों का, मजदूरों का बकाया चल रहा है ।सरकार ने न तो मिलों को चलाने की व्यवस्था की और न देय धनराशि देने की व्यवस्था की । सरकार की तरफ से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । मैं चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है किसानों से संबंधित प्रदेश का, उस बड़े उद्देश्य से संबंधित मामला है, जब किसान परेशान है तो इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा करायें और सरकार को निर्देश दें कि इस समय जो समस्त देय धनराशि की वसूली को रोकें और

किसानों के एक-एक पैसे का भुगतान करें इस स्थिति में इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, गन्ना उत्तर प्रदेश की कैश क्राप है । उसी गन्ने के ऊपर उत्तर प्रदेश का गरीब किसान, अपनी बेटी की शादी, बूढ़े बाप की दवाई, बच्चे की पढ़ाई इत्यादि सबका निदान गन्ना मूल्य से करता है । उसका इस वर्ष का गन्ना मूल्य लगभग 20 करोड़ रु0 उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण गन्ना मिल मालिकों के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित चीनी निगम की मिलों के ऊपर भी 20 करोड़ रु0 से अधिक बकाया है । प्राविधान यह है कि जिस दिन गन्ना गिरा उसके 15 दिन के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए नहीं तो सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करें मिल मालिक करें किन्तु पिछले वर्षों का 4 करोड़ रु0 बाकी है, इस वर्ष का 20 करोड़ रु0 बाकी है । सरकार लापरवाह होकर सो रही है, एक चर्चा मेरे पास है जिसे मैं आपके सामने भेजने के लिए लाया हूं । प्रतापपुर चीनी मिल से 25 हजार रु0 एक श्रीकान्त नामक व्यक्ति है जो अपने को मुख्य मंत्री का साला बताता है और गन्ना मंत्री के सभा का भी मालिक है, गायब कर दिया । गोरखपुर में सरदार नगर में मेरे क्षेत्र हेतमपुर तथा हाटा में लगभग 60 लाख रु0 गन्ना मूल्य का भुगतान शेष है । माननीय मंत्री जी दौरा करते हैं लेकिन इस बात की चिन्ता नहीं करते हैं कि किसानों का जो रुपया गन्ना मूल्य के रूप में बकाया है, उसका भुगतान करा दिया जाय ।

उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के बारे में लापरवाही कर रही है । आज यह बात सदन में आनी चाहिए कि किस-किस फैक्ट्री पर किसानों का कितना-कितना बकाया शेष है । इस पर वक्तव्य आना चाहिए और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए । सरदार नगर शुगर फैक्ट्री तथा प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के बारे में मेरा आरोप है कि मिल मालिकों के साथ इनकी सांठ-गांठ है और ये चन्दे की उगाही कर रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही को रोक कर आप इस विषय पर चर्चा करावें और किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की व्यवस्था करावें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब 1.45 हो गया है । नियमानुसार लन्च होना चाहिए । क्या सदन इस बारे में सहमत है ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरा अनुरोध है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1985-86 में गन्ना मूल्य का 40 करोड़ रुपया बकाया था जो कि 1986-87 में 100 करोड़ हो गया और इस साल करेन्ट ईयर में अब तक 70 करोड़ रु0 का बकाया हो गया है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि गन्ना मूल्य का इतना बड़ा बकाया है, इसके लिए बेहतर है कि मंत्री जी कृपया बतायें कि क्या इसके भुगतान के लिए वे कोई तरकीब निकाल रहे हैं ? आप गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करा रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर आप एक घण्टे की चर्चा को स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम लन्च के लिए उठते हैं । इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी है । अब हम 2.45 पर फिर बैठेंगे ।

(सदन भोजनावकाश के लिए एक घंटे के लिए स्थगित हुआ।)

(भोजनावकाश के उपरान्त कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने आज कार्य स्थगन दिया है। फैजाबाद जनपद में इस समय जितने भी शीतल पेय पदार्थ बिक रहे हैं, उनमें चीटियां, कीड़े और छिपकली जैसे जहरीले कीड़े मिलते हैं और डुप्लीकेट शीतल पेय पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है । इसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग की साजिश है । इस सम्बन्ध में कई बार एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, चूंकि सारे मामलों में इन विभागों के लोग शामिल हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और इस प्रकार के निर्माण में लोग लगे हुये हैं और उनका कोई बाल बांका नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मैं थम्स अप की एक बोतल लाया हूं। इसमें आपको स्पष्ट कीड़े दिखाई देंगे । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच करायी जाये क्योंकि यह जन जीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकार को इसको देखना चाहिये । जो डुप्लीकेट निर्माण हो रहा है, कम से कम स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिये, कि जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर चीजें हैं, उनके बारे में सावधानी बरती जानी चाहिये । मान्यवर, मैं इस बोतल को आप के पास भिजवा रहा हूं, इसको देखकर आप अन्दाजा लगा सकेंगे । इसकी जांच आप करायें। डुप्लीकेट तो नहीं है, या उसी कम्पनी की बनायी हुई है और अगर उसी कम्पनी की बनायी हुई है तो जो मानक है, उससे ज्यादा पदार्थ तो नहीं पड़ा हुआ है और अगर डुप्लीकेट कारखाना है, तो उसकी छानबीन की जानी चाहिये । मान्यवर, मेरा निश्चित मत है और आरोप है कि इस तरह के धन्धे में लगे हुये लोगों को बड़े और अच्छे प्रभावशाली राजनैतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष–

बेहतर होगा आप लिखकर दे दें और बोतल को भिजवा दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इसकी जांच भी करायी जाये, सरकार इसकी जांच करे और इस मामले में जो कार्यवाही करे, उसकी रिपोर्ट से सदन को भी अवगत करा दिया जाये ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय शाही जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में एक सदस्य का नाम लिया और आपकी पीठ की ओर एक पर्चे को इंगित किया उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस पर्चे को सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया जाये, वह सदन की सामग्री बन गया है । उसमें जो श्रीकान्त सिंह लिखा है, वह कौन है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य से प्राप्त कर ली जाए । जिससे इस सदन के माननीय सदस्य पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा भी एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिसको लूंगा, वही तो बोलेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 19 जून को झांसी जनपद में तैनात सतर्कता विभाग के एस0 पी0 डा0 दर्शन दास की मृत्यु हो गयी, लेकिन उसके संबंध में यह बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु नहीं बल्कि हत्या की गयी है जिस समय वह अपने घर में थे, शाम के 5-6 बजे उस समय उनके सिर पर गोली मारी गयी । और सिर में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई । बताते हैं कि एक पिस्तौल 315 बोर की वहां पर एक देशी कट्टा रखा हुआ था जिसके चलने से उनकी मौत हो गई । उसी के बगल में एक संयुक्त विकास आयुक्त श्री शारदा प्रसाद जी थे, वे उनको अस्पताल ले गए और वहां पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया । मान्यवर, यह एक गम्भीर मसला है और इस मसले को लेकर आई0पी0एस0 अफसरों और साधारण नागरिकों में असन्तोष है कि जब सूबे के अन्दर एक आई0पी0एस0 पुलिस अधीक्षक ही असुरक्षित है और वह भी अपने ही घर में तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो सकती है ? मान्यवर, यह बताया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने बड़े-बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की थी और जांच करने के बाद वे शासन को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते थे । उसमें वहां के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के भी नाम आ रहे हैं । उनके बारे में भी भ्रष्टाचार के कुछ मामले उन्होंने इकट्ठा किये थे और वे जांच कर रहे थे । इस मामले में सतर्कता विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी और डाइरेक्टर को भी सूचित किया गया था कि उनकी जान का खतरा है । मान्यवर, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी हत्या हो जाने के बाद उनकी पत्नी को भी कमरे में बन्द कर दिया गया और वह भी स्वाभाविक रूप से जो कुछ कहना चाहती थी, उनको नहीं कहने दिया गया । इस सम्बन्ध में यह बताया जा जा रहा है कि जो सी0 आई0 डी0 की जांच कराई गई है उसके लिये जनपद में गुंगेश नाम के पुलिस कप्तान सी0 आई0 डी0 के गये थे । वे इसकी पूरी जांच नहीं कर पाये । स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस मामले में सी0 आई0 डी0 पर वहां के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस कप्तान तथा डी0 आई0 जी0 का दबाव है। फलस्वरूप जो सारे तथ्य आये हैं उनको हूबहू नहीं पेश किया गया था चूंकि यह बड़े बड़े अधिकारियों का मामला है और जो तथ्य पाये गये हैं उनके अनुसार उनकी मृत्यु रहस्यमय ढंग से सामने आई है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मामले को सी0 बी0 आई0 को सौंप दिया जाय ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके, प्रदेश के अधिकारियों का दबाव न पड़ सके और इसके लिये जरूरी है कि जनपद के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तत्काल स्थानांतरण किया जाय ताकि सच्चाई सामने आ सके ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 19 जून को डाक्टर दर्शनदास, आई0 पी0 एस0 अफसर की हत्या हुई है, यह एक दुखद ही नहीं अपितु आतंककारी घटना है। जब उन्होंने वहां पर अपना कार्यभार ग्रहण किया था उसी समय से उनको बराबर उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया

जा रहा था। उन्होंने इसकी सूचना अपने विभागीय अधिकारियों को भी दे दी थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मान्यवर, आपके सम्मुख एक टेलेक्स (टी0पी0) पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जो उन्होंने उस समय 15-2-87 को जिस समय चार्ज लिया था, दिया था। उसमें लिखा था–

टू आई0जी0 (पर्स), यूपी, एलकेडब्लू-डब्लू-डायरेक्टर विजिलेंस-एल0केडब्लू-डी0 जी0 पी0 यूपी, एल के डब्लू-होम यूपी एल के डब्लू0 फराम-डी0दास आई पी एस, एस पी (विजलेंस) जे एस आई वी आई जी थर्ड-87, 15-2-87 यू/सी.

आन 15-2-87 एट 16-30 आवर्स आईवेन्ट टू दि रेजीडेन्स आफ पी0एन0 द्विवेदी, नाउ पोस्टेड एज कमान्डेन्ट पी0 ए0 सी0 33 बटालियन जेएसआई, रिगार्डिंग डिसकशन, आवर दि प्रिप्रेशन आफ चार्ज लिस्ट एज पर आई0जी0 (पर्स) यू0पी0, एस0टी0 पी0 मेसेज न0डी0जी0आई-18-87 डेटेड 12-2-87, टी0 के0 जोशी एसएसपी जेएसआई एण्ड एस0 के0 त्रिपाठी एसपी रेलवेज, जे एस आई वेयर आलसों प्रेजेन्ट दयेर, आई रिक्वेसटेड पी0 एन0 द्विवेदी टू प्रेपेयर चार्ज लिस्ट आफ सीक्रेट टाकूमेन्ट्स ईटीसी आल आफ देम रिब्यूक्ड मी सेइंग दैट कांग्रेस गवर्नमेन्ट इनकरोजिंग हरिजन्स एण्ड आलसो मेड डीफेमेटरी रिमार्क्स अगेन्स्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी। टी0 के0 जोशी एण्ड पी0 एन0 द्विवेदी आस्कड मी टू गेट आउट आफ रेजीडेंस. आई हैड नो आप्सन बट टू कम बैक । दिस इज फार योर इनफारमेशन । डी0 दास, आई0पी0एस0एस0 पी0 विजिलेंस, जे0 एस0 आई0)

श्री उपाध्यक्ष–

इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इसका हिन्दी अनुवाद कर दूं। सेवा में, आई0जी0 परसनल, यू0 पी0 लखनऊ-सूचनार्थ निदेशक सर्तकता विभाग पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डी0 दास, आई0पी0एस0, एस0पी0 सर्तकता विभाग झांसी।

संख्या वी0आई0जी0-111-87 दिनांक 15-2-87 आई0जी0 परसनल यू0पी0 के टेलीप्रिंटर संदेश नं0 डी0जी0-1 18-87 दिनांकित 12-2-87 के अनुसार 18-2-87 को 16.30 बजे दिन में पी0एन0 द्विवेदी जो कि अब कमान्डेंट पी0ए0सी0 33 बटालियन झांसी में नियुक्त हुये हैं उनसे चार्ज लिस्ट तैयार करने के बारे में उनसे वार्ता करने उनके घर गया। वहां टी0के0 जोशी एस0एस0पी0 झांसी, एस0के0 त्रिपाठी एस0 पी0रेलवे झांसी भी मौजूद थे। मैंने पी0एन0 द्विवेदी से निवेदन किया कि वह गोपनीय अभिलेखों की चार्ज लिस्ट बना दें आदि आदि। सभी ने मुझसे दुर्व्यवहार करते हुये कहा कि कांग्रेस सरकार हरिजनों को बढ़ावा दे रही है और जाति विशेष को मान-हानि कारक शब्द कहे । टी0 के0 जोशी और पी0 एन0 द्विवेदी ने मुझे आवास से बाहर निकल जाने के लिये कहा मेरे पास वापस आने के सिवा और कोई चारा नहीं था। यह आपके सूचनार्थ है। डी0 दास, आई0पी0एस0 एस0पी0 सर्तकता विभाग झांसी। मान्यवर, इस टी0पी0 मैसेज के बाद डी0आई0जी0 झांसी रेंज से जांच करने के लिये कहा गया और उन्होंने बिना शिकायत कर्ता के बयान लिये अपनी रिपोर्ट दे दी और मामले को दबा दिया। एक ईमानदार अधिकारी ने वहां के एक दरोगा बी0 आर0 कमल को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा और उसे नबावाद थाने दाखिल कर हवालात में डलवा दिया। लेकिन वह रात में थाने से निकल कर शिकायत कर्ता की औरत को धमका रहा था। पुनः इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने थाने में जाकर देखा तो वहां से दरोगा जी के

गायब होने और उसके द्वारा शिकायत कर्ता को धमकाये जाने की रिपोर्ट जी0डी0 में दर्ज कर दी। बाद में इस मामले में दरोगा ने खुले आम उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जिसकी उन्होंने रिपोर्ट भी की। तो वहां के डी0आई0जी0 ने बुलाकर उनसे कहा था कि अब थाने में जाओगे तो तुमको लोग गोली मार देंगे। ऐसा ही वहां के डी0एम0 ने भी उनसे कहा। इसी तरह से एक ट्रेजरी के कर्मचारी को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा था तो उसमें भी उनको इसी तरह की धमकी दी गयी। इन सारे तथ्यों को वह शासन को समय-समय पर बताते रहे और उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की लेकिन शासन और वहां के प्रशासन ने उनको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान किया। गनर नहीं मिल पाया। उन्होंने रिवाल्वर का लाइसेंस मांगा तो वह भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर के लिये कहा तो वह भी आई0पी0एस0 होने के बावजूद नहीं दिया गया।

तो यह एक गम्भीर मामला है और एक ईमानदार हरिजन अधिकारी जो कर्तव्य-परायण था उसकी हत्या करा दी गयी। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, यह सदन गम्भीरता से विचार नहीं करेगा तो जो अधिकारी एक तरह की खुसुरपुसुर कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा जो जातीय राजनीतिक पार्टी को जन्म दे रहे हैं। प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों में आतंक व्याप्त है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस पर आप चर्चा कराईये और इसकी सी0बी0आई0 से जांच करवाई जाय। उससे जिन कारणों से यह घटना हुई है उनको हटाकर जांच कराई जाय जिससे पर्दाफाश हो जायेगा।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जिस गम्भीर घटना के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर सूचना दी है वास्तव में वह गम्भीर है और इसी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये शासन ने सी0आई0डी0 से जांच कराने के निर्देश दिये हैं और उसके लिये उच्च स्तर के सी0आई0डी0 अधिकारी भेजे जायेंगे ताकि इस घटना की निष्पक्ष विवेचना कराई जा सके। जो भी आदमी चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो यदि दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जो सी0आई0डी0 की जांच हो रही है उसमें जो इन्स्पेक्टर जांच कर रहे हैं वह वर्तमान एस0एस0पी0 जो वहां हैं उनके अन्डर में रह चुका है। वहां से मिस्टर मूंगे पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 बिना जांच किये लौट आये हैं। डी0दास की पत्नी को भी आशंका है की उनकी सुरक्षा खतरे में है उनके चारों ओर महिला पुलिस लगाकर नजरबन्द कर दिया गया है। इस मामले में वहां की जनता में भारी असन्तोष है और वहां की जनता ने बंद आदि का आह्वान किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, संस्कृत का देश और प्रदेश में विशेष स्थान है।

श्री मूल चन्द–

व्यवस्था का प्रश्न है कि मेरा नाम है तो मुझे बोलने के लिये आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप खड़े नहीं हुये थे इसलिये गृह मंत्री को बुला लिया था ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जब मूल चन्द जी ने पहले कहा था कि मौका दें दें तो आपने कहा कि आपका नाम नहीं है लेकिन जब इनका नाम है और जिसका नाम होता है उसको बोलने का आप अवसर देते हैं तो यह गतिरोध क्यों आप पैदा करते हैं, इसलिये इनको बोल लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा नियम नहीं है कि हर एक को बोलने दिया जाये और जब वह खड़े नहीं हुये तो मैंने गृह मंत्री जी को बुला लिया, अब इनको बोलने नहीं दूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, सदन इस तरह नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी धमकी से सदन नहीं चलेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं सुझाव दे रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं । जब इनका नाम था तो आप इनको क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं ? यह धमकी नहीं है । मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं । इन्हें बोलने का आप मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अपना विवेक इस्तेमाल करके मौका देता हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुला लिया है, इसलिये आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लागू की गयी है जिसके कारण अब जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें संस्कृत भाषा को निकाल दिया गया है । इस संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जो करीकुलम प्रकाशित किया है "करीकुलम फार प्राइमरी एण्ड सेकेन्डरी एजूकेशन 1985 के पेज 14 पर", जो नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषायें लेने की बात है । माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिये त्रिभाषा सूत्र में तीसरी भाषा में विकल्प हेतु मात्र हिन्दी, उर्दू तथा गुरुमुखी लेने के लिये उत्तर प्रदेश में सरकार ने निर्धारित किया है और इस प्रकार संस्कृत निकाल दी गयी है । इसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में संस्कृत में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों व्यक्तियों में सरकार के इस निर्णय से घोर असंतोष तथा उत्तेजना फैल गयी है । इसलिये सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो अभी तक व्यवस्था थी कि तीसरी भाषा में संस्कृत का जो चाहते थे अध्ययन कर सकते थे, जो व्यवस्था अब समाप्त कर दी गयी है, सरकार से मेरी प्रार्थना है कि करीकुलम जो निर्धारित हुआ है उसमें परिवर्तन करे और तीसरी भाषा में संस्कृत का समावेश कर दिया जाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए पुनः निवेदन करना

चाहता हूं कि सरकार यदि मेरी बात को स्वीकार नहीं करती है तो आपसे प्रार्थना है कि सदन में इस विषय पर चर्चा करा दें, सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का समय मिले और तय हो कि इस पर क्या होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जिन भावनाओं को अभी यहां प्रदर्शित किया है, उनका मैं आदर करता हूं, चूंकि संस्कृत हमारी संस्कृति और परम्पराओं की भाषा है, उसमें हमारा महान् साहित्य है और बिना संस्कृत के सम्वर्द्धन किये या श्रीवृद्धि किये, हम अपनी पुरानी संस्कृति को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते हैं । यह पता नहीं कैसे भ्रम पहुंच गया है लोगों में कि शायद प्रदेशीय शासन ने संस्कृत भाषा पढ़ने की सुविधाओं को समाप्त कर दिया है। हमारा जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, जिसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, उसके अन्तर्गत मौजूदा में भी ऐसी व्यवस्था है जो पहले थी । पहले भी हिन्दी को अनिवार्य रखा गया था जो अब भी है और हिन्दी में ही यह प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत का अच्छा समावेश हो सके, ताकि यह हिन्दी सबल और समृद्ध भाषा बन सके। हिन्दी के लिए शक्ति का स्रोत आवश्यक संस्कृत भाषा और उसकी जनपदीय बोलियां हैं । दूसरे अंग्रेजी है, तथा संस्कृत, उर्दू, बंगाली, असमिया, उड़िया, तामिल, तेलगू, मलियालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिन्धी, पंजाबी और काश्मीरी में से कोई एक भाषा पढ़ाए जाने का प्राविधान है, जो संविधान में दी गई भाषाएं हैं । इनमें से कोई भाषा वह ले सकता है । यह व्यवस्था पहले थी और आज भी है । जहां तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के उद्धरण के सम्बन्ध में गुप्ता जी ने बात रखी है, प्रदेश शासन अभी इस पर विचार कर रहा है ।लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, मंशा है, जनभावनाओं को सामने रखते हुए ही कोई निर्णय लेंगे । नई शिक्षा नीति बड़ी लचीली है, उसमें जो प्रदेश का परिवेश है, स्थिति है, उन सबका समावेश करते हुए कोई निर्णय लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के बारे में सरकार ने कहा है कि उसके पाठ्यक्रम को स्वीकार करने पर वह विचार कर रही है । हमारी आपत्ति यही है कि अब उसमें यह व्यवस्था होने वाली है कि हिन्दी के साथ तो संस्कृत को रखा जाए, किन्तु संस्कृत को स्वतंत्र भाषा के रूप में रखा जाए । तो पहले विद्यार्थियों को संस्कृत लेने की जो छूट थी, स्वतन्त्रता थी, उसको खत्म कर दिया गया है । इसलिए मंत्री जी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि संस्कृत विषय को एक अलग विषय के रूप में लेने की पहले जो व्यवस्था थी, उसको कायम रखा जाए।

श्री सिब्ते रजी–

उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया जाएगा ।

श्री शकीलुर्रहमान बर्क–

माननीय मंत्री जी ने जिस थ्री लैंग्वेज फार्मूले का जिक्र किया है, उसमें उर्दू शामिल है या नहीं ?

श्री सिब्ते रजी–

संस्कृत के साथ उर्दू, बंगाली असमिया, उड़िया, तामिल, तेलगू, मलियालम, कन्नड़, मराठी आदि संविधान में दी गई भाषाओं में से कोई भी एक भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

श्री उपाध्यक्ष–

बाकी सारी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर श्री मूल चन्द तेजी से फ्लोर में आ गये और वहां से बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द जी, आप कृपा करके अपने स्थान पर वापस जायं।

(श्री शारदा प्रताप के प्रयास से श्री मूलचन्द अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री मूलचन्द–

क्या वजह है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। "व्यवधान" चिल्लाने-चीखने से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, जब आप किसी की भावना को दबाना चाहेंगे, उसे दबाकर रखेंगे तो जितना दबाकर रखेंगे उतने ही तेजी से वह गेंद की तरह उछलेगा और आकाश तक जाएगा। इसलिए आपको मेरी बात सुननी होगी और सदन में बैठेंगे तो कुछ कहेंगे, नहीं तो हम निकल जायेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन किया कि जब इनका नाम नियम 56 की सूचना में है, तो आप उन्हें बोलने का अवसर दे दें। किन्तु मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इतने विनम्रता के शब्दों के बारे में आपने यह कहा कि हम किसी के धौंस में, दबाव में आकर नहीं सुनेंगे। जब मैंने कोई धमकी नहीं दी, आपने मुझ पर धमकी का आरोप लगा दिया। ऐसा मैं समझता हूं कि आप जिस उच्च पद पर विराजमान हैं आपको ऐसी बात कहना उचित नहीं है। मूलचन्द जी की कोई बात रह गई है तो उसको आपको सुनना चाहिए था। अगर मूलचन्द जी को आप सुन सकें तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप चर्चा शुरू करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक निवेदन किया। माननीय मूलचन्द जी कुछ कहना चाहते थे, उनसे पहले गृह मंत्री जी को बुलवा दिया गया। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मूलचन्द जी से कह दें कि जो कुछ वह कहना चाहते हैं वह माननीय गृहमंत्री जी से मिल लें और उनसे कह दें, उसमें वह जो कुछ कार्यवाही कर सकें वह कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल अपनी चर्चा शुरू करें। मैंने सबको अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह –

मान्यवर, इन सबको शान्त कराइए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्क साहब आप बैठें मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरी बात आप नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोहम्मद रिजवानुल हक सदन त्याग कर चले गये।)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैंने इस बात को कहा था कि प्रतिवर्ष वार्षिक पूंजीनिवेश इतना कम है जिससे हमारे प्रदेश की प्रगति नहीं हो पा रही है उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो वार्षिक आय है प्रति व्यक्ति के हिसाब से वह 2,595 रही है और यदि अन्य प्रदेशों से तुलनात्मक आंकलन करके देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे चल रहा है उत्तर प्रदेश में 1980-81 में 1,275 रुपये और 1985-86 के अन्दर 1,764 रु0 प्रति व्यक्ति आय हुई ।पंजाब के अन्दर 2,681 रुपये थी, 1980-81 में, वह अब 3,835 रुपये हुई है। हरियाणा के अन्दर 2,325 इसको अब 3,290 कर दिया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, शुरू से ही यह परम्परा रही है कि जब माननीय नेता विरोधी दल बोलते हैं तो माननीय नेता सदन को मौजूद रहना चाहिए लेकिन माननीय नेता सदन उपस्थित नहीं हैं। माननीय नेता विरोधी दल बजट पर बोल रहे हैं, तो वित्त राज्य मंत्री को तो रहना चाहिए था, मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री परम्परा का निर्वाह करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

वित्त राज्य मंत्री आ रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी एक आवश्यक बैठक में दिल्ली गये हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

यह क्यों नहीं कहते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी इसी कारण आये हुये थे कि माननीय नेता विरोधी दल की सारी बातों को खुद सुनें लेकिन माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा कि वह आज हो जाय इसलिये भाषण कल न हो सका। माननीय राज्य मंत्री जी आ रहे हैं वह सारी बातें सुनेगें। मंत्रि परिषद के और लोग बैठे हुये हैं इसलिये भाषण जारी रह सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

राज्य मंत्री को होना चाहिये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कम है। मैंने बताया था कि 1980-81 में पंजाब की पर कैपिटा इनकम 2681 रुपये थी जो 84-85 में 3835 रु0 हो गयी । इसी तरह से हरियाणा की 2325 रुपये थी जो बढ़कर 3296 हो गयी और महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 2232 थी जो बढ़कर 3232 हो गयी। तो सारे प्रदेशों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है लेकिन उत्तर प्रदेश आज काफी पिछड़ता चला जा रहा है । सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है, मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी वार्ता करने से फुरसत नहीं मिल रही है उन माननीय सदस्यों से जो पीछे बैठे हैं, मैं चाहता था कि जिस तन्मयता के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी बातों को सुना उसी तन्मयता के साथ हमारी बातों को आप सुनें ताकि उनका जवाब आप दे सकें । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एक किसान परिवार से आये हैं, गरीब परिवार से आये हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का व्यापक अध्ययन करना चाहिये और एक इतिहास कायम करना चाहिये ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनको याद कर सकें कि कोई किसान का लड़का इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बना था जिसने प्रदेश के लिये कुछ करके दिखाया । लेकिन इस सरकार पर और मुख्य मंत्री पर भरोसा नहीं है कि वह कुछ करके दिखायेंगे ।

इस प्रदेश में जो 59 निगम और कम्पनियां हैं अगर केवल उनमें सुधार कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सारे उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर जायगी । स्थिति आजकल यह है कि प्रदेश के जितने भी निगम हैं वह घाटे पर चल रहे हैं । लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपये का घाटा प्रतिदिन निगमों के जरिये हो रहा है । निगमों में जो घाटा हो रहा है उसका कारण यह है कि इन निगमों के जो अधिकारी हैं, आई0ए0एस0 वह इनको अय्याशी का अड्डा बनाये हैं। निगम के माध्यम से गाड़ियां, बंगले और सारी सुविधायें ले रहे हैं और क्लार्क अवध में बैठकर भोजन करते हैं और वहां पर बैठकर निगमों के सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसका अंजाम यह हो रहा है कि जितने भी निगम हैं उनमें से ज्यादातर निगम घाटे पर हैं यू0 पी0 स्टेट टैक्स-टाइल कारपोरेशन, आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जल निगम, हार्टिको, चल चित्र निगम, चमड़ा विकास निगम, निर्यात निगम, स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन, पर्यटन विकास निगम, भूमि सुधार निगम, गन्ना बीज एवं विकास निगम, तराई एवं अनुसूचित जनजाति निगम, प्रयाग चित्रकूट एवं गोधन विकास निगम, यह सारे निगम घाटे पर जा रहे हैं। परिवहन निगम के बारे में परिवहन मंत्री जी ने घोषणा की कि हमारा

निगम बहुत मुनाफे पर जा रहा है। मान्यवर, यह व्यवस्था है कि जो बसें हैं वह कम से कम एक दिन में 250 किलोमीटर चलेंगी लेकिन इनकी बसें केवल 175 कि0मी0 प्रतिदिन ही चलती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में परिवहन निगम मुनाफे पर नहीं चल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सन् 76-77 के बाद इसका कोई लेखा-जोखा और आडिट नहीं कराया गया है। जब तक निगम का लेखा-जोखा तैयार न हो और आडिट न हो जाय तब तक कैसे कहा जा सकता है कि निगम फायदे में चल रहा है।

मान्यवर, जितने भी निगम हैं इनमें बड़े-बड़े आई0ए0एस0 अफसर बैठे हैं। निगमों का गठन इसीलिये किया गया था कि इनसे प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश की तरक्की होगी। यह सारे निगम मान्यवर, जिसमें कि बड़ा भरोसा था कि प्रदेश का विकास होगा यह विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इनमें बहुत से निगम ऐसे हैं जिनका 15-15 साल से कोई आडिट नहीं हुआ है और ऐसे मान्यवर, 17 निगम हैं जिनमें पिछले तीन सालों से कोई भी एकाउन्ट सरकार के प्रति सबमिट नहीं किया है और इनकी क्या आर्थिक स्थिति चल रही है मान्यवर, यह बड़ी पूंजी के द्वारा संचालित किये जाने वाले निगम घाटे में चल रहे हैं जबकि एक अंगूठा छाप बनिया दुकान पर बैठता है और वह भी फायदा देखता है।

यह सरकार पूरी तरह से निगमों को खुली छूट दे रही है। जितना चाहो लूट कर ले जाओ कोई अंकुश नहीं है। इन निगमों के ऊपर आपकी 60 अरब की पूंजी लगी हुई है। इतनी पूंजी लगी होने के बावजूद यह सारे निगम 2349 करोड़ रुपये का घाटा आपको दे चुके हैं जोकि मैं समझता हूं कि 40 फीसदी के लगभग होगा। यह घाटा इन निगमों के अंतर्गत हो रहा है आखिर इन निगमों की हालत कुछ तो दुरुस्त हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कुर्सी पर बैठकर इस बात की घोषणा कर दिया था कि इस वर्ष को विकास वर्ष के नाम पर घोषित कर रहे हैं लेकिन विकास वर्ष के नाम पर कुछ नहीं कर पाये और न इन निगमों में कोई सुधार ला पाये हैं जिसका अंजाम है कि इतना बड़ा घाटा हो रहा है। एक वर्ष के अन्दर वर्ष 1985-86 के अन्दर केवल 311 करोड़ रुपये का घाटा राज्य विद्युत परिषद् से हुआ जबकि टोटल घाटा 369 करोड़ रुपये वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक विस्तृत ब्यौरा रखना चाहता हूं और वह विस्तृत ब्यौरा है आपके विद्युत निगम के सम्बन्ध में। इस निगम के अन्दर बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है और उस पूंजी के तहत यह प्रयास किया जाना चाहिए था कि इस निगम में सुधार आता। इस निगम की शुरुआत 59 में हुई उस समय 400 इंजीनियर थे उन 400 इंजीनियरों के अगेंस्ट 1400 इंजीनियर कर दिये लेकिन विद्युत परिषद् घाटे में जा रहा है। मान्यवर, 59 के बाद आज 87 चल रहा है। इस 87 के दरम्यान में केवल विद्युत परिषद् का घाटा 18 अरब रुपये हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात के लिए स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपकी अधिष्ठापित क्षमता इस विद्युत परिषद् के अन्दर कुल मिलाकर 4085 मेगावाट है थर्मल और हाइडिल दोनों से मिलाकर। इस 4085 मेगावाट की जो टोटल क्षमता है इसका वर्तमान सरकार उपयोग नहीं कर पा रही है इवेन 33 प्रतिशत के। मान्यवर, मैंने इस बात

को जोर देकर कहा है कि अगर आप इसमें 33 प्रतिशत के बजाय आप इसकी अधिष्ठापित क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग पूरा कर लें तो 2042 मेगावाट बिजली का उपयोग सिर्फ प्रदेश के अन्दर होने लगेगा । परन्तु यह आप नहीं कर पा रहे हैं मैं समझता हूं कि यह कटु सत्य है।

प्राइवेट सेक्टर के जो टाटा बिरला हैं यह भी अपनी बिजली का उत्पादन करते हैं । उनके बिजली के उत्पादन में जो उनकी अधिष्ठापित क्षमता है उसके अगेन्स्ट में ये 80-85 प्रतिशत बिजली का उपयोग करते हैं। फिर कारण क्या है । प्राइवेट सेक्टर के अन्दर 80-85 प्रतिशत उपयोग हो रहा है और निगम के लोग 33 प्रतिशत भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस कमी को आप देखें । यहां पर विद्युत मंत्री नहीं हैं वह होते तो शायद हमारी बातों पर ध्यान देते । इनका 10 प्रतिशत लाइन लासेस होता है 10 प्रतिशत के अगेंस्ट में इनका लाइन लासेस जाता है प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत । यह इस बात की कोशिश कर लें कि 10 प्रतिशत की जगह चाहे 15 प्रतिशत हो जाय, 30 प्रतिशत के बजाय तो जो यह विद्युत दर 70 पैसे में दे रहे हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए और 90 पैसा कामर्शियल परपज के लिए दे रहे हैं 70 पैसे के बजाय 50 पैसे में देने लगेंगे और लाइन लासेस 10 के बजाय 15 फीसदी कर लें, तब भी सारे जोड़-घटाव लगाने पर 1 अरब 34 करोड़ 35 लाख रु0 का फायदा हो सकता है और बिजली की दरें 70 पैसे, 90 पैसे के बजाय 50 पैसे कर लें, तो भी 1 अरब 35 लाख रु0 का फायदा होगा । लेकिन इस पर कतई यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

इनका 31-3-85 का बकाया राजस्व 1 अरब 55 करोड़ 3 लाख रुपया था। इस समय 2 अरब 2 करोड़ 25 लाख बकाया है । ये लोग 10 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेते हैं ताकि ये जो विशेष परिस्थितियों में विद्युतीकरण करते हैं, उसमें ये पैसा लगा सकें। अगर ये अपने बकाये की वसूलयाबी कर लें और उसे किसी बैंक में डाल दें, तो इन्हें 15 करोड़ 36 लाख 50 हजार का फायदा हो सकता है और इससे ये अपने इस घाटे की पूर्ति कर सकते हैं । ये हिंडालको के लिए 85 मेगावाट बिजली दे रहे हैं 11 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से, और कंज्युमर्स, गरीब किसान 90 पैसे में पा रहे हैं। अगर ये बिड़ला को बिजली साधारण कंज्यूमर्स की दर पर बिजली देने लगें, तो इनको 20 करोड़ का फायदा हो सकता है। उसी तरह से मान्यवर, ये 3 पैसे प्रति यूनिट की दर से कनौडिया केमिकल्स को बिजली दे रहे हैं, जिसका अंजाम यह हो रहा है कि आपके प्रदेश की विद्युत परिषद् प्रति वर्ष 8 करोड़ का नुकसान उठा रही है। मान्यवर, कौन सी ऐसी मुहब्बत आपकी है, जिसके तहत आप इतनी कम दर पर कनौडिया केमिकल्स को बिजली दे रहे हैं । विद्युत भंडार जो आपका है, उसमें 100 करोड़ का सामान सड़ रहा है, अगर आप उसको बिकवा दें, तो आपको 100 करोड़ का फायदा हो सकता है और उससे काफी हद तक आप क्षतिपूर्ति कर सकते हैं।

आपकी वार्षिक क्षति 1 अरब 87 करोड़ 65 लाख रु0 हो रही है। मैं समझता हूं कि 1 अरब 87 करोड़ 65 लाख के माने लगभग 2 अरब रु0 और आपका विद्युत

परिषद् 18 अरब रु0 के घाटे में चल रहा है । मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से कहना है कि इस 18 अरब में 9 अरब रु0 राज्य सरकार का है। तो केवल 9-10 करोड़ रु0 इनका घाटा रह जाता है । आप 5-6 साल के अन्दर इस विद्युत परिषद् को घाटे से बचा सकते हैं और 2 अरब रु0 का लाभ विद्युत परिषद् को होने लगेगा और आपको घाटे का बजट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी, विद्युत परिषद् तथा निगम आपके सारे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के उत्तरदायी हैं । मैं समझता हूं इन निगमों के द्वारा आप काफी फायदा कर सकते हैं । कुछ निगम ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में एक रिपोर्ट दी गई थी, एक कमीशन बनाया गया था मि0 टी0 एस0 पटोला की अध्यक्षता में और उसके माध्यम से यह मांग की गई थी कि कुछ ऐसे निगम हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने इस बात पर बल दिया था । उदाहरण के लिए 10 मण्डलीय विकास निगम को उन्होंने खत्म करने के लिए लिखा है । यह निगम चीनी और खाद का वितरण और धान और गेहूं की खरीदारी का कार्य करता है। मान्यवर, इसके लिए एग्रो है, पी0 सी0 एफ0 है । यह पहले से ही धान और गेहूं को खरीद करते हैं और साथ ही साथ चीनी और खाद का वितरण करते हैं । इसी तरीके से जिस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तो एक निगम स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, यू0 पी0 एल0 आई0 सी0 और जिस निगम का खास काम था खाद्य पदार्थों का निर्माण करना । उनके द्वारा इस निगम को स्थापित करने की घोषणा किये हुए 7 वर्ष हो चुके हैं लेकिन इस निगम के अधिकारी सरकारी खर्चे पर विदेश में तो भ्रमण कर आये लेकिन आज तक इस नाम का कोई निगम कार्यान्वियन में नहीं आया है । मैं कहना चाहता हूं कि पटोला साहब ने अपनी रिपोर्ट में जिन निगमों का उल्लेख किया है, जिनकी आवश्यकता नहीं है उन सारे निगमों को समाप्त किया जाय । उसी तरीके से एक नलकूप निगम का निर्माण किया गया । इस नलकूप निगम के सामने कोई काम नहीं था तो इनके अधिकारियों ने उसको चलाने के लिए महाराष्ट्र से 100 नलकूपों को बनवाने का ठेका लिया जिसमें 4 करोड़ 90 लाख रु0 की पूंजी लगी हुई है और 90 लाख का घाटा हुआ है जब कि नलकूप बनवाने के लिए आपके सिंचाई विभाग के अन्दर ही जल निगम की यांत्रिक शाखा बनी हुई है जो कि नलकूपों को बनवाने का कार्य करती है तो क्या जरूरत थी आपको इस नये निगम का निर्माण करवाने की । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के निगमों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जिनसे आपकी छवि बिगड़ रही है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और ये निगम मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों और बेईमान अफसरों के द्वारा चलाये जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है कि इन निगमों पर आप कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ निगम ऐसे भी हैं जिनसे आपको फायदा हो रहा है जैसे सेतु निगम से आप 7 करोड़ का फायदा दिखा रहे हैं बाकी कुछ निगम ऐसे हैं जो 10-5 लाख का फायदा दिखा रहे हैं और कुछ से 10-5 हजार का फायदा है परन्तु विद्युत परिषद् से 300 से 400 करोड़ की हानि हो रही है और यह हानि 18 अरब रु0 तक पहुंच चुकी है । मैं समझता हूं कि इसकी ओर आप विशेष ध्यान दें । यह निगम सारे उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिए दोषी हैं । इन सारे निगमों के ऊपर आप नियंत्रण करें क्योंकि जिस मकसद

के लिए इन निगमों का निर्माण किया गया वह मकसद यह पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जब मकसद पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके रहने का कोई औचित्य नहीं है और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपके ऐसे कितने निगम हैं जिनमें 10 साल से, 15 साल से व इससे भी कम व अधिक वर्षों से आडिट नहीं कराया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें क्योंकि जब तक आडिट नहीं होगा तब सही स्थिति का पता कैसे लगेगा अगर इसी प्रकार की ढील आप बरतेंगे तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति आप कभी भी सही नहीं कर पायेंगे इसीलिए मैं बार-बार इन्हीं निगमों के बारे में कह रहा हूं कि आप इनकी हालत को सुधारने की कोशिश करें वरना यह प्रदेश को कहां से कहां ले जायेंगे। इसके अलावा मान्यवर, मुझे एक बात और कहनी है वह यह कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट इस सदन के अंदर प्रस्तुत किया था तो हम लोगों ने यह महसूस किया था कि शायद आप महंगाई को कम करने के लिए, किसानों और गरीबों की हालत कुछ दुरुस्त करने के लिए अवश्य कदम उठायेंगे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस बजट को देखने के बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे यह अहसास होता कि किसानों की भलाई के लिए, महंगाई को रोकने के लिए कुछ करने जा रहे हैं। इसी महंगाई के परिपेक्ष्य के संबंध में आज की कुछ स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी, तभी मैंने इस बात को उठाया था तब यह कहकर कि प्रत्येक मुल्क के अन्दर महंगाई बढ़ी है, यह कहकर छुटकारा पा लिया था और हर बार यही कहकर छुटकारा पा लिया जाता है। मान्यवर, केवल एक वियतनाम एक ऐसा देश है जहां महंगाई बढ़ी है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है लेकिन इसके अलावा और भी जितने मुल्क हैं जहां भी महंगाई बढ़ी है साथ ही उनका प्रोडक्शन भी खूब बढ़ा है। इसी प्रकार से हमारा यह प्रदेश भी है जहां महंगाई तो बढ़ी है लेकिन प्रोडक्शन अपनी जगह पर ही है, इसमें कोई तरक्की नहीं हुयी है लेकिन चीजों की कीमतें काफी बढ़ी हैं, जिनका एक औसत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं:—

नाम वस्तु		जनवरी, 1980	जनवरी, 1983	जनवरी, 1986
		रु0 पै0	रु0 पै0	रु0 पै0
गेहू	..	1.85	2.40	2.70
चावल बासमती	.. ..	6.50	9.00	13.00
दाल मूंग	.. ..	4.60	4.80	6.00
चीनी	.. ..	4.80	4.90	6.70
सरसों का तेल	.. ..	11.50	16.25	17.00
वनस्पति घी	.. ..	11.40	14.10	20.00
सीमेंट	.. ..	26.80	62.00	74.00
देशी घी	.. ..	30.00	38.00	45.00
दूध	.. प्रति लीटर	2.50	4.00	4.50
पेट्रोल	.. प्रति लीटर	4.41	6.89	7.73

मान्यवर, यह तो वह डेटाज हैं जो हमको उपलब्ध हो पाये हैं और न मालूम कितनी चीजों के दाम इधर बढ़े हैं और मान्यवर जिस दिन यह बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर सदन में प्रस्तुत किया है और कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत अंतरिम रिलीफ की घोषणा की है उसी दिन मान्यवर सरसों के तेल व डालडा आदि की कीमतें बढ़ी हैं, इधर पैसा आप बढ़ाते हैं उधर कीमतें बढ़ जाती हैं उस रिलीफ से कई गुना अधिक । मूल्यों पर नियंत्रण आप कर नहीं पा रहे हैं फिर इस पैसे के बढ़ाने से कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं । या तो पहले आप चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लगावें, तब कुछ लाभ हो सकता है ।

मान्यवर, मैं इन चीजों के मूल्यों के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले बजट के पूर्व क्या थे और अब क्या हैं । पिछले बजट से पूर्व यानी अप्रैल, 86 से पहले बासमती चावल 8 रुपये था, मई में उसका दाम 14 रुपये हुआ और अक्टूबर, 86 में 16 रुपये हो गया । आटा बजट के पूर्व 2.70 रुपये, मई, 86 में 3 रुपये और अक्टूबर, 86 में 3.25 रुपये रहा। इसी प्रकार अरहर बजट के पहले 5.30 रुपये थी, जो मई, 86 में 6.00 रुपये तथा अक्टूबर, 86 में 7.50 रुपये हो गयी । आलू बजट के पूर्व 1.00 रुपये था जो मई में बढ़कर 1.50 रुपये तथा अक्टूबर में 4.00 रुपये हो गया । इसी तरह से मिट्टी का तेल बजट के पहले 1.92 रुपये था जो मई में बढ़ कर 2.18 रुपये तथा अक्टूबर, 86 में 3.00 रुपये हो गया । डीजल अप्रैल, 86 के पूर्व प्रति लीटर 3.22 रुपये था जो मई में 3.47 रुपये और अक्टूबर में 4.16 रुपये हो गया । लहसुन बजट से पहले 5.00 रुपये था जो मई में 10.00 रुपये हो गया और फिर अक्टूबर, 86 में 22 रुपये प्रति किलो हो गया । गोश्त बजट के पहले 20.00 रुपये था जो मई में 24.00 रुपये तथा अक्टूबर में 30.00 रुपये हो गया दूध 2.80 रुपये प्रति लीटर था जो मई में 3.40 रुपये तथा अक्टूबर में 5.00 रुपये हो गया । कुकिंग गैस, जिसका इस्तेमाल आपने बहुत बढ़ा दिया है, इसका दाम अप्रैल 86 के पहले 45.50 रुपये था जो मई में 51.35 रुपये तथा अक्टूबर में 58.60 रुपये हो गया। इस तरह से मान्यवर, इनका कोई नियंत्रण मंहगाई पर नहीं है। बजट से जनता भरोसा करती है कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी हाल में ये महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इसका अंजाम यह होता है कि जनता पिस रही है । इसमें मान्यवर एक ही बात रह गयी है वनस्पति की जो बजट से पूर्व जनवरी, 85 में 245 रुपये था, वह जनवरी, 1986 में 316 रुपये हो गया । कितनी बड़ी बढ़ोत्तरी हो गयी । किसी भी हालत में कोई भी कन्ट्रोल दिखाई नहीं पड़ रहा है । यदि सरकार का महंगाई पर कन्ट्रोल नहीं है तो कर्मचारियों के लिये कोई भी राहत दें, कोई फायदा होने वाला नहीं है । अब विकास दर की बात ले लें । वर्ष 1980-81 में विकास दर 7.5 परसेंट थी, 1981-82 में 5.3 परसेंट, 1982-83 में 2.6 परसेंट, 1983-84 में 7.7 परसेंट, 1984-85 में 3.7 परसेंट, 1985-86 में 5 परसेंट और अब 1986-87 में 4.5 परसेंट है । इसमें विशेष रूप से कृषि विकास की बात करते हैं । क्योंकि यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है । मा0 मंत्री जी आप देख लें क्योंकि इसका जवाब देना आपके लिये कठिनाई पैदा कर देगा । कृषि में विकास की दर 1980-81 में 15.6 परसेंट थी जो 1981-82 में 5.6 परसेंट, 1982-83 में 3.8 परसेंट, 1983-84 में 13.7 परसेंट, 1984-85

में 11 परसेंट, 1985-86 में 1.5 परसेंट और इस साल 1986-87 में केवल 1 परसेंट रही। मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या है कि आपकी कृषि विकास की दर अथवा कुल विकास की दर में इतनी विषमता और इतनी गिरावट क्यों है। अगर प्रदेश में कृषि का विकास नहीं होगा, आप कृषि पर ध्यान नहीं देंगे और इसी प्रकार गिरावट आएगी तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार किसी भी हालत में महंगाई पर कन्ट्रोल नहीं कर पाएगी।

मान्यवर, जो प्रदेश में गरीबी की रेखा से जीवन यापन करने वालों का नक्शा है, उस संबंध में कहना चाहूंगा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रदेश में 41 प्रतिशत लोग हैं, उसको लाना चाहते हैं 38 परसेंट पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह 38 परसेंट आप नहीं ला सकेंगे बल्कि वह गरीबी की रेखा का प्रतिशत और बढ़ेगा और इसमें लोग ज्यादा परेशान होंगे। इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका नियंत्रण कहीं न कहीं अवश्य करें। मान्यवर, आल इण्डिया का एवरेज है गरीबी का, उस गरीबी के एवरेज में मैं समझता हूं कि शायद बिहार और मध्य प्रदेश इन दो प्रदेशों को छोड़कर जितने भी प्रदेश हैं सब में गरीबी की रेखा से ग्रस्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मणिपुर में यह प्रतिशत मात्र 12.3 है। बिहार और मध्य प्रदेश में जहां पर यह प्रतिशत क्रमशः 49.5 और 40.2 है, वहां यह प्रतिशत कम नहीं हो रहा है। बाकी मान्यवर, जितने हिन्दुस्तान के प्रदेश हैं उनमें लगभग सभी के अन्दर गरीबी की रेखा के नीचे लोग कम हैं। जैसा कि मैंने बताया मणिपुर में 12.3 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं बाकी लोगों ने काफी हद तक तरक्की कर ली है।

मान्यवर, फर्स्ट फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत आप देखें तो यह पायेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे गांव वाले ज्यादा हैं शहर वाले कम हैं। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में गांव वालों की आमदनी शहर वालों के मुकाबले 27 प्रतिशत थी। अगर शहर वालों की 100 तो गांव वालों की 27 सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान में तो यह आमदनी घटकर 24 प्रतिशत रह गयी। थर्ड फाइव ईयर प्लान में यह घटकर 20 प्रतिशत रह गयी। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में यह 18 फीसदी रही। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में यह 15.5 प्रतिशत रह गयी। आगे के डेटा उपलब्ध नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में गांव वालों की आमदनी है वह किसी भी हालत में 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी शहर वालों के मुकाबले में। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह ने हमेशा जोर दिया कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान खुशहाल नहीं होगा। चौधरी साहब का नाम लिया तो सत्ता पक्ष की दृष्टि में यह जैसे अपराध किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय चौधरी साहब ने अच्छी बात कही तो सत्ता पक्ष वालों को उसका अनुकरण करना चाहिये। उनका कहना था गांव वालों की खुशहाली के लिये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस पर बेहतर साधन मुहैय्या किये जायं कृषि की उपज बढ़ायी जाय। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बड़ी मशीनों और छोटी मशीनों दोनों को साथ साथ न चलाया जाय। बड़े और छोटे उद्योग एक साथ चलाने से गरीबों को जीवन यापन करने में संघर्ष करना पड़ता है। टेक्सटाइल के अन्तर्गत कपड़ा बनता है, उस मिल में जितना कपड़ा एक आदमी मशीनों पर बनाता है, उतना ही कपड़ा बनाने के लिए पावर-

लूम और हैण्डलूम में 12 आदमियों की जरूरत पड़ती है। उनका कहना था कि मिलों का जो कपड़ा बने वह सारा का सारा कपड़ा हमारे हिन्दुस्तान में न उपयोग में लाया जाय उसका निर्यात करें। लेकिन, छोटे छोटे उद्योगों पावरलूम और हैण्डलूम को बढ़ावा देना चाहिये ताकि आने वाले समय में छोटे उद्योगों के द्वारा लोगों को रोजगार मिल सके। इन छोटे उद्योगों के माल का निर्यात भी हो। इन छोटे उद्योगों के द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा वरना बेरोजगारों की जितनी बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है उस पर नियंत्रण पाने में असफल होंगे। मान्यवर, कहीं कहीं पर यह लोग कृषि की तरफ समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना कि प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन किसान करता है चाहे गेहूं धान के रूप में या गन्ने के रूप में करे क्या उसका सही मूल्य दिलवा पाते हैं ? कारखाने में जो पूंजी लगी हुई है, वह सारी जोड़ करके, तब उस पर मुनाफा भी जोड़ा जाता है तब उसके बाद उसका विक्रय मूल्य तय किया जाता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसान की उपज का मूल्य तय करने वाले लोग एयर कण्डीशन में बैठे रहते हैं जो गेहूं और जौ में फर्क नहीं जानते हैं। घरवालों की मजदूरी, उसकी मेहनत और बैलगाड़ी की मेहनत आदि इन सब चीजों को जोड़कर मूल्य निकाला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता यही वजह है कि आज किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गेहूं का दाम 162 रुपए प्रति क्विन्टल तय किया है। आपके खाद के दाम बढ़ गये, बिजली के दाम बढ़ गये और पानी के दाम बढ़ गये, इतनी अप्रत्याशित वृद्धि के बावजूद भी आप गेहूं पर 1 या 2 रुपए प्रति क्विन्टल बढ़ाते हैं।

बिजली के दाम आपने 22 से 30 रुपए कर दिया लेकिन जब किसानों का दबाव पड़ा तो फिर आपने उसे 30 रुपए से 22 रुपए कर दिया। यह आपकी नीति नहीं थी, वरन् किसानों के दबाव में आकर आपने यह किया। जब तक आप किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं देंगे तब तक किसी भी सूरत में इस प्रदेश का आप विकास नहीं कर पायेंगे। किसान को उसकी उपज का मूल्य न सही समर्थन मूल्य ही दे दें तो किसान के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों में असन्तोष है, उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। आपके एक एम0पी0 हैं, श्री शेरवानी जी बदायूं के। नगरिया जिला एटा में उनकी एक मिल है, अचानक उन्होंने अपनी मिल बन्द कर दी और 500 क्विन्टल गन्ना गाड़ियों से ले जाया गया। चूंकि वह सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा।

आज इसी तरह उत्तर प्रदेश के अन्दर अनेकानेक मिलें बन्द हो रही हैं, बिना अधिकारियों को सूचना दिए हुए बन्द हो रही है और देहातों में जो छोटे-छोटे नेता

(इस समय 4.00 बजे अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

होते हैं, वे दलाली करते हैं। क्रय केन्द्र पहले तो खुलते नहीं, यदि खुलते हैं तो किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाता है और दलाल सस्ते दाम पर उसे खरीदते हैं और उसे सस्ते दाम पर क्रय करने वाला क्रय केन्द्रों का इन्चार्ज ही होता है। ऐसी ही आज की स्थिति है। 50 रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से आलू बिक रहा है। उसके रख रखाव के 19 रुपए आपने तय किया था, वह भी आपने 23 रुपए कर दी लेकिन वसूलियाबी उससे ज्यादा हो रही है। फर्रुखाबाद आलू का इतना बड़ा केन्द्र है आज वहां पर आलू की अप्रत्याशित दुर्दशा हो रही है। अब आपके सामने कृषि के कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। आपके प्रदेश के अन्दर और अन्य प्रदेशों में इसकी क्या हालत है, इसे आप

देखिए प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय 1978-79 से लेकर 1981-82 तक के आंकड़े पेश कर रहा हूं पंजाब में 1750 रुपये प्रति ग्रामीण आय, हरियाणा में 1463 रुपये, महाराष्ट्र में 972 रुपए, गुजरात में 850 रुपए, कर्नाटक में 837 रुपए और आपके प्रदेश में प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय 1978-79 से 1981-82 के भीतर केवल 748 रुपए हो पाई है। अब आप वहां पहुंच गये हैं, इसलिए दूसरे नजरिये से आप देखते हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन 80-81 से लेकर 82-83 तक पंजाब में 763, हरियाणा में 473, महाराष्ट्र में 153, गुजरात में 133 और उत्तर प्रदेश के अन्दर 117 रहा। इसी तरह से खाद्यान्न उत्पादन की सालाना दर 61-62 से लेकर 82-83 तक पंजाब में 6.3 प्रतिशत, हरियाणा में 4.6 प्रतिशत, गुजरात में 3.9 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 2.8 प्रतिशत रही। ये आंकड़े मैं इस आशा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप कृषि पर विशेष ध्यान दीजिये नहीं तो प्रदेश की तरक्की नहीं कर पायेंगे। भारत सरकार की जो भी विकास नीति रही है, उसी का पालन प्रदेश के अंदर भी होता रहा है। आप राष्ट्रीय आय की बढ़ोत्तरी तो देख लेते हैं लेकिन इस पर विचार नहीं करते हैं कि खेत पर काम करने वाले, मछली का व्यवसाय करने वाले, लकड़ी काटने वाले मजदूर इनको क्या मिलता है। वर्ष 70-71 से लेकर 84-85 के बीच किसानों, मछली पालने वालों और लकड़ी काटने वालों की राष्ट्रीय आय में आमदनी केवल 1.98 प्रतिशत है, जबकि इसके विपरीत वहां पर जितने प्रशासनिक सेवाओं में अफसर हैं, सुरक्षा सेवाओं में हैं, उनकी आय 6.8 प्रतिशत है। जो आपके अफसर हैं, निगमों को लूट रहे हैं, ऐय्याशी कर रहे हैं, रोब रुतबे के साथ भी चल रहे हैं। जब तक आप इस विषमता को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तब तक मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास की बात कहना केवल एक कल्पना मात्र होगा और उससे प्रदेश का किसी भी हालत में भला होने वाला नहीं है।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कृषि के बाद मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आपने बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट में पूंजीपतियों के लिये वृद्धि बहुत बड़ी है। 80 से 85 के बीच बिड़ला की कुल सम्पत्ति जो 80 में 1431 करोड़ थी, 85 में 4111 करोड़ रु0 55 लाख रु0 हो गयी, टाटा की 80 में 1538 करोड़ 97 लाख रु0 थी, जो कि 85 में बढ़कर 3698 करोड़ 94 लाख हो गयी, सिंहानिया की 80 में 412.72 करोड़ रु0 थी, जो कि 85 में 1057 करोड़ रु0 हो गयी, रिलायन्स की 80 में 166.33 करोड़ रु0 थी, जो कि 85 में 1056.36 करोड़ रु0 हो गयी। किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। स्थिति यह पैदा हो गयी कि किसान की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। सरकार इस बात से संतुष्ट हो गयी है कि पर कैपिटा प्रदेश की आमदनी बढ़ रही है। बड़े से बड़ा पूंजीपति और नौकरशाह सब की आमदनी जोड़कर आप सन्तुष्ट हो जाते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तरक्की कर ली है।

श्री अध्यक्ष–

आप कितनी देर और बोलेंगे?

श्री सत्यपाल सिंह–

जैसे आपके आदेश हों । मान्यवर, ऐसा है कि मैं पहली बार बजट पर बोल रहा हूं, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं 6 बजे तक जरूर समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है कि कुछ मदें कल भी रह गयी थीं, पहले उनको ले लें तब आप अपना भाषण जारी रखें। मैं आपको दो मिनट लूंगा।

उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की याचिका समिति का पंचम प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की याचिका समिति का षष्ट प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की याचिका समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, अब आप अपना भाषण जारी रखें। यदि आप 5 बजे तक अपना भाषण समाप्त कर दें तो औरों को भी मौका मिल जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा-(क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

आपकी जैसी आज्ञा है। मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। वैसे भी अब ज्यादा कुछ बोलने के लिये मेरे पास है भी नहीं। तो मैं यह कह रहा था कि किसानों को जब

---

†छापा नहीं गया।

पिछले साल सूखा पड़ा और यह प्रदेश सूखे से प्रभावित हुआ था तो विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन करके यह राय दी कि यदि 20 करोड़ रु0 आप दे दें तो फसल बचायी जा सकती है, यह आश्वासन था विशेषज्ञों ने जो दिया था। लेकिन हमारी सरकार ने 20 करोड़ रु0 नहीं खर्चा किया और किसानों का 120 करोड़ रु0 का नुकसान करा दिया और उसकी क्षतिपूर्ति भी आप नहीं कर सके। हो सकता है कि इसके लिये आप कहें कि हम उनको गृह अनुदान और अहैतुक सहायता देते हैं। मैं कहता हूं कि आपके इस गृह अनुदान से और अहैतुक सहायता से किसान का भला नहीं हो सकता है क्योंकि यह सही है कि इससे उसे कुछ राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन जिस राहत की आप दुहाई देते हैं, वह आपकी इमदाद उस गरीब तक पहुंचती नहीं है और आपकी दी हुई इमदाद जब आपके अधिकारी और कर्मचारी बांटने के लिये जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वे अपनी जेब से इसे दे रहे हों।

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मैंने अपने जिले में देखा है और भी कई अन्य स्थानों पर देखा है कि जहां भी आपके द्वारा दी हुई अहैतुक सहायता देने लोग जाते हैं तो यदि सहायता एक हजार रु0 की होगी तो पाने वाले को मिलेगा केवल 500 रु0 ही। अभी शाहजहांपुर में ऐसा अप्रत्याशित साइक्लोन आया लेकिन वहां पर जितनी अहैतुक सहायता दे रहे हैं आपके अधिकारी और कर्मचारी कि उसमें से पहले अपना कमीशन वे ले लेते हैं तब उसको वितरित करते हैं।

इसी तरह से सिंचाई की क्षमता के बारे में कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में 25 हजार नलकूप हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने नलकूप आपने लगवाये हैं उसमें से आधे से ज्यादा बिगड़े पड़े हुए हैं। बिजली भी नहीं मिल पा रही है। कठिनाई से गांवों में बिजली 4 या 5 घण्टे के लिये मिल जाती है। मैं मांग करता हूं कि आप 6 चीजों की ओर अपना ध्यान दे दीजिए, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि आलोचना बुरी चीज होती है लेकिन मैं आपका ध्यान उन 6 चीजों की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे कि प्रदेश की प्रगति हो सकती है– "शिक्षा, सड़कें और सिंचाई, सुरक्षा, बिजली और दवाई।" आप इन 6 चीजों पर ध्यान दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि कस्बे और गांवों की भी हालत काफी सुधर जायेगी, लेकिन मैं यह कहता हूं कि सरकार शायद ही इन 6 बातों की ओर ध्यान दे पाये। मान्यवर, मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कह देना चाहता हूं। मान्यवर, आपकी जो डिसपेंसरी थीं जो अस्पताल थे उनको प्राइवेट नर्सिंग होम बना दिया है। उनके 80 प्रतिशत बेड्स को पेइंग बेड्स कर दिया है, जितनी भी जांच होती थी उनको आपने पेइंग कर दिया है, उन पर आपने टैक्स लगा दिया है, पैसा लगा दिया है। अब मान्यवर, बगैर पैसा दिये हुए जांच नहीं होगी। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो एडमिशन फीस थी उसको 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपया कर दिया है। दवाओं के नाम पर मान्यवर उनको कुछ नहीं मिलता है, माननीय मंत्री जी, आप मंत्री हैं, इसलिये आपको कोई ज्ञान नहीं है। इस बारे में आप किसी भी गरीब

आदमी से पूछिये, जिसको दवा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। आपने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट दिया है, वह सारा का सारा कमीशन और बेइमानी में चला जाता है। गरीब आदमी को दवाओं के लिये सारा का सारा पेमेंट करना पड़ता है। मान्यवर, इसके लिये आप देखें कि बजट में उत्तर प्रदेश सरकार कितना प्राविधान कर रही है। जो सांख्यिकीय डायरी है, उसमें दिया है कि विभिन्न राज्य कितना रुपया स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं–

पंजाब	4.9 प्रतिशत
महाराष्ट्र	7.5 प्रतिशत
गुजरात	5.8 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	6.8 प्रतिशत
कर्नाटक	8.7 प्रतिशत
तमिलनाडु	9.1 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	2.3 प्रतिशत

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य बजट की ओर ध्यान दें। इसका मान्यवर दुष्परिणाम हुआ है और आप स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और गरीब आदमी अपना इलाज करा पा रहा है और इसका अंजाम यह हुआ है कि देश में 1985 में जो राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था और आप देखें कि आप की हैसियत उसमें क्या रही, विभिन्न प्रदेशों को जो स्वर्ण पदक मिले हैं, उनकी स्थिति भी बताना चाहता हूं–

महाराष्ट्र	52
पंजाब	32
दिल्ली	27
कर्नाटक	17
मध्य प्रदेश	16
पश्चिम बंगाल	15
तमिलनाडु	12
केरल	12
राजस्थान	8
उत्तर प्रदेश	6

मान्यवर, यह स्थिति साबित करती है कि आप स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका अंजाम यह है कि आज प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। मैं आपसे इस बात के लिये उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता के लिए कुछ दें, लेकिन आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, मैं शिक्षा की ओर आता हूं। इस पर आप देखें कि कितना खर्च किया जा रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 7.22 प्रतिशत, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 6.16 प्रतिशत, तीसरी पंच वर्षीय योजना में 7.47 प्रतिशत, चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 5.16 प्रतिशत पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4.83 प्रतिशत, 6ठी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत 3.30 प्रतिशत और 7वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 2.2 प्रतिशत हो गया। मान्यवर, कहां 7.22 प्रतिशत और कहां 2.2 प्रतिशत पर रह गये।

मान्यवर, शिक्षा विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है, कि सरकार 21वीं शदी की बात करती है, लेकिन जब हम 21वीं शदी में पहुंचेंगे, हिन्दुस्तान सारी दुनिया में सबसे अधिक निरक्षर देश हो जायेगा। लोगों ने भरोसा किया था कि उनकी कुछ तरक्की होगी, लेकिन आपने खासतौर पर बल दिया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा। इस बात पर बल दिया कि आप हरिजनों के लिए, गरीबों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, दोपहर के भोजन की व्यवस्था करेंगे और आप एक आपरेशन ब्लैक बोर्ड की शिक्षा देकर जिसमें श्याम पट होता है जो स्कूलों में तमाम चीजों की आवश्यकता होती है उनको मुहैय्या करेंगे। आपने यह भी कहा कि आप समान पाठ्यक्रम चालू करेंगे, सन् 1990 तक व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली लागू कर देंगे। आपने नई शिक्षा नीति लागू करने के बारे में कहा, नई परीक्षा प्रणाली लागू करने की बात कही।

आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की बात कही जिससे राज्य सरकार ही नहीं केन्द्र सरकार भी कानून बना सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय आपके प्रदेश के अन्दर जो हालात चल रहे हैं उनके तहत इस नई शिक्षा नीति से कोई लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर मात्र 27 फीसदी लोग ही पढ़े हुए हैं जब कि सारे हिन्दुस्तान में 37 प्रतिशत साक्षर हैं। केवल बिहार और राजस्थान को छोड़कर जहां बिहार में 26.20 तथा राजस्थान में 24.38 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोग 37 प्रतिशत ही साक्षर हैं। केरल में तो 70 फीसदी साक्षरता है। हमारे प्रदेश के अन्दर इतनी कम साक्षरता का मुख्य कारण यह है कि आप समुचित शिक्षा की व्यवस्था स्कूलों में नहीं कर पाये हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में जिसका आपने जिक्र किया है उसमें इस वर्ष के लिए वर्तमान बजट में केवल 1.5 प्रतिशत ही निर्धारित किया है। आपने यह बात बड़े जोर तरीके से कही है कि हम नवोदित विद्यालय खोलेंगे जिन्हें पहले आपने माडल स्कूल कहा। इन विद्यालयों में किस वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। इन विद्यालयों में 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक फीस होगी। क्या आप समझते हैं कि इसका लाभ गरीब लोगों के बच्चों को मिल सकेगा? केवल बड़े और उच्च वर्ग के लोगों को ही इस शिक्षा का लाभ मिल पायेगा। आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस वर्ष 9 नवोदित विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। मेरा कहना यह है कि इससे गरीब का भला होने वाला नहीं है। आपके प्रदेश के अन्दर आज जितने विद्यालय हैं उनमें से मैं समझता हूं कि 30 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिनमें भवन नहीं हैं, 60 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें श्याम-पट और टाट-पट्टी नहीं हैं। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि आप टेलीविजन विद्यालयों में भेजें, कम्प्यूटराइजेशन करें। उनमें शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों का रिप्लेसमेंट आप टेलीविजन और कम्प्यूटर से करते हैं। आज विद्यालयों के अन्दर अध्यापक नहीं हैं तो वहां पर टेलीविजन और कम्प्यूटर लगाकर मैं समझता हूं कि आप इस देश की गरीबी हालत के तहत जो 75 अरब का बजट ला रहे हैं उससे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। यह संभव नहीं है।

आज जरूरत इस बात की है कि आप नवोदित शिक्षा के नाम पर विद्यालय खुलवायें, उनके लिए भवन बनवायें, टाट-पट्टी और श्याम-पट की व्यवस्था करें। लेकिन यह सरकार इस नई शिक्षा नीति के नाम पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाकर भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करेंगे। मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति आप लागू कर रहे हैं उसके तहत गरीब

का भला होने वाला नहीं है । इससे आप अभिजात्य वर्ग, बड़े वर्ग का ही भला करेंगे जो आपके समाज के अन्दर पहले से ही हावी है, जिसका यह अंजाम हो रहा है। कुछ बाहर के देशों को भी देखिए कि वह शिक्षा में कितना खर्च कर रहे हैं और हम कितना खर्च करते हैं । बाहर के देशों ने जो खर्च किया है 1977 में वह मैं थोड़ा बताना चाहता हूं । इजिप्ट 5.9 प्रतिशत अलजीरिया 8.3 परसेंट, कीनियां 5 परसेंट, इरान 5 परसेंट, जापान 5.4 परसेंट, मलेसिया 6.3 परसेंट, फ्रांस 5.8 परसेंट, आस्ट्रेलिया 6.3 परसेंट और यू0एस0एस0आर0 7.4 परसेंट और आपका देश 2.9 परसेंट । यह सोचने की बात है कि आप शिक्षा को इतना क्यों गिराते चले जा रहे हैं आपके दिमांग में यह बात क्यों नहीं आती है कि दो हजार आने तक दुनियां कहां से कहां चली जायेगी । दुनियां में सबसे ज्यादा निरक्षरता हिन्दुस्तान में है ।

मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा आपने शुरू की वह बुरी नहीं है लेकिन आप उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है । बाल विकास योजना में आप काफी पैसा खर्च करते हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है । प्रौढ़ शिक्षा योजना में कहीं पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं पर कोई विकास नहीं हो रहा है बल्कि फर्जी रूप में अध्यापकों का वेतन डा हो जाता है । योजना बना देने से कोई लाभ जनता को नहीं हो जाता है बल्कि उसके लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं ।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं 426 विद्यालय ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उनको पिछले 5 सालों से ग्रांट इन एड नहीं दी गयी है । आप नये विद्यालय खोल नहीं पा रहे हैं जहां पर कि लड़के और लड़कियां माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और जो प्राइवेट खुले हैं उनको आप मान्यता नहीं देते हैं । जनता जहां शिक्षा के विकास के लिए कंपीटीशन में आकर शिक्षा देना चाहती है उनको आप सहायता नहीं देते हैं । जो विद्यालय अनुमोदित हैं जिनको ग्रान्ट इन एड मिलनी चाहिए वह उनको आप दे नहीं रहे हैं इससे शिक्षा का विकास नहीं हो सकेगा ।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं । उद्योगों की क्या हालत हो रही है । आपने अपने भाषण में कहा है कि काफी उद्योग हम लगाने जा रहे हैं और सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में 35 हजार से अधिक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और वर्ष 1987-88 में 20 हजार इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । मेरा कहना है कि आप अपनी नीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं उनको फाइनेंस करने के दो तरीके हैं । उसमें एक तो पिकअप है और दूसरा अन्य इकाइयां हैं जो उद्योगों को खोलने के लिए मल्टीनेशनल हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो हमारे देश के उद्योग लगाने वाले हैं उनकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह लोग मल्टी नेशनल के मुकाबले में पैसा नहीं देते हैं । उनके कम्पटीशन में हमारे लघु उद्योग खड़े नहीं हो पाते हैं उसका नतीजा यह होता है कि वह फेल हो जाते हैं । हम अभी कानपुर गये थे काफी लोगों ने कानपुर में लघु उद्योग लगाये लेकिन उनको

वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है जितना धन उनको मिलना चाहिए उतना ही नहीं मिल पाता है। जितना धन किश्तों में मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। परिणाम हुआ कि उद्योग फेल हो रहे हैं। छोटे उद्योग प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उद्योगों में आप कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, बजट की मूल कुछ चीजों को ले लूं। सड़कों के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि इस साल सड़कों पर इतना कम बजट क्यों रखा गया। जबकि प्रदेश में ऐसे ऐसे गांव हैं जो अभी तक सीधे ब्लाकों से तक नहीं जुड़े हैं लेकिन हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं है जो मुख्य सड़क से न जुड़ा हो। मान्यवर, 1986-87 में 4664 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण खड़ंजा स्तर तक, 1224 कि0 मी0 मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक, 2548 कि0 मी0 मिट्टी स्तर तक तथा 257 कि0 मी0 पर्वतीय मार्गों का निर्माण, 1332 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार, 170 नये पुलों के निर्माण की संभावना बताया है। इसके विपरीत 1987-88 के बजट में कह रहे हैं कि हम 3108 कि0 मी0 नई सड़कों का निर्माण खड़ंजा स्तर तक करेंगे जबकि पिछले साल 4664 किलोमीटर था और 1224 कि0 मी0 मार्गों का निर्माण ऊपर स्तर तक करने की बात थी किन्तु इस साल 538 कि0 मी0 का लक्ष्य ही रह गया है। इसके बाद 1495 कि0 मी0 मिट्टी स्तर तक और पिछले साल 2548 कि0 मी0 मिट्टी स्तर तक निर्माण की बात थी। पिछले साल 1332 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार की बात थी और इस साल 1515 कि0 मी0 का लक्ष्य ही रह गया है। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आपने सड़कों पर इतना कम बजट क्यों एलोकेट किया है जबकि प्रदेश में सड़कों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इसका उत्तर जवाब देते समय दें।

मान्यवर, यह सरकार हर साल इस सदन में बजट प्रस्तुत करती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन जनता को दिये जाते हैं, अब मैं सरकार द्वारा किये गये वायदों और उनकी पूर्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम ग्रामीण अंचल में पेयजल की 229 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा सरकार ने किया था लेकिन 1985-86 में इस व्यवस्था के लिए 2208 हैण्ड पम्प का लक्ष्य था जिसके विपरीत 1255 ही लगे। इसी प्रकार 235 डिग्गियों को लगाने का लक्ष्य था लेकिन 216 ही लगायी गयीं। मान्यवर, 3854 अभावग्रस्त गांवों में सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा के बावजूद सरकार द्वारा घोषणा की गयी कि 8827 गांवों में पेयजल की सुविधा पहुंचायी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि भौतिक उपलब्धियों को ही जोड़ा जाये तो केवल 446 कुयें, 1255 हैण्ड पम्प एवं 217 डिग्गियों को मिलाकर 1918 योग आता है और इस प्रकार केवल 1918 गांवों को ही यह व्यवस्था हो सकी है जबकि आप बजट में कह रहे हैं कि 8827 गांवों को सुविधा दे दिया है। यह सब कहने का आपका क्या उद्देश्य है, इसका बजट का उत्तर देते समय जवाब दें।

मान्यवर, दुर्बल वर्ग के लिए वर्ष 1985-86 में बताया गया कि 30 हजार दुर्बल आय वर्ग के आवास बनायेंगे लेकिन इसके विपरीत 27133 आवास ही बनाये गये और 1986-87 में कम करके 30 से 24 हजार पर आ गये हैं, इसका मुख्य कारण क्या है यह उत्तर देते समय बतायें कि कम एलोकेशन क्यों किया गया है।

मान्यवर, अब मैं अनुसूचित जाति, जनजाति का नाम बहुत लिया जाता है और कहा गया है कि इनकी तरक्की करना चाहता हूं किन्तु 1985-86 में लक्ष्य के विपरीत केवल 35 प्रतिशत ही रोजगार के लिए मानव दिवस का सृजन इन्होंने किया है। इस साल में 35 परसेंट तो इस साल इस हरिजन वर्ग के लिए इसमें इतना कमी कर देने का क्या कारण है। इसका भी आप जवाब दे दें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 85-86 में कहा गया था कि 427 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा, किन्तु उसे इस वर्ष के बजट में घटाकर 382 लाख क्यों कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल इस पर चर्चा के लिए सदन को कम समय मिला है और अभी अनेक माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री सत्यपाल सिंह–

बहुत जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। यह जो इस वर्ष का 2630 करोड़ का बजट लाए हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है कि इतना बड़ा बजट किसी प्रदेश में नहीं लाया गया है। तो क्या बजट को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कम जनसंख्या है, कोई यह उन किसी प्रदेश से छोटा प्रदेश है। इस बड़े प्रदेश की विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्र को देखते हुए यह कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। आपने यह भी कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमने बजट में जितने रुपये का प्राविधान इस वर्ष किया है, वह बहुत बड़ा बजट है और हिमांचल प्रदेश के बराबर है। जब यह बात भी सही नहीं है। पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह बहुत कम है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता में चलाई जाने वाली परियोजनाओं के बारे में कहा गया है कि आपने इनको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा 2 अरब 17 करोड़ रुपये इसमें लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम, आवास विकास परिषद् और शहरी विकास प्राधिकरण आदि हैं। आपने इनको जो इतना धन दिया है, उससे भी उत्तर प्रदेश सरकार को घाटा होगा, क्योंकि जितने भी निगम हैं, घाटे में जा रहे हैं। अन्त में यह अन्तर्राष्ट्रीय धन सारे का सारा धन आपके गले की हड्डी बनेगा और जब किसी तरह यह निगम इनका वापसी भुगतान नहीं कर पाएंगे तो इसका भार आपको सहना होगा।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है, जितने भी आप इस कार्यक्रम में आंकड़े देते हैं, वह सच्चाई से परे होते हैं। उसका उदाहरण यही है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर बुनकरों की जो समस्या चली थी और जिसमें 225 करोड़ रुपये बांटने की बात कही गई है, आपने बहुत ही समितियां बनाईं बुनकरों की सहायता करने के लिए, किन्तु वह भी सब धोखा था। कानपुर में बहुत बड़ा ऋण वितरण किया, उसमें जिनको वास्तव में ऋण मिलना चाहिए उनको न मिलकर फर्जी लोगों को मिला है और आपने उन्हीं के लिए इतने भारी धन की व्यवस्था की थी। निम्न वर्ग के लिए जो आपने कहा है कि हम मकान देंगे, वह भी सब फर्जी बात है। आपने किसको दिया है यह बताएं। आपने पहले कहा था कि हम किश्तों में देंगे लेकिन जब आप खुलासा कह रहे हैं कि जो कैश डाउन में लेंगे उनको हम देंगे। कैश डाउन में यह निर्बल और निम्न आय वर्ग के लोग मकान खरीदने में कैसे समर्थ हो सकेंगे, यह आपके सोचने की चीज है जो आपने नहीं सोचा है।

इसी तरह आपके बजट भाषण में पृष्ठ 4 पर कहा गया है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के द्वारा हम 3 लाख 56 हजार परिवारों को लाभान्वित करेंगे, जबकि उसी के ठीक आगे पृष्ठ 6 पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 3 लाख 50 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपके बयान में पृष्ठ 4 और 5 पर इतने बड़े अन्तर का कारण क्या है? पिछड़े वर्ग के लिए पूरे बजट के अन्दर मैं विश्वास करता हूं कि एक भी रियायत का प्राविधान इसमें नहीं किया गया है। जब लोकदल की सरकार थी तो पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए काफी सहायता दी गई थी छात्रवृत्ति का प्राविधान किया गया था उनकी तरक्की के बहुत से प्राविधान किए गये थे लेकिन अब ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निराश्रित विधवाओं के बारे में कहा गया है। निराश्रित विधवाओं के लिए तथा अन्य निराश्रित लोगों के लिए 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो किसी भी हालत में 30 रुपये से अधिक प्रति विधवा के हिस्से में नहीं पड़ता है, तो इतने कम धन का प्राविधान करके यह वाहवाही क्यों लूट रहे हैं। मान्यवर, इस समय प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की कुल संख्या 72 हजार 971 है जिनमें 18 हजार 832 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास कोई अपना भवन नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस शिक्षा पर आप बल दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसमें देखें कि इस साल कोई विद्यालय का प्राविधान नहीं किया है। 1986-87 में 72 के लगभग प्राइमरी स्कूल, सीनियर स्कूल थे एक सीनियर बेसिक स्कूल एक जिले में पड़ता है एक जिले के अन्दर तीन प्राइमरी स्कूल बैठते हैं जो इस देश की हालत को देखते हुए बहुत कम हैं। ऐसा मैं समझता हूं कि बजट में यह प्राविधान होना चाहिए था कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएंगे। मान्यवर, छः वर्ष से 11 वर्ष तथा 11 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है। मान्यवर, वर्ष 1984-85 में 6 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या 1 करोड़ 56 लाख 39 हजार है जिसमें प्रवेश पाने वालों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख 7 हजार है। 11 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या 58 लाख 91 हजार थी जिसमें प्रवेश पाने वालों की संख्या 36 लाख 78 हजार है, जो कि बहुत कम है बहुत कम बच्चों को प्रवेश मिल सका है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में यह सही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, पर्यावरण निदेशालय के बारे में कहना चाहूंगा इसके विषय में बहुत चर्चा की जाती है पर्यावरण के माध्यम से प्रदेश का वातावरण शुद्ध करने की बात कही जाती है, मान्यवर, यहां के निदेशक जो हैं, लखनऊ में जो पर्यावरण निदेशालय के निदेशक हैं उनके तानाशाही रवैये के कारण यह विभाग बेकार पड़ा है आपने अखबार में पढ़ा होगा पिछले दो साल में चार बार गोमती की मछलियां मरीं पर्यावरण के आधार पर इसका सुधार होना चाहिए था ताकि जल का शुद्धिकरण हो सके– इसके लिए निदेशक उत्तरदायी हैं। तीन बार इसकी रिपोर्ट की गई कि इसका कारण क्या है एसा क्यों हो रहा है बतायें, लेकिन किसी भी बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी इसका अंजाम यह हुआ कि आज न तो प्रदेश के अन्दर का वातावरण शुद्ध है न कहीं और का। पर्यावरण विभाग बहुत हद तक बेकार साबित हो रहा है आज प्रदेश की जो स्थिति चल रही है ..

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, दो चार बात कहकर समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, 31 मार्च, 1981 तक उत्तर प्रदेश सरकार पर जो खर्चा हुआ है उसको देख लें। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 75 अरब रुपये का कर्ज था। 86-87 में यह कर्ज बढ़कर 80 अरब और 6 करोड़ रुपये हो गया। 31 मार्च, 87 को यह कर्ज बढ़कर 89 अरब और 33 करोड़ रुपये हो गया। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि यह रुपया निगमों में लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि निगमों की हालत इतनी खस्ता है कि 60 अरब रुपया जो उसमें लगा है उसका वसूल होना संभव नहीं है। जब उसको वसूल नहीं कर पायेंगे तब तक हमारे प्रदेश में घाटे का बजट लाया जाता रहेगा। बजट में 233 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिसकी पूर्ति करने के लिए आप कह रहे हैं कि हम खर्चों में कमी करेंगे, कर नहीं लगायेंगे और मितव्ययिता करेंगे और वसूलयाबी बढ़ायेंगे। निगमों पर जो 60 अरब बाकी है उसकी वसूली आप कर नहीं पायेंगे। अगर इसको वसूल करने में सक्षम नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि घाटे की पूर्ति भी नहीं कर पायेंगे। एक बात मैं और कहता हूं कि घाटे के बजट अपने देश और प्रदेश में लाये जाते हैं और अनेक दूसरे देशों में भी लाये जाते हैं। लेकिन घाटे के बजट के सम्बन्ध में अपने यहां जो विचारधारा है वह दूसरी है। उसका कांसेप्ट अलग है और विदेशों में जो घाटे का बजट लाया जाता है उसका कांसेप्ट अलग है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा—

'दि मीनिंग आफ डिफीसिट फाइनेंसिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट कन्ट्रीज, इन वेस्टर्न कन्ट्रीज दि बजेट गैप, दैट इज कवर्ड बाई लोन्स इज काल्ड डिफीसिट फाइनेंसिंग विकाज इफ दि गवर्नमेन्ट बारोज फ्राम दि बैंक्स राद्दर दैन फ्राम इनडिवीजुअल्स, दि आइडियल फन्ड्स विल एक्टीवाइज एण्ड देयर विल बी एन इनक्रीज इन दि टोटल पब्लिक इक्सपेन्डीचर एण्ड दस, देयर विल आटोमेटिकली बी एन इनक्रीज इन दि टोटल परचेजिंग पावर इन दि इकोनामी.'

वहां पर पब्लिक एक्सपेंडीचर में वृद्धि होती है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। उसके अगेंस्ट हमारे देश में आपको सिक्योरिटीज के आधार पर लोन मिलते हैं।

'इन अदर वर्ड्स, ह्वेन गवर्नमेंट्स इक्सपेंडीचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यूज आबटेन्ड थ्रू टैक्सेस, लोन्स फ्राम दि पब्लिक इंटीसी, एण्ड दिस गैप्स कवर्ड बाई दि वारोइंग फ्राम दि रिजर्व बैंक्स आफ इण्डिया, दि प्रोसेस इज दैट दि गवर्नमेन्ट ट्रांसफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू दि रिजर्व बैंक आन दि बेसिस आफ दीज सिक्योरिटीज दि रिजर्व बैंक इश्यूज मोर मनी आर क्रिएट्स न्यू मनी दस डिफीसिट फाइनेंसिंग मीन्स एण्ड एडीसन टू गोवर्नमेंटल इक्सपेंडीचर आर फाइनेन्स्ड बाई दि क्रियेशन आफ न्यू मनी.'

यहां पर पब्लिक एक्सपेंडीचर में वृद्धि होती है। तो मेरा कहना है कि यह जो घाटे का बजट आप लाये हैं उससे आपके प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। परम्परागत तरीके से बजट लाकर आप इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके अलावा मान्यवर, मैं शत्रु संपत्ति के बारे में कहना चाहता हूं। प्रत्येक जिले में शत्रु संपत्ति है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शत्रु संपत्ति का लेखा जोखा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के अन्तर्गत रखा जाता है लेकिन इसको ठीक से नहीं रखा जाता है। अगर यह लेखा-जोखा ठीक से रखा जाय तो करोड़ों रुपये की वृद्धि हो सकती है। लेकिन मान्यवर, सरकार के लिए शत्रु संपत्ति का लेखा-जोखा सही तरीके से रखना सम्भव नहीं है। इस सरकार के लिए शत्रु संपत्ति पर किसी तरह का नियंत्रण कर पाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, इसके अलावा सरकार कंटिजेंसी फण्ड से पैसा लेकर उसका उपयोग करती है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, माननीय सदस्य सो रहे हैं। इनको कहिये कि बेड रूम में चले जायं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य को जगा दीजिये और उनसे कहिये कि लाबी में जायं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 267 के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फण्ड से पैसा लेकर खर्चों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गयी है। जो आकस्मिक खर्चे हैं, अप्रत्याशित खर्चे आ जाते हैं उनको पूरा करने के लिए राज्यपाल महोदय आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकार करते हैं। बजट का स्वीकृत पैसा समाप्त हो जाने के पश्चात् विधान मंडल का सत्र आहूत करके अनुपूरक मांगों के द्वारा पैसा लेकर राज्य सरकार का खर्च चलता है। यहां मान्यवर, कंटीजेंसी फण्ड के सम्बन्ध में एक बात जानना चाहता हूं। किसी भी प्रदेश के अन्दर 50 करोड़ से ज्यादा कंटीजेंसी फण्ड नहीं है। आपने जो पुस्तिका वितरित किया है इसमें पहले पन्ने के अन्त में लिखा है कि "आवश्यकता के आधार पर इस निधि की सीमा समय समय पर बढ़ाई गई और इस समय विधान मण्डल की स्वीकृति से इसकी राशि 200 करोड़ रुपये है।" जबकि प्रत्येक प्रदेश के अन्दर 50 करोड़ है। मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अन्दर आकस्मिकता निधि की जो सीमा है वह राशि अधिकतम 450 करोड़ रुपये है। कृपया इस विषय पर बताने की कृपा करें कि जो मैं कह रहा हूं यह कहां तक सही है। 450 करोड़ रुपया यह है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जितने नीतिगत निर्णय लेती है उसका इम्पलीमेन्ट नहीं कर पाती है।

मान्यवर, 30 सितम्बर, 1986 तक वर्तमान सरकार जो माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है इसमें मंत्रिपरिषद् के 131 मामलों में निर्णय लिया नीतिगत प्रश्न पर उसमें से मान्यवर, दिसम्बर 1986-87 के अन्दर सचिव समिति की बैठक हुई तो उसमें पता यह चला कि केवल 15 गैर महत्वपूर्ण मामलों को ही कार्यान्वित यह सरकार कर पाई है और 116 मामले में आज भी उनके आदेश नहीं हुए हैं और न इनका परिपालन किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रिमंडल के निर्णय जो मैंने बताये हैं क्या इतने ही हैं। 116 निर्णयों का कार्यान्वयन न हो पाना क्या सरकार की शिथिलता नहीं है सरकार इसमें दोषी है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बैंक जो पैसा लेती हैं और पब्लिक को बांटती हैं उसमें उत्तर प्रदेश का मैं प्रतिशत देना चाहता हूं यह 31 मार्च, 84 तक 19 हजार की आबादी पर 5754 था इसमें उत्तर प्रदेश का अनुपात 49.7 आता है। अगर इन्होंने पैसा जमा किया 100 तो वितरित किया है 49.7 यह मान्यवर, वितरण आपके प्रदेश में कितना कम है। मान्यवर, मैं यह बता रहा हूं 69 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में है, 58 प्रतिशत तामिलनाडु में, 96 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में, 76 प्रतिशत उड़ीसा में, 92 प्रतिशत महाराष्ट्र में, 96 प्रतिशत कर्नाटक में और 85 प्रतिशत हरियाना में परन्तु उत्तर प्रदेश में केवल 49.7 प्रतिशत रहा है। यह इस बात से साफ जाहिर होता है कि संस्थागत वित्त का उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपको एक सुझाव है कि जितने भी आपके निगम हैं उनके लिए सरकारी पैसा देने के बजाय इन संस्थागत वित्त के माध्यम से पैसा दिया जाना चाहिए ताकि उस पैसे का दुरुपयोग न कर सकें। मैं समझता हूं कि इस तरह से देने पर आपके ऊपर जो आर्थिक कठिनाई आती है जैसे कि वसूलयाबी आदि के विषय में काफी हद तक आप छुटकारा पा सकेंगे। यहां मैं यह कहना ज्यादा मुनासिब समझता हूं।

चौधरी चरण सिंह जी ने यहां जब 1974 में बजट भाषण को प्रारम्भ किया था तो उन्होंने मान्यवर, एक तथ्य रखा था मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं "स्वराज्य के समय रिजर्व बैंक आफ इंडिया में जिस समय देश आजाद हुआ 1180 करोड़ रुपया अंग्रेज छोड़ गये थे नकद 1733 करोड़ रुपया इस्टर्लिंग बैलेन्स था, 425 करोड़ रुपया रिप्रैटिरिएशन प्रीवार डेब्ट का था और 115 करोड़ रुपया एम्पायर पूल का था। इस तरह से 3,453 करोड़ रुपया था जिस दिन आपका मुल्क आजाद हुआ। लेकिन 1950-51 में 32 करोड़ रुपये का कर्ज आपके ऊपर हो गया, 4 वर्ष में सब रुपया फूक दिया। यह सब तो गया ही इसके अलावा हिन्दुस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया जो हिन्दुस्तान आजाद होने के वक्त लोगों ने सोचा भी न था।

मान्यवर, परकैपिटा इनकम बढ़ाने में आप असफल रहे हैं किसी हालत में उस परकैपिटा इनकम को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाये हैं। पिछले साल गन्ना किसानों का गन्ना मिलों पर 10 करोड़ का बकाया था और 84-85 में 48 करोड़ का बकाया था। इस साल 1 अरब से भी ज्यादा रुपया बकाया है। गन्ना विभाग के अन्दर ये जो निगम की मिलें हैं, ये सारी की सारी मिलें घाटे में जा रही हैं। सहकारिता की जो मिलें हैं, उन पर आज गन्ना किसानों का 1 अरब रुपया बकाया है। आज उनकी अदायगी वे मिलें नहीं कर पा रही हैं। इस बारे में सरकार भी नहीं तय कर पा रही है कि उसकी अदायगी कब तक करा देगी, बल्कि अपने रुपये के लिए उनको तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें जेल भेज रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस रुपये की अदायगी की घोषणा करे। ये जब तक गन्ने के मूल्य की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक के लिए उनको पर्ची दें और उनका उत्पीड़न न करें।

कानून और व्यवस्था के नाम पर जो दुर्दशा हो रही है, आप आंकड़े के द्वारा साबित करना चाहते हैं कि जघन्य अपराध कम हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अनेकों थानों के अन्दर रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। आज

40 साल के बाद भी पुलिस की मनोवृत्ति नहीं बदली है। आज पुलिस की मनोवृत्ति बदलने की जरूरत थी। आप इसके लिए नई-नई पद्धति ईजाद कर रहे हैं कि जो अपराध हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण पायेंगे। आप बिल्कुल नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले के अन्दर गुलरिया गांव पर मैं गया था, वहां पर पुलिस के द्वारा लूटा गया और पुलिस के द्वारा बलात्कार किया गया। आपके फतेहपुर के अन्दर, जिसमें लोग शराब पीकर मर गये, वहां पर पुलिस के द्वारा बगैर लाइसेंसी शराब की दुकानें चल रही हैं, दरोगा उन दुकानों से 10 लाख रुपया ले रहा है, लेकिन उस दरोगा को सस्पेंड नहीं किया गया, सी0 ओ0, एस0 डी0 एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बिलकुल असफल है। सारा प्रदेश साम्प्रदायिकता की ज्वाला में झुलस रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बार-बार इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भावना बनी हुई है। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक तरफ मेरठ सुधरता है, तो अलीगढ़ में दंगा हो जाता है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। ये तो बार-बार कहते हैं कि जो भी अधिकारी उत्तरदायी होगा, उसे छोड़ा नहीं जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कलक्टर वहीं पर मौजूद है। आप उत्तरदायित्व कैसे ठहरा रहे हैं? यह सरकार कानून-व्यवस्था बना पाने में पूर्णतया असफल है। आपने सारे प्रदेश को 880 ब्लाकों में बांट दिया है और विकास करने की बात कही है। मेरा यह ख्याल है कि इस प्रदेश के अन्दर जो आप बजट लाये हैं, जिस बजट के माध्यम से आप कह रहे हैं कि हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों को राहत देने की बात कह रहे हैं, उन कर्मचारियों का भला नहीं हो पायेगा, क्योंकि महंगाई पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई के लिए आपने कहा कि एक सौ लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई करेंगे, लेकिन 35 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आप सिंचाई नहीं कर पाये। आपने खाद के दाम कम नहीं किये, बिजली के दाम कम नहीं किये किसानों के लिए ट्रैक्टर या जो कृषि यंत्र हैं किसी के दाम कम नहीं किये बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या आप समझते हैं कि कम्प्यूटर के माध्यम से बेरोजगारी को दूर कर सकेंगे। आपका यह जो 75 अरब रु0 का बजट आया है इसको आप नहीं कर पायेंगे। अगले साल अगर मैं और आप इसी सदन में हुए, अगर विधान सभा भंग न कराई तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो टैक्स न लगाने की बात कही थी उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ और अगर आपने टैक्स लगाया तो यह जनता के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होगा, बहुत उत्पीड़न होगा। आपने जो 233 करोड़ रु0 का घाटा दिखाया है उसके लिए अच्छा होता कि आप मितव्ययिता बरतते, आप प्रशासनिक खर्चे के अन्दर कटौती करें, आप बड़े-बड़े लोगों से वसूलयाबी करवायें जो आपकी रुकी हुई है आप निगमों पर होने वाले अपव्यय को रोकें लेकिन मैं समझता हूं कि यदि सरकार इन बातों का सही जवाब नहीं दे पाई तो आपकी नीयत साफ हो जायेगी कि आप जनता पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब सूखे की स्थिति होने जा रही है उसमें आप इसको तय नहीं कर पायेंगे।

आप यह बजट 4 महीने लेट लाये हैं और यह बजट जुलाई के आखिर में पास होगा, उसके बाद बरसात आ जायेगी, उसके बाद विनियोग विधेयक पास होगा इस

तरह से अक्टूबर के पहले आप इस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पायेंगे और 5 महीने बाद आपके अधिकारी आपके इस पैसे को अनाप-शनाप ढंग से खर्च करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि योजनागत मदों के लिए जिनके लिए सदन स्वीकृति प्रदान करेगा उस स्वीकृत धनराशि का डिस्पार्समेंट आप तुरन्त करवायें ताकि उस स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग हो सके। अगर आप इसको समय के अन्दर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम इस प्रदेश के लिए 15 फीसदी का फायदा होगा। आप 31 जुलाई के बाद इस स्वीकृत धनराशि का डिस्पार्समेंट करवा दें, सही तरीके से जिलों में भेज दें तो जो कमीशन की धनराशि आये दिन बढ़ती जा रही है, अधिकारी वर्ग जो कमीशन के आधार पर चलता है, उसे आप बन्द करिये। आप एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करिये और आने वाले जो 7 महीने हैं इन 7 महीनों के अन्दर उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का जो विश्वास है उस विश्वास और आकांक्षाओं को कायम रखने की कोशिश करिये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

धन्यवाद।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश के मुख्य-मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों के सम्मुख उन्होंने दो बजट प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रदेश के आर्थिक विकास के होते हुए भी किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है और 500 करोड़ रु0 की योजना में वृद्धि इस वर्ष की है और राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ से 500 करोड़ रु0 तक प्रदेश सरकार को देना पड़ा लेकिन इस सबके बावजूद भी किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है। ऐसा बजट घाटे का होना स्वाभाविक है देश के सभी राज्यों में जो आर्थिक विकास में ज्यादा समृद्धशील हैं उन्होंने भी घाटे का बजट पेश किया है लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने घाटे का बजट प्रस्तुत करने के बाद भी नये कर का प्रस्ताव नहीं रखा है केन्द्रीय सरकार ने भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कार्य-काल में पिछले वर्ष प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत की है और प्रदेश की कुल आय में 3.1 की वृद्धि हुयी है और प्रति व्यक्ति आय में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मान्यवर लगभग देश के अधिकांश राज्यों के समानान्तर ही है। इसी प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में पिछले वर्ष 4.9 और उद्योगों में 4.8 की वृद्धि हुयी है। इस वृद्धि से हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 1987-88 में वे प्रदेश की आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तथा प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा करने में पूर्णतया सफल होंगे। इसलिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। गरीबों, निराश्रितों, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देने में सराहनीय कार्य किये हैं।

पर्वतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष अपने ही शासन काल में विशेष प्रकार की कई योजनाएं चलाई थीं और इस वर्ष भी पर्वतीय क्षेत्र में विशेष आर्थिक व्यय का प्रबंध किया है। इस संबंध में हमें यह कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक विकास खूब हो रहा है और इससे भी अधिक हो, इसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं है किन्तु प्रदेश के दो अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया यह दुखद्बात है। इस बजट में भी पिछले वर्ष की भांति पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखण्ड हो विशेष आर्थिक कार्यक्रमों से छूटा रह गया है मान्यवर, अभी मा0 मुख्य मंत्री जी के शासन काल में विश्व बैंक के अध्यक्ष प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का दौरा किये थे और इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रदेश व केन्द्रीय सरकार को बराबर विश्व बैंक से विशेष सहायता मिलती रहेगी। इस संबंध में क्या विशेष प्रयास किया गया इन क्षेत्रों को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में। आशा है कि भविष्य में माननीय मुख्य मंत्री जी इन क्षेत्रों के विकास के लिए अवश्य कुछ करेंगे जैसा कि अभी उनके दौरे से आशा बंधती है जो इन्होंने कुछ माह पूर्व केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ किया है, जिन्होंने भी प्रदेश के आर्थिक विकास कार्य-क्रमों को देखकर उनकी सराहना की है, परन्तु अभी तक तो यही स्थिति रही है कि जितनी केन्द्रीय सहायता इन पिछड़े क्षेत्रों को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है, जबकि यहां प्रदेश के बैंकों में हमारा रुपया जमा है, परन्तु सही अनुपात में रुपया हमें नहीं प्राप्त होता है। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी इन परिस्थितियों से खूब परिचित हैं इसलिए हमारा विश्वास है कि यदि मा0 मुख्य मंत्री जी इस संबंध में पूरा-पूरा प्रयास करें तो अवश्य इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास बढ़ सकता है तथा मैं दूसरी बात की ओर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे किसी एक जनपद के मुख्य मंत्री नहीं हैं अपितु वह सारे जनपदों के हैं तब भी वे गोरखपुर के पिछड़ेपन को देखते हुए गोरखपुर को भूल गये हैं। इसी कारण मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग आदि सभी विभागों का बजट देखता रहा परन्तु सभी जगह लगभग शून्य पाया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर भी कोई कदम जल्दी ही उठायेंगे। साथ ही गोरखपुर बाढ़, ताल-खाल व नदी नालों के जाल से घिरा हुआ है। इनकी समस्याओं की भी मुझे आशा है कि वे ध्यान जरूर देंगे और इस प्रकार हर जगह पर क्षेत्रीय संतुलन को बनाये रखेंगे। और इनके उत्थान के लिए वे अवश्य कुछ विशेष योजनाएं चलाएंगे।

पीपीगंज-सिसई घाट पर पक्का पुल, राप्ती पर सिसई घाट, गाहासाड़ एवं डोमिनगढ़ पर पक्का पुल, दूसरी-सोन बसा सड़क को कट सहरा से मगहर तक निर्माण, जिगीना कर साड़ डाल पर पक्का पुल, सीदा पार-घघसरा मार्ग का पक्का करना, डोहरिया में शहीद स्मारक का निर्माण, घघसरा एवं हर पुर बुदहट में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण सहजवां में टाउन एरिया की घोषणा आदि सहजनां विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या है मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास सामान्य योजना एवं बजट से होना सम्भव नहीं है इसके लिए विशेष योजना, धन की आवश्यकता है।

मुख्य मंत्री जी एक अच्छे और कुशल प्रशासक साबित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों के इतने बड़े आन्दोलन को बड़े ही संयम और दृढ़ता से हल किया है, जो इस प्रदेश के लिये बेमिसाल है। आने वाले दिनों में यह इस प्रदेश के लिये एक मिसाल

बनेगा। उन्होंने पूरी समस्या का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है। इसके बाद रास्ता निकाला है। यही नहीं हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कानून और व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के लिये अपराधियों का पूरी तरह से सफाया किया है। आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाया है। मैं मा0 नेता विरोधी दल की बात से सहमत हूं कि अनेकों निगम घाटे पर चल रहे हैं। इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभावी प्रयास करें। जो बकाये की धनराशि इन सरकारी संस्थानों और बड़े उद्योगपतियों पर है उसको वसूल करके घाटे की पूर्ति की जा सकती है और इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में शांति व्यवस्था मजबूत हुई है, आज कोई भी आर्थिक अपराधी और बड़ा गिरोह-सरनामी अपराधी सक्रिय नहीं है, इसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मिश्र जी आपके पांच मिनट पूरे हो गये हैं, अब एक मिनट में समाप्त करें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से प्रदेश में डकैतों के गिरोह का सफाया हुआ है, आर्थिक अपराधियों को कड़ी सजा देने का प्रयास किया गया है और प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है, इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश ने निरंतर प्रगति की है, इसके लिये मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि गांधीजी, नेहरु जी, इंदिराजी और राजीव गांधी जी के सिद्धांतों की हमें नकल करना चाहिये और प्रदेश में और सदन में यहां पर कार्यवाही के समय सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपने विपक्ष के साथियों से इस बात का मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यहां पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप वातावरण बनाने में लगाएं। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिये समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

अभी लाल बत्ती ठीक हो रही है। मैं समय पूरा होने से एक मिनट पहले बता दूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्तमान बजट जो मा0 मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, श्रीमन्, इस बजट से राजनीतिक दुर्गन्ध आती है। श्रीमन्, इतना ही नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट उपेक्षा, और निराशा से ओत-प्रोत है और श्रीमन् बजट को पढ़ने से, इसकी योजनाओं को देखने से यह मालूम होता है कि बजट में जिस प्रकार से उपेक्षा बरती गयी है और जिस प्रकार से निराशा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, श्रीमन्, बजट को पूर्व और पश्चिम के आधार पर विभाजित किया गया है और श्रीमन्, जितनी योजनाएं और नियोजन इसमें प्रदर्शित की गयी हैं, उनको देखने से यह स्पष्ट है कि बजट को पूर्व और पश्चिम की भावना पर बनाया गया है। श्रीमन्, मैं इसके लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गोरखपुर में एक पर्यटक स्थल का निर्माण

कराया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर्यटक स्थल है, वहां कहते हैं कि उत्थान किया जाय तो मान्यवर गोरखपुर में विशेष ध्यान देकर जिस प्रकार से उत्तर और पश्चिम में बजट को बांटा गया है, उससे बहुत निराशा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण कल समाप्त कर लीजियेगा। कल आपका भाषण जारी रहेगा। वैसे तो ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा क्योंकि अन्य नेता और उपनेता भी बोलेंगे, लेकिन आपको समय दिया जायगा।

श्री गौरी शंकर—

आप अपना प्रवचन कल भी जारी रख सकेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मुझे कम से कम 30 मिनट का समय दिया जाय।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या 13 लेने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो पूरे दिन बजट का निश्चित है, उसमें चार घंटे होते हैं। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि अभी दो या ढाई घंटे ही इस पर हुए हैं। चार घंटे बजट पर कम से कम समय होना चाहिए तभी आप एक दिन मानेंगे। चार घंटे से कम समय देंगे तब तो बजट पर पूरे दिन चर्चा नहीं हो पायेगी। मान्यवर, मेरा कहना यही है कि बजट पर चार घंटे चर्चा होनी चाहिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय शतरुद्र जी ने सही बात उठायी है। बजट पर पहले दिन चर्चा हुई एक या डेढ़ मिनट दूसरे दिन पांच मिनट आज ढाई-पौने तीन घंटे ही चर्चा हो पायी। मेरी प्रार्थना है कि कल इस पर पूरे दिन चर्चा करा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा देखने में आया कि सदन समझता है कि इस चर्चा को कल जारी रखा जाय। अब यदि सदन चाहे तो चर्चा जारी रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि आगे की कार्य-सूची ले ली जाय और इसको कल जारी रखा जाय।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा इण्टर-मीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननु-मोदन करता है।

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन में विचार के लिये प्रस्तुत किया है, इसमें कुछ मायने में व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर समस्याओं का निराकरण होगा, उसके साथ-साथ समस्यायें बढ़ेगी भी । मान्यवर, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको राजकीय स्रोत से कुछ उनको दिया जाय। हमारी शिक्षा में, शिक्षा के बजट में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में वैसे मान्यवर तमाम कमियां हैं। हम अपने शिक्षा के बजट में, केरल के मुकाबले व अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, कम खर्च करते हैं। हम यह अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे प्रदेश के शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि प्राइवेट मैनेजमेंट अपने निजी स्रोत से अंशकालिक तौर पर अन्य विषय खोलने के लिये अध्यापक रख सकते हैं। इस विधेयक की पूरी मंशा यही है। मैंने एक संशोधन पहले रखा था कि राज्य स्रोत से कर दिया जाय लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उसे उपयुक्त नहीं समझा और संशोधन रखने की अनुमति नहीं दी। मैं इस विधेयक के संबंध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, इसमें व्यवस्था की गयी है कि "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण–अंशकालिक अध्यापक को, धारा 7-क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दी गयी है, उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिये अनुज्ञा दी गयी है, उसमें, शिक्षा देने के लिये, (दो) अंशकालिक अनुदेशक, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिये किसी व्यापार या शिल्प या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए, अपने स्रोत से संगायोजित कर सकता है । यह आपने कर दिया भेद कितने पैदा होंगे।

एक इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल में कुछ विषय ऐसे हैं जिनको आप राज्य स्रोत से अध्यापक का वेतन देते हैं । एक ही स्कूल में दो प्रकार के वेतन व्यवस्था को आप लागू करेंगे । संविधान में जो बात कही गई है समान कार्य के लिए समान वेतन, उसके यह विपरीत है। इसी सिलसिले में पिछले कई महीने से इन मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ शिक्षक आन्दोलित हैं, उसका निराकरण आपने अभी तक नहीं किया। एक अध्यापक को उसी स्कूल में आप अपने स्रोत से वेतन देंगे दूसरे को निजी स्रोत से दिलवायेंगे । निजी स्रोत से पैसा कहां से आयेगा, इसे भी आपने नहीं बताया है। चन्दे की बात आपने कही है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है कि एक लम्बी धनराशि देकर अभिभावक लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाते हैं, उसी प्रकार अधिक से अधिक चन्दा देकर आप बच्चों को उन स्कूलों में एडमीशन दिलवायेंगे और उसी से अंशकालिक अध्यापकों को वेतन देंगे ।

अध्यापकों की योग्यता का आधार क्या होगा, यह भी स्पष्ट नहीं किया है। जिस विषय को वह खोलेंगे या आप मान्यता देंगे, उसके लिए आप उनसे प्रत्याभूति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेंगे और उनसे यह भी कहेंगे कि अंशकालिक अध्यापक आप ही नियुक्त करें और उन्हें निजी स्रोतों से भुगतान करें । यदि आप अध्यापक नियुक्त नहीं कर पाते और उन्हें वेतन का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो फिर क्यों आप उनसे प्रत्याभूति ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप जो शिक्षा व्यवस्था पर प्रति वर्ष बजट खर्च करते हैं, 25 प्रतिशत आपको उसकी उपयोगिता मिलती है। कई इण्टरमीडिएट कालेज ऐसे हैं, जहां पर 55-55 अध्यापक कार्यरत हैं लेकिन वहां कोई छात्र नहीं है। हमारे यहां ही कई कालेज ऐसे ही हैं, जहां पर नेपाल के बच्चों का फर्जी नाम दिखाकर जिला विद्यालय के माध्यम से पदों का सृजन कर दिया जाता है और उन पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाती है, जबकि वहां पर छात्र होते ही नहीं हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लें वह पायेंगे कि ऐसे 25 प्रतिशत स्कूल हैं, जहां पर छात्र नहीं हैं, अध्यापक या तो गोली चला रहा है या फिर कोई अन्य काम कर रहा है। ऐसे स्कूलों को समाप्त कर इनकी धनराशि से अपने अध्यापकों को आप नियुक्त करें और राज्य स्रोत से उन्हें वेतन भुगतान करें । मालूम हुआ है कि आप घण्टावाइज अध्यापकों को भुगतान करेंगे। 8 या 9 रुपए प्रति घण्टे के हिसाब से आप भुगतान करेंगे । यदि वह 2 विषय पढ़ायेगा तो 16 या 20 रुपए आप उसे देंगे । तो शेष 6 पीरियड तक वह क्या करेगा । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य स्रोत से ही आप अध्यापकों को नियुक्त कर पैसे का भुगतान उन्हें करें और प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में इसे मत दें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रत्याभूत की शर्त है वह और अपना अंश लगाकर प्रबन्ध तंत्र कक्षा और पाठ्यक्रम को खोलें, उस पर जो नियुक्ति करेंगे तो एक तो लोक सेवा आयोग से होती है, दूसरे मैनेजमेंट अपने तरीके से नये विषय के लिये नियुक्ति करे और फिर आपसे अनुमति ले। सीधी-सीधी व्यवस्था आपको करनी चाहिए और उसको राज्य स्रोत से करिये, मैनेजमेंट के हाथ से पूरी व्यवस्था ले लीजिये या पूरी व्यवस्था उनके हाथ में दे दीजिये । जो आपने किया है, इसका नतीजा उल्टा होगा, सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक तरफ तो आप नयी शिक्षा नीति ला रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों के पढ़ने की जगह को रोकते चले जा रहे हैं। अब नये विषय में मान्यता के लिए फिर बन्दिश लगा दी कि सिक्यूरिटी जमा करिये और मान्यता लीजिये । नियमों को कड़ा करके शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के आने को रोककर कौन सी व्यवस्था कराना चाहते हैं। जैसा मा0 माता प्रसाद जी ने कहा और संशोधन किया है, उसे स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर माननीय शिक्षा मंत्री से आंकड़े लेने बैठें तो बता नहीं पायेंगे कि विगत 6 साल में कौन सी नयी शिक्षा नीति स्थापित की है और कितने कालेज हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट को मान्यता दी है। मान्यता देना बन्द कर रखा है जब कि स्थिति यह है कि शिक्षा के लिए विद्या-

र्थियों की भीड़ इण्टरमीडिएट कालेजों और डिग्री कालेजों में बढ़ती चली जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही है, उस स्थिति में इनके पास विद्यालय खोलने के लिये और चलाने के लिए न धन है और न इनकी मानसिकता है, इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि अब जुलाई में प्रवेश होंगे, अथाह विद्यार्थियों का समूह इधर से उधर मारा-मारा फिरता है। यह दूसरी बात है कि जिस प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं के द्वारा बन्द हो जायेंगे, उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा, सोचा जा सकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा के साथ क्या करना चाहते हैं आपके दिमाग में शिक्षा संस्थाओं को सुधारने का कोई स्वप्न है या नहीं, कोई कल्पना है या नहीं ? मैं अफ्रीका देशों की बात करना चाहता हूं, जहां उनके पास अपनी कोई सामग्री नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अथाह प्रगति की है। आप वायदा कर चुके हैं कि प्रदेश में एक भी आदमी को निरक्षर नहीं छोड़ेंगे। आपने यह अच्छा किया कि नये विद्यालयों को मान्यता देना शुरु कर दिया, लेकिन जो शर्त लगा दी है, उसके बाद शिक्षा की तो वही स्थिति रहेगी। अगर अन्तर आयगा तो केवल यह आयगा कि मैनेजमेंट या तो जनता की खुली लूट करे या फिर बैठ जाय। अगर प्रतिभूति जमा करने की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं हो सकती सिवाय इसके कि विद्यार्थियों से शुल्क वसूल करे और प्रतिभूति में जमा करें और बतायें कि जमा कर दिया है नहीं तो कोई प्रबन्ध-तंत्र अपनी जेब से प्रतिभूति जमा करने नहीं जायगा। आप यह मान कर चलिये कि प्रतिभूति जमा करके शिक्षा की स्थिति को और अधोपतन की तरफ ले जा रहे हैं। जैसा कि माननीय पाण्डेय जी ने कहा माननीय वर्मा जी ने कहा प्रतिभूति की बात पर आपने जो इसमें जोर दिया है, उसको निकाल दें और प्रबन्धतंत्र को इस बात के लिये मुक्त कर दें कि जहां भी वह शिक्षा संस्थायें चलाना चाहें, जो व्यवस्था करना चाहें वह करें। आज आप देखिये कि सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी पढ़ने-लिखने के बाद सड़कों पर घूम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि निःशुल्क शिक्षा देने के लिये तैयार हैं, आपको कम वेतन पर लोग मिल सकते हैं इसलिये यह सब शिक्षा संस्थाओं पर छोड़ दिया जाय कि वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें और आप उनको मान्यता दें।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मुझे तो लग रहा है कि जो अध्यादेश, आज सरकार लायी है इसे उसको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

मान्यवर, आज शिक्षा जगत में इतनी कमियां हैं कि मैं अपने जनपद बरेली की ही बात करता हूं कि इस साल एक हजार विद्यार्थी हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ था जिसके परीक्षा के समय बैठने के लिये कुर्सी नहीं थी, डेस्क नहीं थी। सबने चटाई पर बैठ कर इम्तहान दिया। इसी प्रकार प्रदेश में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में प्रवेश पाने के लिये बड़ी समस्या है। मैं अपने जनपद बरेली की बात कहता हूं जिसके विषय में बरार साहब ने प्रश्न भी किया था कि बरेली में 15 इण्टरमीडिएट कालेज और होने चाहिए। आज कल ऐसा लगता है कि नौकरी दिलाना आसान हो गया है लेकिन स्कूल की कक्षा में प्रवेश दिलाना मुशकिल।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक व्यवस्था यह हो गयी है सपुस्तकीय और पुस्तकीय। इससे एक साल तो विद्यार्थी का ऐसे ही निकल जाता है और जब वह हाईस्कूल में पहुंचता है तब जाकर कहीं पढ़ाई शुरू हो पाती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा, शिक्षा के लिये होनी चाहिये। मान्यवर, ट्यूशन का हाल यह है कि बरेली में एक कालेज में 19 विद्यार्थियों को इसलिये फेल कर दिया गया कि उन्होंने कामर्स में ट्यूशन नहीं पढ़ा था जबकि सारे और सबजेक्टस् में वे पास थे। यह सब आपकी गलत नीतियों का परिणाम है जिसके परिपेक्ष में आप अब इसको लाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप इसे पास भी करा लेंगे तो दो साल बाद ही आपको इसे वापस लेना पड़ेगा । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जिससे कि वह 30 दिन में अपना प्रतिवेदन दे दें, फिर आप इस पर विचार करें ।

(मा0 अधिष्ठाता द्वारा श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारा गया परन्तु वे सदन में उस समय अनुपस्थित थे।)

श्री विजय सिंह राणा–

हम भी प्रस्तावक हैं। प्रस्तावक में मेरा भी नाम है।

श्री अधिष्ठाता–

अब वे प्रस्ताव भी लाये हैं और बोल भी लिये हैं इसलिये अब मैं माननीय मंत्री जी को बुला रहा हूं ।

श्री सिब्ते रजी–

यह संशोधन जो माननीय सदस्यों के सामने पेश किया गया है, यदि आप उसके ध्येय की ओर ध्यान दीजिए तो उससे पता चलता है कि मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर जो प्रतिभायें हैं उन्हें आंशिक रूप में, उनकी सेवा लेने के लिये, उनकी स्वेच्छा से, एक नियमित और निर्धारित रूप से उनको भुगतान करने की बात है। यह एक लचीली व्यवस्था है जिसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मा0 पाण्डेय जी ने स्वयं कहा कि विद्यालयों के अन्दर आवश्यकता इस बात की है कि नये अनुभाग खोले जायं, विशेष तौर पर सामाजिक उद्योग के कार्य और व्यवसाय विशेष के विषय खासतौर पर जो अनुदेशक उस विशेष विषय के ज्ञाता हों, किन्तु उनके पास किसी प्रकार की उस विषय की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनका जो सामाजिक उद्योग का कार्य है, उनमें उनकी सहायता ली जानी चाहिये । संशोधन के अन्दर इस बात की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, शिक्षकों के साथ साथ, अनुदेशकों की सेवायें लेने का प्राविधान किया गया है और विशेष रूप से समाज की सहभागिता शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। मान्यवर, मैनेजर और शिक्षाविद् इस बात की मांग कर रहे थे कि अनुदान यदि नहीं दिया जा रहा है तो विषयों की मान्यता और कक्षाओं के उच्चीकृत करने की प्रक्रिया से रोका न जाये। इसलिये ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया है कि जहां-जहां पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है और प्रबन्ध तंत्र स्वयं अनुभाग खोलना चाहता है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार दे दिया गया है कि वह अनुभाग खोलने की अनुमति दे सकता है और इसी प्रकार से हाई-स्कूल को उच्चीकृत करके माध्यमिक और इण्टरमीडिएट स्तर पर लाया जा सकता है।

मान्यवर, प्रतिभूति की बात कही गयी है । इसके जमा करने का उद्देश्य है कि किसी तरह से अध्यापकों का शोषण न हो, जो अंश कालीन अध्यापक हैं, उनके वेतन को रोकने का प्रयास न किया जाये और अगर प्रयास किया जाता है, तो उसी प्रतिभूति से उसके वेतन का भुगतान किया जायेगा। मान्यवर, उच्च कक्षाओं के लिए प्रतिभूति 5 हजार रुपया रखी गयी है एक विषय के लिये और अगर कोई हाई स्कूल में कोई अतिरिक्त विषय चाहता है, तो उसके लिए प्रतिभूति 3 हजार रुपया रखी गयी है। यदि शुरू में हाई स्कूल किया जाता है, तो कोई प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी, कोई प्रतिभूति नहीं ली जायेगी और अगर हाई स्कूलों से इण्टरमीडिएट करेगा तो प्रतिभूति ली जायेगी । आगे कोई विषय अगर बढ़ाया जाता है, तो तीन हजार रुपया लिया जायेगा। मान्यवर, दरें निश्चित कर दी गयी हैं, जो अध्यापकों को मानदेय दिया जायेगा। अध्यापकों को 6 रुपया 50 पैसे दिया जायेगा हाई स्कूल और इण्टर स्तर पर 10 रुपये और उनको कम से कम 12 घन्टे एक सप्ताह में पढ़ाने को मिलेंगे और 18 सप्ताह से अधिक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर, इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कार्यरत अध्यापक हैं उन पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े और जिस तरह से काम कर रहे थे उसी प्रकार से करते रहे मान्यवर, मानक भी निर्धारित कर दिये गये हैं कि जो विद्यालय उच्चीकृत किया जाये, वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा रखी गयी अर्हतायें पूरी करता हो और किसी प्रकार से विद्यालय के स्तर पर बुरा प्रभाव न पड़े और बच्चों की पढ़ाई पर कोई कुप्रभाव न पड़े, इन बातों को ध्यान में रखा गया है। अनुदेशकों के लिये रखा गया है कि उनका मानक प्रबन्ध तंत्र की जो समिति है, वह तय कर लें। भुगतान की प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से निश्चित कर ली गई है । हर महीने की 15 तारीख को जिसकी सेवायें ली जायेंगी उनको भुगतान कर दिया जायेगा ।

मान्यवर, उपर्युक्त और योग्य अभ्यर्थी मिलें, इसके लिये व्यवस्था कर दी गई है और माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से जो मानक निर्धारित किये गये हैं उनके आधार पर चयन किया जायेगा और उसके लिये भी एक ऐसी समिति रखी गई है कि जितने भी अभ्यर्थी आयेंगे जिसका कि विज्ञापन किया जायेगा उसमें से वह समिति प्रबन्ध तंत्र के इसके लिये सुनिश्चित करेगी कि किस तरह से अंशकालिक रूप से उनसे काम लिया जा सकता है । इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार का कोई शुल्क न वसूल किया जाय । प्रबन्धतंत्र निश्चित रूप से अपने श्रोत से ही धन एकत्रित करेंगे इसकी व्यवस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के 7 (इ0) के अन्तर्गत की गई है । लेकिन जितने भी ऐसे अध्यापक रखे जायेंगे उनका हाजिरी का रजिस्टर रखा जायेगा और यह देखा जायेगा कि किसी प्रकार से किसी वर्ग का अहित हो । किस तरह से विज्ञापन निकाला जायेगा, कैसे कौल लेटर्स भेजे जायेंगे, इन सब चीजों का प्राविधान उसमें किया गया है । इसलिये मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें जो उन्होंने प्रवर समिति में भेजने के बारे में रखा है । क्योंकि यह पूर्ण संशोधन रूप से स्वयं में सक्षम है इसलिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इसे अस्वीकार करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

अगर माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था कर दें कि जो छात्र पढ़ेंगे उनकी मासिक फीस आपके एकाउन्ट में न जाकर प्राइवेट मैनेजमेंट के एकाउन्ट में रखी जायेगी तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, दो स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहला तो यह कि उच्चीकरण का प्राविधान आपने इसमें किया है । इसका स्पष्ट रूप से इसमें जिक्र नहीं है । जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज हैं उनको मान्यता देने का प्राविधान किया गया है अथवा नहीं ? अगर किया गया है तो फिर 8 जुलाई से कालेज खुल जायेंगे, कब तक आप इसे कर देंगे । दूसरी बात यह है कि आपने यह कहा कि इन विद्यालयों को उच्चीकृत किया जायेगा, हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट कर दिया जायेगा । अध्यापकों की ट्रांसफर की जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत मान लीजिये किसी इण्टरमीडिएट कालेज में किसी दूसरे इण्टरमीडिएट कालेज का अध्यापक ट्रांसफर होकर आता है तो उसको प्रतिभूति जमा करना पड़ेगा या नहीं जमा करना पड़ेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

एक तो सम्प्रति में अशासकीय विद्यालयों में कोई ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है । अध्यापकों के बारे में इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है-(क) हाई स्कूल की नवीन मान्यता अर्थात् प्रथम बार हाई स्कूल की मान्यता दिए जाने पर जो सुरक्षित कोष, प्रतिभूति आदि की शर्तें माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता के मानकों के अन्तर्गत निर्धारित हैं, पर्याप्त मानी जायेंगी और अध्यादेश की धारा 7-क (2) के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त प्रतिभूति देय न होगी ।

(ख) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता अर्थात् प्रथम बार हाई स्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित सुरक्षित कोष, प्रतिभूति आदि के अलावा धारा 7-कक (2) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग (साहित्यिक, वैज्ञानिक) (गृह विज्ञान सहित) कृषि एवं कामर्स के लिए 5 हजार रुपये की प्रतिभूति अतिरिक्त देय होगी ।

(ग) हाई स्कूल और इण्टर स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त विषय (साहित्यिक विज्ञान) (गृह विज्ञान सहित), (गणित, कृषि और कामर्स से संबंधित) के लिए धारा 7-कक (2) के अन्तर्गत तीन-तीन हजार रुपये की प्रतिभूत देय होगी । तो मान्यवर, यह स्वयं में स्पष्ट है । जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि कब तक दे देंगे तो जैसे-जैसे लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से प्रार्थना-पत्र देंगे और उसमें भी शासन के अनुमोदन की आवश्यकता है । तो यह पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जा रही है । अब तक स्वीकृत विद्यालयों की संख्या 458 है जो लोग सारी शर्तें पूरा कर रहे हैं उनको मान्यता मिलने के बाद, अनुमोदन मिलने के बाद वह स्वयं में पूर्णरूप से स्वतंत्र हैं कि अपनी कक्षायें चला सकते हैं । नियमों के अनुसार ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 1987 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—2

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-2, सन् 1921 की धारा 7-क का प्रतिस्थापन

2—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात:—

"7-क—धारा 7 के खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी,—

किसी नए विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

(क) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी संस्था को किसी नए विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकता है;

(ख) निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधित खण्ड—3

नई धारा 7-कक और 7-कख का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 7-क के पश्चात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:—

"7-कक—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण—

अंशकालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन

(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 7-क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गयी है, उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गयी है, उसमें, शिक्षा देने के लिए,

(दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए, अपने स्रोत से सेवायोजित में अनुदेश कर सकता है।

(2) धारा 7-क के अधीन कोई मान्यता और कोई अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति निरीक्षक को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, अनुपालन न किया जाय।

(4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें, जैसी निहित की जाय, न रखता हो।

(5) किसी अशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय।

(6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कर्यरत किसी व्यक्ति को धारा 7-कक के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी।

छूट

7—कख—उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात धारा 7—कक के अधीन किसी संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1971

श्री एहतिशाम बली खां—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में, मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 7-कक की उपधारा (1) में, खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापकों को, धारा 7-क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गयी है उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गयी है उसमें शिक्षा देने के लिए—"

श्री सिब्ते रजी—

स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि "खण्ड 3 में मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 7-क की उपधारा (1) में, खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :—

"(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापकों को, धारा 7-क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गयी है उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिये अनुज्ञा दी गयी है उसमें शिक्षा देने के लिए—"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संशोधन स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधन खण्ड—3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधित खण्ड–4

निरसन और अपवाद

4—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 1987

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1987

"(1) इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसका स्पष्टीकरण करा दें । चूंकि समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

एजेन्डा के नत्थी (घ) को देखें, उसको स्वयं पढ़ लें तो समझ में आ जायेगा । मंत्री जी क्या आपको स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, हमें स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

"4–(1) इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत पर प्रवृत्त थे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा ।

(2) यह 14 अक्टूबर, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987, जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो इस प्रकार हैं :–

1–श्री सरदार सिंह आर0 बी0 एस0 कालेज, आगरा के वरिष्ठ लेखाकार श्री बाबू लाल सारस्वत की हत्या ।

2–श्री चन्द्र भान मौर्य-तहसील एतमादपुर, जनपद आगरा में गंभीर पेयजल संकट ।

3—डा0 दिनेश जौहरी-बरेली, मुरादाबाद व कुमायूं मण्डल की 25 चीनी मिलों से प्रदूषण ।

4—श्री विजय सिंह राणा-दस्यु सरगना सुमेर सिंह का आतंक ।

5—श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री मैनेजर सिंह बांसडीह, जनपद बलिया में नियोजित तरीके से हत्यायें ।

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ए0 के0 जे0 कारपोरेशन कानपुर में सैनिकों की छटनी के सम्बन्ध में ।

इन सूचनाओं में से श्री सरदार सिंह की सूचना को स्वीकार किया गया है । शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
30 जून, 1987

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29(4) के अन्तर्गत ता0प्र0सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

पूर्वी क्षेत्र की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों की योजना का विवरण

क्रम-सं0	चीनी मिल का नाम	योजना का विवरण	योजना की लागत (लाख रुपयों में)
1	सिसवा बाजार (गोरखपुर)	आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण (900 टी0सी0डी0 से 2000 टी0सी0डी0 तक)।	1560.00
2	जरवल रोड (बहराइच)	आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण (900 टी0सी0डी0 से 2000 टी0सी0डी0 तक)।	1500.00
3	पिपराइच (गोरखपुर)	आधुनिकीकरण एवं पुनर्वासिन	480.00
4	भटनी (देवरिया)	आधुनिकीकरण एवं पुनर्वासिन	75.00
5	मुण्डेरवा (बस्ती)	आधुनिकीकरण एवं पुनर्वासिन	110.00
6	घुघली (गोरखपुर)	आधुनिकीकरण एवं पुनर्वासिन	134.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

परिशिष्ट "क"

1—वृत्तीय कार्यालय के लिपिकों के पदों के सम्बन्ध में ।

2—प्रतिशत के आधार पर उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।

3—1965 की नियमावली के अन्तर्गत खण्डीय संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति ।

4—वृत्तीय कार्यालय के टंककों को द्विभाषीय प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

5—प्रशासनिक अधिकारियों की विभाग में नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

6—आवासीय सुविधा के सम्बन्ध में ।

7—गोपनीय आख्याओं को समय पर न भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

समस्याओं पर कृत कार्यवाही:—

1—समस्त वृत्तों में लिपिकों के पदों की संख्या समान रखना उचित नहीं समझा गया वर्तमान में जो तीन प्रकार के वृत्त हैं, उनमें कार्यभार के दृष्टिकोण से लिपिकों के पदों का नार्म्स निर्धारित किया गया है तथा संघ से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार हेतु कमेटी का गठन किया गया है, जिसका सुझाव प्रतीक्षित है ।

2—उच्चीकृत वेतनमान का प्रस्ताव वेतन समिति को भेज दिया गया है ।

3—प्रोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1965 में संशोधन हेतु गठित कमेटी के सुझाव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

4—टंककों को द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने हेतु पात्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

5—दिनांक 18-12-85 को शासन स्तर पर हुई बैठक में इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

6—भवन अग्रिम के सम्बन्ध में अतिरिक्त धन आवंटित करने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा स्वीकृत धन में से वृत्तीय कार्यालय के लिपिकों को भी धन आवंटित किया गया ।

7—गोपनीय आख्यायें समय से लिखे जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-12024 व्यख/5-1 व्यख/85, दिनांक 9-4--87 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं । अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

सेवा में,

माननीय गन्ना राज्य मंत्री,

उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ । 20 दिसम्बर, 1986

विषय :—राज्य चीनी निगम में अधिकारियों द्वारा शोषण एवं अवैधानिक कार्य ।

हम आपका ध्यान उक्त सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अधिकारियों द्वारा अधोलिखित तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग, धन उगाही तथा अवैधानिक कृत्यों की ओर आकृष्ट कर निष्पक्षतापूर्वक जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करते हैं ।

1—यह कि नियमतः किसी भी वेतनमान जुड़ने वाला महंगाई भत्ता निश्चित होता है। किन्तु उक्त प्रतिष्ठान के श्रम कल्याण अधिकारी श्री आर0 के0 दुबे अपने पद और समता का दुरुपयोग करके साथ ही सम्बन्धित कर्मचारियों को अभित्रस्त करके अपने वर्तमान वेतन में कई वर्षों से 5-6 प्रकार के महंगाई भत्ते को अनधिकृत रूप से जुड़वाकर प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू वेतनमान का महंगाई भत्ता निश्चित है, किन्तु उक्त अधिकारी राज्य सरकार के साथ शुगर वेज बोर्ड का महंगाई भत्ता भी एक साथ पिछले कई वर्षों से ले रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने पर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उसकी पुष्टि भी प्राप्त हुई है। उन कर्मचारियों द्वारा धमकी भी दी गयी है।

2—यह कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के सेवा नियमों की धारा 13(ए) जिसका विवरण आरोप पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है का उल्लंघन भी उक्त श्रम कल्याण अधिकारी ने किया है। उक्त नियम में यह स्पष्ट निर्देशित है कि निगम में कार्यरत कोई अधिकारी/कर्मचारी पूर्वादेश प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार का व्यापार या बीमा एजेंसी जैसा कार्य स्वयं अथवा पत्नी व अपने किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा नहीं करा सकता है। परन्तु उक्त श्रम कल्याण अधिकारी अपनी पत्नी के नाम बीमा एजेंसी लेकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर जबरदस्ती भी श्रमिकों का बीमा करता है तथा बीमा सम्बन्धी सारे अभिलेख स्वयं तैयार करता है।

3—यह कि उक्त श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा उ0 प्र0 लेबर वेलफेयर एक्ट, 1956 की धारा 17 व 18 का भी उल्लंघन कर विगत दो वर्षों में प्रतिष्ठान की लकड़ी का खरीद फरोख्त किया है तथा उक्त खरीदारी में भी गोलमाल किया है यह दोनों ही कार्य अवैध हैं।

4—यह कि उक्त प्रतिष्ठान के मुख्य अभियन्ता श्री ए0 के0 वर्मा के सम्बन्ध में आरोपों का पुलिन्दा शासन को तमाम संस्थाओं द्वारा भेजा गया है। उक्त अधिकारी का विगत 7-8 वर्षों से इसी प्रतिष्ठान में बार-बार स्थानान्तरण रुकवा कर कार्यरत रहना रहस्यमय आश्चर्यजनक तथा शासन के नियमों के विपरीत आचरण है।

5—यह कि उक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यकाल के सभी ठेकों/क्रय सम्बन्धित फाइलों का निगम के तत्सम्बन्धित प्रसारित नियमों से मिलान करते हुए विस्तृत जांच की महत्ता सम्प्रेषित हो ।

6—यह कि उक्त प्रतिष्ठान के शुगर इंचार्ज श्री आर0 के0 अवस्थी द्वारा हाई-स्कूल का दो प्रमाण पत्र दाखिल कर धोखा धड़ी करते हुए अपना सेवाकाल में 7 वर्ष की वृद्धि करा लेना एक संगीन अपराध है।

7—यह कि उक्त प्रतिष्ठान के हेड टाइम कीपर श्री अवध नरायन पांडे द्वारा अपनी ही सर्विस बुक का पन्ना गायब कर अधिकारियों की सांठ गांठ द्वारा 5 वर्ष अपना सेवाकाल बढ़ा देना । ज्ञातव्य हो कि किसी भी प्रतिष्ठान का सर्विस बुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा उस अभिलेख की सुरक्षा व देखरेख करने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृत्य करे यह दण्डनीय तथा शर्मनाक घटना है।

8—यह कि एक लेखा शिशुक्षु श्री वबन कुमार श्रीवास्तव की बराबर अनुपस्थिति में भी उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वेतन प्राप्त करना ।

अतः उपरोक्त सभी आठों आरोपों पर विस्तृत जांच कराने तथा जांच के पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करते हुए आवश्यक आदेश पारित कर विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस सार्वजनिक हित के प्रतिष्ठान के साथ-साथ सम्बन्धित कृषकों एवं श्रमिकों की हित की रक्षा हो सके ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(ह0) अभय प्रताप सिंह,

महामंत्री, कारपोरेशन चीनी मिल

कर्मचारी संघ रामकोला (देवरिया) उ0 प्र0 ।

प्रतिलिपि :

1—माननीय मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 लखनऊ ।

2—सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।

3—अध्यक्ष, राज्य चीनी निगम, 25 अशोक मार्ग, लखनऊ ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0–138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

वर्ष 1985–86 में शासन से प्राप्त 1.00 करोड़ रुपए अनुदान से 50 प्रतिशत अंशदायी आधार पर निर्माणाधीन सड़कों की सूची (लम्बाई एवं किस्म सहित)

क्रम संख्या	जिले का नाम	परिषद् का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई [कि0मी0	किस्म
1	2	3	4	5	6
1	बरेली	बहेड़ी	पुरैनिया से मित्तरपुर मार्ग	1.000	पेन्टेड
2	,,	,,	मिलैया खुटिया मार्ग एक्स	0.500	पेन्टेड
3	,,	,,	नैनीताल से बगिया मार्ग एक्स0	0.500	पेन्टेड
4	,,	,,	उनई नवायल मकावा मार्ग	4.000	
			जनपद बरेली का योग ..	6.000	
5	शाहजहांपुर	तिलहर	वन्थरा गन्धार मार्ग	0.750	पेन्टेड
6	,,	,,	वखीखास से राजनपुर	0.250	पेन्टेड
			जनपद शाहजहांपुर का योग ..	1.000	
7	पीलीभीत	पीलीभीत	जगरौली से कुरी मार्ग	1.500	पेन्टेड
8	,,	,,	आसाम रोड से पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण भवन तक।	0.900	पेन्टेड
9	,,	,,	शाही रेलवे स्टेशन से शाही	0.400	पेन्टेड
10	,,	,,	डयूनी बहादुरगंज मार्ग	0.700	पेन्टेड
11	,,	मझोला	डयूनी डाम रोड से मजारा मार्ग	1.500	पेन्टेड
12	,,	,,	भुड़ा कैमौर से फरदिया मार्ग	2.000	पेन्टेड
			जनपद पीलीभीत का योग ..	7.000	
13	लखीमपुर	ऐरा	इमलिया गुरुदीन पुरवा मार्ग	1.000	पेन्टेड
14	,,	,,	लालपुर समैसा मार्ग चौथा कि0मी0	1.000	पेन्टेड
15	,,	,,	सुरैया ईसानगर मार्ग प्रथम से छठा कि0मी0 तक।	6.000	पेन्टेड
16	,,	पलियाकलां	पी0डब्लू0डी0 रोड से मझगई खाद गोदाम।	0.500	पेन्टेड
17	,,	,,	प्रेमनगर से इब्राहिमपुर रोड	0.938	पेन्टेड
18	,,	,,	छेदनीपुरवा मार्ग	0.600	पेन्टेड
19	,,	,,	फुलवरिया मार्ग	1.000	पेन्टेड
20	,,	,,	निधासन रोड से सेहरुआ बसहिया मार्ग चौथा एवं पांचवां कि0मी0।	2.000	पेन्टड

1	2	3	4	5	6
21	लखीमपुर	गोला	कोटवारा चडौरा पांचवां कि0मी9	1.000	पेन्टेड
22	,,	,,	अलीगंज मुडवारा रोड द्वि0कि0मी0	1.000	पेन्टेड
23	,,	,,	वैबहा डहर प्रथम कि0मी0	1.000	पेन्टेड
			जनपद लखीमपुर का योग ..	16.038	
24	गाजियाबाद	सिम्भावली	पौपाई से जनुपुरा मार्ग प्रथम कि0मी0	1.300	पेन्टेड
25	,,	,,	पोपाई से जनुपुरा मार्ग द्वि0 कि0मी0	1.000	पेन्टेड
26	,,	,,	सलौनी से जखेड़ा मार्ग प्रथम कि0मी0	1.000	पेन्टेड
27	,,	,,	सलौनी से जखेड़ा मार्ग द्वि0 कि0मी0	0.835	पेन्टेड
28	,,	,,	रतपुरा मार्ग	0.370	पेन्टेड
29	,,	..	फलडेहरा मार्ग	0.495	पेन्टेड
			जनपद गाजियाबाद का योग ..	5.000	
30	अलीगढ़	साथा	जी0टी0 रोड से वरौठ छज्जेमल मार्ग	1.000	पेन्टेड
31	,,	,,	84 नं0 ट्यूबवेल से ग्राम उत्तरा की ओर ।	1.000	पेन्टेड
			जनपद अलीगढ़ का योग ..	2.000	
32	बुलन्दशहर	अनूपशहर	कर्थडवास से मऊ की ओर	1.100	पेन्टेड
33	मथुरा	छाता	रनवारी से उमरायः मार्ग	0.700	पेन्टेड
34	,,	,,	नेशनल हाई-वे से जैत मार्ग	0.300	पेन्टेड
			जनपद मथुरा का योग ..	1.000	
35	सहारनपुर	देवबन्द	यादगार से जडौदा जद	0.785	पेन्टेड
36	,,	,,	शिमलाना से सिसौनी मार्ग प्र0 भाग	1.500	पेन्टेड
37	,,	,,	शिमलाना से सिसौनी मार्ग द्वि0 भाग	0.500	पेन्टेड
38	,,	सहारनपुर	इस्ल मनगर से माजरा मार्ग	0.945	पेटेन्ट
39	,,	,,	इसल मनगर से सहजवी मार्ग	1.000	पेन्टेड
40	,,	सरसावा	अम्बेहटा से डयकी मार्ग	1.150	पेन्टेड
41	,,	,,	शकरुल्ल पुर कलरी मार्ग	0.965	पेन्टेड
42	,,	ननौता	चमन मजरा मार्ग	0.700	पेन्टेड
43	,,	,,	तीतरो मुन्टेड मार्ग	1.300	पेन्टेड
44	,,	,,	खुडाना मार्ग	0.500	पेन्टेड
45	,,	लक्सर	रयसी दरगहपुर मार्ग	1.500	पेन्टेड
			जनपद सहारनपुर का योग ..	10.845	

1	2	3	4	5	6
46	मुजफ्फरनगर	खतौली	चन्दसीना रामपुर मार्ग	1.500	पेन्टेड
47	,,	,,	लौहडडा बडयू मार्ग प्रथम व द्वितीय	2.500	पेन्टेड
48	,,	,,	नगली महासिंहपुर मार्ग	0.800	पेन्टेड
49	,,	रामराज	नसीरपुर अहमदवाला प्रथम एवं द्वितीय ।	2.000	पेन्टेड
50	,,	,,	कासमपुर मुम्भा मार्ग प्रथम एवं द्वितीय।	2.000	पेन्टेड
51	,,	शामली	टपराना बुद्धपुरा मार्ग	1.200	पेन्टेड
			जनपद मुजफ्फरनर का योग ..	10.000	
52	मेरठ	मवाना	झिझाडपुर मार्ग ..	0.840	पेन्टेड
53	,,	,,	परीक्षतगढ़ गांवडी मार्ग	1.330	पेन्टेड
54	,,	,,	भद्रकाली मार्ग	1,950	पेन्टेड
55	,,	बागपत	पिलाना मिशिंग लिंक रोड	1.000	पेन्टेड
56	,,	मलियाना	अलीपुर जिजमाना मार्ग	1.000	पेन्टेड
57	,,	रमाला	सहारनपुर रोड से बुढपुर मार्ग	1.000	पेन्टेड
58	,,	सकौतीटाडा	सकौती मन्डौरा मार्ग	1.000	पेन्टेड
59	,,	,,	कनौडा रूहाना मार्ग	0.500	पेन्टेड
60	,,	,,	भागी खेडी मार्ग	1.000	पेन्टेड
61	,,	मोहिउद्दीनपुर	हापुड़ रोड से घनौटा मार्ग	0.850	पेन्टेड
62	,,	मेरठ	रैहदरा माछरा मार्ग	1.000	पेन्टेड
63	,,	दौराला	उल्देपुर मार्ग	1.500	पेन्टेड
64	,,	,,	इकलौता देदवा मार्ग	1 .000	पेन्टेड
65	,,	दरौला	इकलौता धन्जू मार्ग	1.000	पेन्टड
			जनपद मेरठ का योग ..	14.970	
66	मुरादाबाद	,,	रामहट से बुढनपुर	2.000	पेन्टेड
67	,,	,,	दिल्ली मार्ग से नोली खोडी	0.500	पेन्टेड
68	,,	,,	कल्याणपुर से दुर्गपुर	1.000	पेन्टेड
69	,,	,,	दिल्ली मार्ग से धूरनपुर	0.500	पेन्टेड
70	,,	,,	सम्भल मार्ग से फतेहपुर	1.000	पेन्टेड
71	,,	,,	सिनारा कनपुरा मार्ग	1.000	पेन्टेड
72	,,	,,	दिल्ली मार्ग से पपसरा वाया खाता	1.000	पेन्टेड
73	,,	,,	रजवपुर फैय्याजनगर द्वि0 भाग	1.000	पेन्टड
74	,,	,,	दिल्ली मार्ग से सैथली	2.000	पेन्टेड
75	,,	,,	रजवपुर फैय्याजनगर प्र0 भाग	1.000	पेन्टेड
			जनपद मुरादाबाद का योग ..	11.000	

1	2	3	4	5	6
76	रामपुर	बिलासपुर	पिपलिया नाव से नवाबगंज	1.750	पेन्टेड
77	,,	,,	बगईया बीहट मार्ग	1.500	पेन्टेड
78	,,	मिलककमेटी	रहपुरा जनकपुर मार्ग	1.000	पेन्टेड
			जनपद रामपुर का योग ..	4.250	
79	नैनीताल	नादेही	देवीपुर असालतपुर मार्ग	1.000	पेन्टेड
80	,,	काशीपुर	अलीगंज शिवलालपुर से अमरझंडा	1.520	पेन्टेड
81	,,	बाजपुर	शिवपुरी से बांसखेडा मार्ग	3.000	पेन्टेड
			जनपद नैनीताल का योग ..	5.520	
82	बिजनौर	बिजनौर	ईस्माइलपुर उर्फ जुडडी	1.367	पेन्टेड
83	,,	,,	राजदेव नागली दुर्गपुर	0.600	पेन्टेड
84	,,	नूरपुर कमेटी	धन्धली से लिण्डरपुर	1.500	पेन्टेड
85	,,	,,	धन्धली से नसीरपुर	2.850	पेन्टेड
86	,,	,,	रोशन नगर मार्ग	0.700	पेन्टेड
			जनपद बिजनौर का योग ..	7.017	
			कुल योग ..	102.740 किमी0	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 19 अप्रैल, 1987 तक शासन में प्राप्त पत्रों एवं उनके सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए आदेशों से सम्बन्धित सूचना।

मा0 सदस्य से प्राप्त पत्रों की संख्या	मा0 सदस्य के पत्र का दिनांक	शासन में प्राप्ति का दिनांक	शासन द्वारा की गयी कार्यवाही/आदेश का दिनांक
1	2	3	4
41	2-7-81	2-7-81	सम्बन्धित अधिकारी से दिनांक 13 अगस्त, 1981 को आख्या मांगी गयी।
	22-9-81	22-9-81	दिनांक 17 नवम्बर, 1981 को आख्या मांगी गयी।
	17-2-81	17-2-82	दिनांक 21 अप्रैल, 1982 को भविष्य की किसी योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु आदेश दिए गए।
	2-3-82	3-3-82	मा0 सदस्य को दिनांक 28 जून, 1982 को सूचित किया गया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुल के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।
	7-4-82	7-4-82	उपरोक्तानुसार
	30-7-82 24-8-82	3-8-82 24-8-82	दिनांक 9 नवम्बर, 1982 को मा0 सदस्य को उपरोक्तानुसार उत्तर दिया गया।
	2-9-82 14-2-83 5-4-83	4-9-82 14-2-83 5-4-83	दिनांक 4 जून, 1983 को सर्वे कराकर आख्या भेजने हेतु आदेश दिए गए।
	9-2-83 10-10-83	9-2-83 10-10-83	दिनांक 1 नवम्बर, 1983 को आख्या हेतु स्मरण कराया गया।
	15-9-83 1-12-83	15-9-83 2-12-83	दिनांक 22-12-83 को आख्या हेतु स्मरण कराया गया।
	14-2-84 6-3-84 12-3-84 28-3-84 1-12-83 21-3-84	16-2-84 6-3-84 13-3-84 31-3-84 15-3-84 21-3-84	दिनांक 26 अप्रैल, 1984 को आख्या एवं आगणन भेजने हेतु स्मरण कराया गया।
	3-4-84	7-4-84	उपरोक्तानुसार दिनांक 8 जून, 1984 को स्मरण कराया गया।

1	2	3	4
	15–6–84	15–6–84	दिनांक 26 सितम्बर 1984 को प्रमुख अभियन्ता को आख्या/आगणन भेजने हेतु स्मरण कराया गया।
	21–5–84	29–5–84	
	2–6–84	2–6–84	
	25–8–84	25–8–84	
	27–7–84	28–7–84	
	30–8–84	31–8–84	
	10–9–84	11–9–84	
	11–9–84	13–9–84	
	20–9–84	21–9–84	दिनांक 26 नवम्बर, 1984 को सम्बन्धित अधिकारी को अनुस्मारक भेजा गया।
	19–9–84	21–9–84	
	27–9–84	27–9–84	
	22–11–84	22–11–84	दिनांक 11 जनवरी, 1985 को सम्बन्धित अधिकारी को अनुस्मारक भेजा गया।
	24–11–84	24–11–84	
	24–11–84	29–11–84	दिनांक 28 मार्च, 1985 को सम्बन्धित अधिकारी को अनुस्मारक भेजा गया।
	3–1–85	4–1–85	
	4–1–85	4–1–85	
	7–8–85	7–8–85	दिनांक 1 सितम्बर, 1986 को मा0 सदस्य को पुल की स्वीकृति दिनांक 17 अप्रैल, 1986 को दिए जाने की सूचना दी गयी।
	13–8–85	14–8–85	
	30–11–85	6–12–85	
	13–2–86	20–2–86	

ो0एस0यू0पी0—एल0 166 विधान सभा (292)—1987—813